



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271102
CG-DL-E-20032026-271102

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 58]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2026/फाल्गुन 26, 1947

No. 58]

NEW DELHI TUESDAY, MARCH 17, 2026/PHALGUNA 26, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2026

(अंतिम जांच परिणाम)

मामला सं. एडी (ओआई) - 02/2025

विषय: चीन जन.गण. और थाईलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल" के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा.सं. 06/02/2025-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण

तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल (जिसे इसके बाद "एफएसपी" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के चीन जन.गण. और थाईलैंड (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) से आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किया है।

2. पाटन और क्षति के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ विधिवत् प्रमाणित आवेदन के मद्देनजर, नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. 06/02/2025-डीजीटीआर दिनांक 18 मार्च 2025 के माध्यम से चीन जन.गण. और थाईलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की। प्राधिकारी ने संबद्ध सामानों के कथित पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू की, जो लगाए जाने पर, घरेलू उद्योग को कथित क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

ख. प्रक्रिया

3. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

3.1 जांच की शुरुआत

- (क) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार, जांच शुरू करने से पहले, भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को वर्तमान आवेदन की प्राप्ति के बारे में सूचित किया।
- (ख) प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 18 मार्च 2025 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की।
- (ग) प्राधिकारी ने भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, घरेलू उद्योग तथा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को जांच शुरुआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार लिखित रूप में दें।

3.2 आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर का परिचालन

- (घ) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अनुरोध किए जाने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई थी।

3.3 संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा प्रतिभागिता

- (ङ) प्राधिकारी ने संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, अन्य भारतीय उत्पादकों और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार निर्यातक प्रश्नावली भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे विस्तारित समय सीमा तक अपने विचार लिखित रूप में दें।
- (च) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी:
1. ऑलनेक्स रेसिन्स (चाइना) चाइना., लिमिटेड (चीन)
 2. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर
 3. वानहुआ केमिकल (यान्ताई) ट्रेडिंग कं. लिमिटेड (चीन)
 4. वानहुआ केमिकल्स ग्रुप (चीन)
 5. ऑलनेक्स (थाईलैंड) लि. (थाईलैंड)
 6. डाउ केमिकल थाईलैंड लिमिटेड (थाईलैंड)
 7. जीसी पॉलिओल्स कंपनी लिमिटेड (थाईलैंड)
 8. टोयोटा त्सुशो (थाईलैंड) कं., लिमिटेड (थाईलैंड)

- (छ) भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।
- (ज) संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर करके उत्तर दिया:
1. वानहुआ केमिकल ग्रुप कं., लि. (चीन)
 2. वानहुआ केमिकल (यान्ताई) ट्रेडिंग कं., लि. (चीन)
 3. वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट., लि. (चीन)
 4. डाउ केमिकल थाईलैंड लि., थाईलैंड (थाईलैंड)
 5. डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा (थाईलैंड)
 6. डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड (थाईलैंड)

3.4 आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा प्रतिभागिता

- (झ) प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक एवं प्रयोक्ता प्रश्नावली भेजी:
1. डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इंडिया (डीसीआईपीएल)
 2. एम.एच. पॉलिमर्स लि.
 3. शीला फोम लि. (एसएफएल)
 4. तिरुपति फोम लि.
 5. टोयोटा त्सुशो इंडिया प्राइवेट लि.
 6. वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लि.
- (ञ) संबद्ध जांच अधिसूचना की शुरुआत के उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दायर करके उत्तर दिया:
1. एक्सपेंडेड पॉलिमर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
 2. शीला फोम लिमिटेड (एसएफएल)
 3. वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
- (ट) ऑलनेक्स रेसिन्स (चाइना) चाइना., लिमिटेड (चीन) और ऑलनेक्स (थाईलैंड) लि. (थाईलैंड) से भी जांच के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए।
- (ठ) जांच शुरुआत की अधिसूचना और आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति इंडियन पॉलिउरेथेन एसोसिएशन को भी भेजी गई। एसोसिएशन ने जांच के दौरान अभ्यावेदन प्रस्तुत किए।
- (ड) जांच शुरुआत की अधिसूचना और आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय को भी भेजी गई। तथापि, प्राधिकारी को कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।
- (ढ) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, और उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अभ्यावेदनों का अगोपनीय रूपांतर अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।
- (ण) क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयात का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करने के लिए डीजी सिस्टम्स से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयात की मात्रा की गणना और लेनदेन की उचित जांच के बाद आवश्यक विश्लेषण के लिए डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा किया है।
- (त) सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुलग्नक-III के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों के उत्पादन की अनुकूलतम लागत और निर्माण तथा बिक्री लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निकाली गई है, ताकि यह पता

लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

3.5 जांच की अवधि और क्षति अवधि

- (थ) वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2023 से 30 सितम्बर 2024 (12 माह) तक है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में रूझानों की जांच में 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि शामिल है।
- (द) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे और पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां देने का अवसर प्रदान किया।

3.6 आगे की प्रक्रिया

- (ध) नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने 1 दिसम्बर 2025 को आयोजित मौखिक सुनवाई में हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए और उनसे अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अभ्यावेदन दायर करें, और उसके बाद प्रत्युत्तर अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
- (न) इस जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदन, साक्ष्य के साथ समर्थित और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाने की सीमा तक, प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में उचित रूप से विचार में लिए गए हैं।
- (प) प्राधिकारी ने केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें देने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों युक्त प्रकटीकरण विवरण 5 मार्च 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के बाद की गई सभी प्रासंगिक टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी ऐसा विवरण जो पिछले अभ्यावेदनों की मात्रा पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी है, उसे संक्षिप्तता के लिए नहीं दोहराया गया है।
- (फ) गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई जानकारी का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।
- (ब) जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान सूचना देने से इनकार किया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/टिप्पणियां दर्ज की हैं।
- (भ) प्राधिकारी ने जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई जानकारी की सटीकता के बारे में यथासंभव संतुष्टि प्राप्त की, जो इस प्रकटीकरण विवरण का आधार है और सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़े/दस्तावेजों को प्रासंगिक, व्यावहारिक और आवश्यक समझे जाने की सीमा तक सत्यापित किया।
- (म) इस अधिसूचना में '****' उस जानकारी को दर्शाता है जो किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा इसी रूप में मानी गई है।
- (य) संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = ₹ 84.27 है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन

4. विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अभ्यावेदन किए गए हैं:

- (क) KOH प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद में उच्च पोटेशियम अवशेष होता है, जो इसे प्रयोक्ताओं द्वारा पॉलिमर पॉलिओल उत्पादन में अनुपयोगी बना देता है। इसके विपरीत, DMC प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादित एफएसपी प्रयोक्ताओं की प्रक्रिया के अनुकूल है और इसमें बेहतर स्थिरता है, जो प्रयोक्ताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए महत्वपूर्ण है।

- (ख) घरेलू उद्योग KOH प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है जो वैश्विक उत्पादकों द्वारा उपयोग की जाने वाली DMC प्रौद्योगिकी की तुलना में पुरानी और निम्नतर है, जो क्षति का कारण हो सकती है।
- (ग) प्रयोक्ता पॉलिमर पॉलिओल के उत्पादन के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान का उपयोग करने में असमर्थ हैं।
- (घ) प्रयोक्ता उद्योग घरेलू एफएसपी की तुलना में आयातित एफएसपी पर निर्भर है क्योंकि इसमें आवश्यक गुणवत्ता का अभाव है, जो डाउनस्ट्रीम और निर्यात-उन्मुख क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीमित करता है।
- (ङ) घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की गुणवत्ता खराब है। बड़े निर्माता कभी-कभी घरेलू उत्पाद में दोषों को कम कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता जो एमएसएमई हैं, उनके पास इन असंगतताओं को सुधारने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है।
- (च) आवेदक ने विस्कोइलास्टिक पॉलिईथर पॉलिओल के लिए तकनीकी आंकड़े शीट प्रस्तुत की है जो फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल से संबंधित नहीं है, जो जानकारी की प्रामाणिकता पर संदेह उत्पन्न करती है।
- (छ) प्राधिकारी को पॉलिएस्टर रेजिन को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर करना चाहिए, क्योंकि यह एक पूरी तरह से अलग उत्पाद है और पिछली जांचों में भी इसे बाहर रखा गया था।
- (ज) KOH और DMC प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके निर्मित संबद्ध सामान तकनीकी या व्यावसायिक रूप से समान नहीं हैं, क्योंकि उत्प्रेरक का चुनाव गुणवत्ता, अशुद्धता स्तरों और डाउनस्ट्रीम प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- (क) विचाराधीन उत्पाद 3000-4000 के आण्विक भार वाला फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल है।
- (ख) उत्पाद का उपयोग फोम के निर्माण के लिए किया जाता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से गद्दे, असबाब, तकिए, बोलस्टर, परिवहन बैठने और पैकेजिंग में होता है।
- (ग) विचाराधीन उत्पाद को सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 के तहत वर्गीकृत किया गया है। फरवरी 2022 से पहले, उत्पाद को शुल्क मद '3907 20' के तहत आयात किया गया था और उसके बाद, इसे शुल्क मदों '3907 29 10' और '3907 29 90' के तहत आयात किया जा रहा है।
- (घ) आवेदक को उत्पाद दायरे से पॉलिएस्टर रेजिन को बाहर करने पर कोई आपत्ति नहीं है।
- (ङ) संबद्ध सामान KOH या DMC प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित किए जा सकते हैं। जबकि आवेदक ने KOH प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, संबद्ध देशों के उत्पादकों ने दोनों प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया है।
- (च) KOH प्रौद्योगिकी या DMC प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित एफएसपी तुलनीय है और इनका परस्पर उपयोग किया जा सकता है क्योंकि दोनों प्रौद्योगिकियों में उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री और उत्पाद प्रक्रिया में कोई बड़ा अंतर नहीं है।
- (छ) दोनों प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादित अंतिम उत्पाद की तकनीकी और रासायनिक विशेषताएं समान हैं, सिवाय पोटेशियम अवशेष के जो बहुत कम है। दोनों मार्गों से उत्पादित उत्पादों का आण्विक भार, हाइड्रॉक्सिल संख्या, श्यानता, कार्यक्षमता और रूप-रंग समान या समकक्ष है। दोनों मार्गों द्वारा उत्पादित उत्पाद के बीच एकमात्र अंतर पोटेशियम अवशेष में अंतर है। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि भारत के फोम निर्माताओं द्वारा फिलर के उपयोग के माध्यम से ऐसे अंतर को आसानी से दूर किया जा सकता है।

पैरामीटर	KOH-उत्प्रेरित पॉलिओल	DMC-उत्प्रेरित पॉलिओल	टिप्पणी
आण्विक भार	3000-4000	3000-4000	समान
हाइड्रॉक्सिल संख्या (mg KOH/g)	~48-56	~48-56	समान

श्यानता @ 25°C (cP)	500-700	400-600	समकक्ष
कार्यक्षमता	3 (ट्रायल)	3 (ट्रायल)	समान
पोटेशियम अवशेष	5-10 ppm (उदासीनीकरण के बाद)	<1 ppm	भिन्न
रूप-रंग	स्पष्ट तरल	स्पष्ट तरल	समान

ज. इसके अतिरिक्त, कुछ हितधारक पक्षों ने यह तर्क दिया है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि KOH तकनीक से निर्मित उत्पाद की गुणवत्ता कम है, जबकि DMC आधारित उत्पाद उच्च गुणवत्ता का होता है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि वह नियमित रूप से अपने ग्राहकों को उत्पाद की आपूर्ति करता रहा है और उसके ग्राहक KOH तकनीक से निर्मित उसके उत्पाद को लगातार खरीदते रहे हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उपयोगकर्ताओं ने उत्पाद की निम्न गुणवत्ता के कारण घरेलू उद्योग से उत्पाद खरीदना बंद कर दिया है।

ग्राहक का नाम	2021-22	2022-23	2023-24	POI
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

- झ. घरेलू उद्योग देश के सभी प्रमुख उपभोक्ताओं को नियमित रूप से विचाराधीन वस्तु की आपूर्ति कर रहा है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि उपयोगकर्ता KOH तथा DMC दोनों तकनीकों से उत्पादित वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं।
- ञ. वैश्विक स्तर पर सभी उत्पादक, जिनमें विषय देशों के उत्पादक भी शामिल हैं, KOH तकनीक का उपयोग करते रहे हैं। यद्यपि कुछ उत्पादकों ने DMC तकनीक के लिए उत्पादन लाइनें जोड़ी हैं, तथापि उन्होंने KOH तकनीक की उत्पादन लाइनें बंद नहीं की हैं।
- ट. इस दावे के विपरीत कि DMC मार्ग से उत्पादित FSP की गुणवत्ता बेहतर है, आयातित FSP की कीमत घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित कीमत से कम है।
- ठ. प्राधिकरण ने पूर्व जांच में यह निर्धारित किया था कि दोनों तकनीकों से उत्पादित उत्पादों का उपयोग ग्राहकों द्वारा परस्पर विनिमेय (interchangeably) रूप से किया जाता है।
- ड. इस दावे के विपरीत कि विचाराधीन वस्तु का उपयोग पॉलिमर पॉलीऑल के उत्पादन में नहीं किया जा सकता, आवेदक स्वयं अपने द्वारा उत्पादित FSP का उपयोग पॉलिमर पॉलीऑल के उत्पादन में कर रहा है, जिसे बाजार में बेचा जाता है।
- ढ. एम्पेयॉल एफ3502 विचाराधीन उत्पाद का ब्रांड नाम है, जिसके लिए आवेदक ने तकनीकी डेटा शीट प्रदान की है। यह उत्पाद "पॉलीथर पॉलीओल्स" नामक उत्पादों के व्यापक वर्ग के अंतर्गत आता है।
- ण. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद विचाराधीन वस्तु के समान (Like Article) है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

वर्तमान जांच शुरू करते समय, प्राधिकरण ने निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के दायरे के रूप में माना।

"3. विचाराधीन उत्पाद "फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल" है, जिसे संक्षेप में एफएसपी कहा जाता है। यह 3000-4000 आणविक भार वाला एक स्पष्ट, चिपचिपा तरल बहुलक है, जिसका निर्माण प्रोपलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड के ट्राइओल शृंखला स्टार्टर के साथ बहुलकीकरण द्वारा किया जाता है। यह एक पॉलीईथर है और उत्प्रेरकों और योजकों के साथ अभिक्रिया करने पर पॉलीयुरेथेन फोम उत्पन्न करता है, जिसका उपयोग असबाब, गद्दे, तकिए, बोल्टर, परिवहन सीटों और पैकेजिंग में किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख कच्चे माल प्रोपलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड हैं।"

"4. विचाराधीन वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 39, अर्थात् "प्लास्टिक और उससे संबंधित वस्तुएं", के अंतर्गत शीर्षक 3907 और शुल्क मद 3907 29 10 तथा 3907 29 90 के तहत 1 फरवरी 2022 से वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद को हानि अवधि के एक भाग, अर्थात् 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक उपशीर्षक 3907 20 के तहत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. वर्तमान जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर विचार किया। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि DMC उत्प्रेरक प्रौद्योगिकी एक आधुनिक और उन्नत प्रक्रिया है और इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद KOH-आधारित विधि पर पसंद किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रयोक्ताओं ने यह भी दावा किया कि वे घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए KOH-आधारित एफएसपी का उपयोग करने में असमर्थ हैं।

7. इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि दोनों तकनीकों से उत्पादित उत्पादों में कोई अंतर नहीं है और इन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि दोनों तकनीकों में प्रयुक्त उत्पादन प्रक्रिया में कोई बड़ा अंतर नहीं है। हालांकि उत्प्रेरक जैसे इनपुट भिन्न हो सकते हैं, लेकिन उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त प्रमुख कच्चे माल, यानी प्रोपलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड, समान हैं। पोटेशियम अवशेष को छोड़कर, KOH या DMC विधि से उत्पादित FSP की तकनीकी विशेषताएं भी काफी हद तक समान हैं। इसके अलावा, भारत के फोम निर्माता फिलर्स के उपयोग से पोटेशियम अवशेष के अंतर को आसानी से दूर कर सकते हैं। घरेलू उद्योग ने यह भी दावा किया है कि वह वर्तमान जांच में भाग लेने वाले उत्पादकों सहित देश के सभी प्रमुख फोम उत्पादकों को नियमित रूप से अपने उत्पाद की आपूर्ति कर रहा है। वास्तव में, आवेदक स्वयं KOH-आधारित FSP का उपयोग करके डाउनस्ट्रीम उत्पाद बना रहा है।

8. घरेलू उद्योग ने यह भी बताया कि KOH और DMC प्रौद्योगिकी के बीच अंतर के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने पिछली जांचों में भी इसी तरह के तर्क दिए थे। तथापि, प्राधिकारी ने निर्धारित किया था कि दोनों प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पादित उत्पाद ग्राहकों द्वारा परस्पर उपयोग किए जाते हैं और समान उत्पाद हैं।

9. प्राधिकारी ने सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ-साथ घरेलू उद्योग के तर्कों की जांच की है। दोनों प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादित एफएसपी के बीच तकनीकी गुणों में अंतर के खिलाफ उठाए गए तर्कों के संबंध में, प्राधिकारी ने नोट किया कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार दोनों उत्पादन प्रक्रियाओं से उत्पादित अंतिम उत्पाद के तकनीकी और भौतिक गुण समान सीमा के भीतर आते हैं, और परस्पर तुलनीय और प्रतिस्थापन योग्य हैं।

10. इसके अतिरिक्त, यह देखा गया है कि दोनों उत्पादों का प्रयोक्ता उद्योग द्वारा परस्पर उपयोग किया जा रहा है और एक-दूसरे के विकल्प के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

11. इसके अतिरिक्त, कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया कि पॉलिएस्टर रेजिन को उत्पाद दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, जैसा कि पिछली जांचों में किया गया था। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि उसे पॉलिएस्टर रेजिन को बाहर करने पर कोई आपत्ति नहीं है। यह नोट किया गया है कि पॉलिएस्टर रेजिन शुरू से ही उत्पाद दायरे में शामिल नहीं था, अतः बाहर करने का कोई कारण नहीं है।

12. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को पीसीएन पद्धति के निर्धारण के संबंध में अपने अभ्यावेदन दायर करने का अवसर दिया। तथापि, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन पद्धति के निर्माण पर टिप्पणी नहीं दायर की। इसलिए, उत्पाद दायरा और पीसीएन पद्धति प्राधिकारी द्वारा दिनांक 16 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के माध्यम से अंतिम रूप दी गई।

13. अभिलेख पर जानकारी और साक्ष्य, इस उत्पाद और अन्य उत्पादों से संबंधित जांचों में प्राधिकारी द्वारा किए गए पिछले निर्धारणों के आधार पर और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विचाराधीन उत्पाद का दायरा निम्नानुसार है:

"3. विचाराधीन उत्पाद "फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीओल" है, जिसे एफएसपी के रूप में संक्षिप्त किया गया है। यह एक स्पष्ट चिपचिपा तरल पॉलिमर है जिसका आणविक भार 3000-4000 है, जो प्रोपलीन ऑक्साइड और एथिलीन

ऑक्साइड के एक ट्राइओल चैन स्टार्टर के साथ पोलिमेराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। यह एक पॉलिईथर है और उत्प्रेरकों और योजकों के साथ प्रतिक्रिया पर, पॉलिउरेथेन फोम उत्पन्न करता है जिसका उपयोग असबाब, गद्दे, तकिए, बोलस्टर, परिवहन बैठने और पैकेजिंग में होता है। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली प्रमुख कच्ची सामग्री प्रोपलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड हैं।"

"4. संबद्ध सामान को 1 फरवरी 2022 से सीमा प्रशुल्क अधिनियम के शीर्षक 3907 और शुल्क मद 3907 29 10 और 3907 29 90 के तहत अध्याय 39, अर्थात् 'प्लास्टिक और उसके उत्पाद' के तहत वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद को क्षति अवधि के एक भाग, अर्थात् 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 के लिए उप-शीर्षक 3907 20 के तहत भी आयात किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

14. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विशिष्टताओं, तकनीकी विशिष्टताओं, निर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, तथा माल के शुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समतुल्य है। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से परस्पर विनिमेय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के अर्थ में संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में 'समान वस्तु' है।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और प्रस्थिति

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन

15. घरेलू उद्योग के दायरे और प्रस्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अभ्यावेदन नहीं किए गए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

16. घरेलू उद्योग के दायरे और प्रस्थिति के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

(क) आवेदक देश में संबद्ध सामान का एकमात्र उत्पादक है और इस प्रकार कुल भारतीय उत्पादन में 100% की भागीदारी रखता है और पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

17. पाटनरोधी नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

"(ख) 'घरेलू उद्योग' का अर्थ है समान वस्तु के निर्माण में लगे संपूर्ण घरेलू उत्पादक और उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में लगे या वे जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है, सिवाय तब जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों। ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' शब्द को शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

18. वर्तमान आवेदन मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक भारत में संबद्ध सामान का एकमात्र उत्पादक है और भारत में संबद्ध सामान का कोई अन्य घरेलू उत्पादक नहीं है।

19. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देशों से संबद्ध सामान के आयात की समान वस्तु है।

20. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध सामान का आयात नहीं किया है। आवेदक संबद्ध देशों में संबद्ध सामान के किसी भी निर्यातक या भारत में संबद्ध सामान के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। इस प्रकार, आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग का गठन करता है, और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अर्थ में प्रस्थिति की आवश्यकता को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन

21. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अभ्यावेदन किए गए हैं:

(क) आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है - क्षमता उपयोग, प्रतिदिन उत्पादकता, स्टॉक और पीवीआईटी के लिए औसत उद्योग मानकों; लघु उद्योगों के लिए बिक्री मात्रा, मूल्य और प्राप्ति; आर एवं डी

व्यय; जुटाई गई निधि; बिक्री की प्रति यूनिट लागत - निर्यात; और +/-10% की सीमा में एनआईपी के संबंध में।

- (ख) आवेदक ने एनआईपी और शुद्ध बिक्री प्राप्ति के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, जो व्यापार सूचना 10/2018 का उल्लंघन है। प्राधिकरण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्टरेलाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम डीए मामले में दिए गए निर्णय; सीईएसटीएटी के एच एंड आर जॉनसन (इंडिया) लिमिटेड बनाम डीए मामले में दिए गए निर्णय; और डब्ल्यूटीओ अपीलिय निकाय के ईसी - चीन से कुछ लौह या इस्पात फास्टरों मामले में दिए गए निर्णय के आधार पर जानकारी का मूल्यांकन किए बिना गोपनीयता के दावे को स्वतः स्वीकार नहीं करना चाहिए था।

इ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

22. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं—

- क. गोपनीयता के दावों के संबंध में हितधारक पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क अत्यंत विलंबित हैं और उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।
- ख. आवेदक को ट्रेड नोटिस 5/2021 के अनुसार क्षमता उपयोग, प्रति दिन उत्पादकता, भंडार (इन्वेंट्री) तथा PBIT के औसत उद्योग मानकों; लघु उद्योगों के लिए बिक्री मात्रा, मूल्य तथा प्राप्ति; अनुसंधान एवं विकास व्यय; जुटाई गई निधि; तथा निर्यात के लिए प्रति इकाई बिक्री लागत की जानकारी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। अतः अत्यधिक गोपनीयता का कोई दावा नहीं बनता।
- ग. घरेलू उद्योग का अहानिकर मूल्य अत्यंत गोपनीय है और इसके प्रकटीकरण से ग्राहकों के साथ वार्ताओं में घरेलू उद्योग के प्रतिस्पर्धात्मक हितों को गंभीर क्षति हो सकती है। अतः इसे प्रकट नहीं किया जा सकता।
- घ. विषय देशों के निर्यातकों तथा उपयोगकर्ता उद्योग ने अपनी प्रश्नावली के उत्तरों में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, कुछ हितधारक पक्षों ने ऐसी जानकारी को भी पूर्णतः गोपनीय बताया है, जबकि वह जानकारी सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

इ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

23. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का अगोपनीय रूपांतर सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया।

24. जानकारी की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली का नियम 7 निम्नानुसार प्रावधान करता है:

"गोपनीय जानकारी: (1) नियम 6 के उप-नियमों (2), (3) और (7) में, नियम 12 के उप-नियम (2) में, नियम 15 के उप-नियम (4) में और नियम 17 के उप-नियम (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियाँ, या जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई भी अन्य जानकारी, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इसकी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा ऐसे ही माना जाएगा और ऐसी जानकारी को ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं किया जाएगा।"

(2) नामित प्राधिकरण गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से उस सूचना का अगोपनीय सार (Non-confidential summary) प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की राय में उस सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है, तो वह पक्ष नामित प्राधिकरण को यह स्पष्ट करते हुए कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है।

(3) उप-नियम (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि नामित प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, या सूचना प्रदान करने वाला पक्ष उस सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्यीकृत या सार रूप में उसके प्रकटीकरण की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की अपेक्षा कर सकता है।

25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई जानकारी की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया गया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपनी व्यवसाय-संबंधी संवेदनशील जानकारी को गोपनीय बताया है।

च. विविध अभ्यावेदन**च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन**

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अभ्यावेदन किए गए हैं:

- (क) घरेलू उद्योग लंबे समय से विभिन्न देशों से एफएसपी के आयात को प्रतिबंधित करने वाले पाटनरोधी शुल्कों का लाभार्थी रहा है और कुछ मामलों में आवेदन वापस लेने सहित, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को 2001 से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हुआ है।
- (ख) पिछले 22 वर्षों से संबद्ध सामान पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा है, जो उन्हें लगभग स्थायी चरित्र देता है।
- (ग) चूंकि शुल्क पाँच वर्षों की अवधि के लिए लगाया जाता है, अतः वित्त मंत्रालय द्वारा शुल्क न लगाने का जो निर्णय लिया गया है, वह भी पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहना चाहिए। शुल्क को अस्वीकार किए जाने के दो वर्षों के भीतर नई सिफारिश जारी करना वित्त मंत्रालय के निर्णय को कमजोर करेगा।
- (ङ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात संबंधी आँकड़े अविश्वसनीय हैं, क्योंकि वे प्राधिकरण द्वारा पूर्व अंतिम निष्कर्षों में प्रकाशित आयात आँकड़ों से मेल नहीं खाते। भले ही जांच की शुरुआत DGCI&S/DG सिस्टम के आयात आँकड़ों के आधार पर की गई हो, आवेदन अपूर्ण था और उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। यह वर्तमान कार्यवाही की निरर्थकता तथा आंतरिक असंगतियों को दर्शाता है।
- (च) याचिकाकर्ता ने उसी आधार वर्ष के लिए असंगत आँकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिनमें आयात मात्रा, कुल मांग तथा बाजार के आकार को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है, जबकि पहले हानि दर्शाने वाले वर्ष को अब लाभकारी मानक वर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह जानबूझकर किया गया हेरफेर कथित मात्रा एवं वित्तीय प्रभावों को कृत्रिम रूप से बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, जिससे बाजार में क्षति का एक विकृत चित्र सामने आता है।
- (छ) याचिका में प्रस्तुत क्षति से संबंधित मानक पूरी तरह अविश्वसनीय हैं और विश्वसनीय आधार वर्ष के अभाव में याचिकाकर्ता क्षति स्थापित करने में विफल रहा है। अतः वर्तमान जांच को जारी रखना अनुचित है।
- (ज) प्राधिकरण को उपयोगकर्ता उद्योग को आयात आँकड़े उसी प्रारूप और तरीके में उपलब्ध कराने चाहिए, जिस रूप में उन्हें अभिलेख पर रखा गया है। इस संबंध में Exotic Décor Pvt. Ltd. बनाम नामित प्राधिकरण के निर्णय पर भरोसा किया गया है।
- (झ) प्राधिकरण से अनुरोध है कि वह आवेदक द्वारा दावा किए गए बड़े-चढ़े मार्जिन के बजाय क्षति के निर्धारण के लिए DGCI&S/DG सिस्टम के आयात आँकड़ों का उपयोग करे।
- (ञ) वर्तमान याचिका में प्रस्तुत लाभप्रदता के आँकड़े प्राधिकरण द्वारा अपने अंतिम निष्कर्षों में दर्ज किए गए आँकड़ों से भिन्न हैं। अतः प्राधिकरण को गलत जानकारी के आधार पर जांच प्रारंभ नहीं करनी चाहिए थी।
- (ट) सुनवाई के दौरान इंगित की गई वर्तमान और पूर्व कार्यवाहियों के बीच कीमतों में अंतर, वर्तमान कार्यवाही की निरर्थकता और आंतरिक असंगतियों को उजागर करता है।
- (ठ) संघ की सदस्यता सार्वजनिक रूप से सत्यापित की जा सकती है, और संघ की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करने का आवेदक का कोई भी प्रयास अनुचित है, विशेष रूप से जब आवेदक स्वयं भी उस संघ का सदस्य है।
- (ड) वर्तमान जांच ऐसे आँकड़ों पर आधारित है जो चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड से फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीऑल से संबंधित पूर्व एंटी-डॉपिंग जांच में माननीय प्राधिकरण के स्वयं के सत्यापित निष्कर्षों से मौलिक रूप से असंगत हैं। वर्ष 2021-22, जो दोनों मामलों में आधार वर्ष था, का प्राधिकरण द्वारा अंतिम निष्कर्ष दिनांक 28 मार्च 2024 में आयात मात्रा, मांग के आँकड़ों तथा वित्तीय प्रदर्शन के साथ निर्णायक रूप से परीक्षण किया गया था।
- (ढ) याचिकाकर्ता की वर्तमान प्रस्तुति में चीन जनवादी गणराज्य और थाईलैंड से आयात को 59-83% तक तथा कुल बाजार मांग को 63% से अधिक तक बढ़ाकर दर्शाया गया है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इसी प्रकार, एक ऐसा वर्ष जिसे पहले नकारात्मक नकद लाभ और नकारात्मक ROCE के साथ हानि दर्शाने वाला वर्ष माना गया था, अब उसे लाभकारी बताया जा रहा है, जिससे आर्थिक स्थिति का विकृत चित्र प्रस्तुत होता है।

- (ण) याचिकाकर्ता द्वारा आंकड़ों की अस्पष्ट वृद्धि, वित्तीय जानकारी की चयनात्मक प्रस्तुति तथा सुनवाई के दौरान उठाए गए विरोधाभासों का समाधान न करना यह दर्शाता है कि प्रस्तुत आंकड़े अविश्वसनीय और पक्षपातपूर्ण हैं। परिणामस्वरूप, वर्तमान जांच विकृत तथ्यों पर आधारित है, इसकी विश्वसनीयता नहीं है, और इसे प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार किया जाना चाहिए।
- (घ) आवेदक ने शुल्क की अस्वीकृति से असंतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी से चीन और थाईलैंड पर शुल्क लगाने का अनुरोध किया। व्यापार उपचारात्मक जांच का दुरुपयोग आवेदन दायर करके नहीं किया जा सकता।
- (ङ) आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़े अविश्वसनीय हैं क्योंकि यह प्राधिकारी द्वारा पिछले अंतिम जांच परिणामों में प्रकाशित आयात डेटा के साथ मेल नहीं खाता।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

27. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अभ्यावेदन किए हैं:

- (क) व्यापार उपचार उपायों के दुरुपयोग के दावे गलत हैं, क्योंकि यह विदेशी उत्पादक हैं जो उचित बाजार का दुरुपयोग कर रहे हैं।
- (ख) अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के विपरीत, प्राधिकारी ने पाया था कि संबद्ध आयातों ने पिछली जांचों में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई थी और शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता थी, सिवाय उन मामलों के जहां आवेदक ने पाटन के विरुद्ध अस्थायी राहत को देखते हुए अपना आवेदन वापस ले लिया था।
- (ग) वित्त मंत्रालय ने पूर्व जांच में प्राधिकरण की सिफारिश को स्वीकार न करने के संबंध में कोई कारण प्रदान नहीं किया है, और इस संबंध में किसी भी प्रकार की अटकलों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
- (घ) आवेदक ने तृतीय पक्षकारों से प्राप्त आयात आंकड़ों पर भरोसा किया है, जबकि प्राधिकारी डीजीसीआई&एस/डीजी सिस्टम्स के आंकड़ों पर भरोसा करते हैं, जिससे आयात मात्रा में अंतर हो सकता है।
- (ङ) एसोसिएशन ने अपने सदस्यों की सूची प्रदान नहीं की है और न ही यह प्रदर्शित किया है कि उसके कौन से सदस्य उपायों से प्रभावित होंगे। इसलिए, उसने हितबद्ध पक्षकार के रूप में अपनी प्रस्थिति प्रदर्शित नहीं की है। एसोसिएशन को यह भी प्रदर्शित करना होगा कि उसे वैध रूप से भाग लेने के लिए प्राधिकृत किया गया था।
- (च) चूंकि निर्यातकों ने संबद्ध सामान का पाटन जारी रखा है, इसलिए घरेलू उद्योग को उपाय के लिए प्राधिकारी से संपर्क करने के लिए दोष नहीं दिया जा सकता।

च.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

28. इस संबंध में कि आवेदक व्यापार उपचारात्मक उपायों का दुरुपयोग कर रहा है और पिछले दो दशकों से व्यापार उपचारात्मक जांचों का लाभार्थी रहा है, प्राधिकरण ने पाया है कि सभी जांचें सभी पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत जांच के आधार पर की गई हैं और जहां भी प्रासंगिक हो, डंपिंग, क्षति और कारण संबंध की जांच के बाद ही शुल्क लगाने/जारी रखने की सिफारिश की गई है।

29. इस अभ्यावेदन के संबंध में कि प्राधिकारी ने प्रयोक्ता उद्योग को निर्धारित प्रारूप और तरीके में आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआई&एस/डीजी सिस्टम्स का लेनदेन-वार आयात आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है और वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत इसे किसी भी पक्षकार के साथ साझा नहीं किया जा सकता।

30. कुछ हितधारकों ने दावा किया है कि आवेदक द्वारा उपयोग किया गया डेटा विश्वसनीय नहीं है और इस प्रकार, मार्जिन के दावों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाता है कि आवेदक ने अपने आवेदन में बाजार स्रोतों से प्राप्त आयात डेटा पर भरोसा किया है। हालांकि, प्राधिकरण ने इस जांच के उद्देश्य से डीजीसीआई&एस/डीजी प्रणालियों के अनुसार आयात डेटा पर भरोसा किया है। इसके अलावा, सहयोगी निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन उनके द्वारा प्रस्तुत और प्राधिकरण द्वारा विधिवत सत्यापित डेटा पर आधारित होगा। इसलिए, आवेदक द्वारा अपने आवेदन में उपयोग किए गए आयात डेटा की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण नहीं है।

छ. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन

छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन

31. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अभ्यावेदन किए गए हैं:

- (क) प्राधिकारी को उनकी प्रतिक्रिया में निर्यातक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन की गणना करनी चाहिए।
- (ख) चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि प्रवेश प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो चुका है, जैसा कि चीन के विश्व व्यापार संगठन (WTO) में शामिल होने के समय अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा समझा गया था। इसलिए, सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए 'प्रतिस्थापक देश' निर्धारित करने की प्रथा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ईसी-फास्टनर्स (चीन) मामले में हाल ही में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट का संदर्भ लिया जा सकता है।
- (ग) भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य के रूप में "पैक्टा सुंट सर्वंडा" के सिद्धांत से बाध्य है और उसे 11 दिसंबर, 2016 से चीन की पूर्ण बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति को मान्यता देनी होगी। वह अपने दायित्वों को पूरा न करने के औचित्य के रूप में घरेलू कानून का हवाला नहीं दे सकता।
- (घ) व्हाइट हाउस द्वारा जारी वक्तव्य तथा यूरोपीय संघ परिषद के निर्णय से संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन से यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ भी इस समझ को साझा करते थे कि चीन जनवादी गणराज्य को केवल 11 दिसंबर 2016 तक ही गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जा सकता है।
- (ङ) डाउ थाईलैंड भारत में संबंधित वस्तुओं का प्रमुख आपूर्तिकर्ता नहीं है, कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 15% है, इसलिए भारत में कीमतों, आपूर्ति या प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने की इसकी कोई क्षमता नहीं है।
- (च) आवेदक किसी भी महत्वपूर्ण क्षति को प्रदर्शित करने में विफल रहा है, क्योंकि पीओआई के दौरान संबंधित देशों से आयात वास्तव में कम हो गया है और कथित आयात मात्राएँ बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई प्रतीत होती हैं और पहले के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती हैं। क्षति मापदंडों का उचित मूल्यांकन संबंधित आयातों के कारण किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को स्थापित नहीं करता है।

छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

32. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संदर्भ में घरेलू उद्योग ने निम्नानुसार अभ्यावेदन किए हैं:

- (क) चीनी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 के अनुसार किया जाना चाहिए क्योंकि किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार की मांग नहीं की है।
- (ख) प्राधिकरण को डॉव थाईलैंड द्वारा प्रस्तुत जानकारी, विशेष रूप से संबद्ध पक्षों से इनपुट की खरीद के संबंध में, सत्यापित करनी चाहिए। यदि ऐसी जानकारी उचित और सटीक पाई जाती है, तो ही इसका उपयोग निर्यातकों के लिए डंपिंग मार्जिन निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है।
- (ग) यदि निर्यातक यह सिद्ध करने में असमर्थ है कि संबद्ध पक्षों से खरीदे गए इनपुट उचित मूल्य पर थे, तो उत्पादक के लिए उत्पादन लागत का निर्धारण व्यापार मानचित्र डेटा के आधार पर थाईलैंड में प्रोपलीन और एथिलीन के आयात की कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए।
- (घ) प्राधिकरण को यह जांच करनी चाहिए कि क्या आंतरिक रूप से उत्पादित कच्चे माल का हस्तांतरण मूल्य बाजार मूल्य को दर्शाता है या नहीं।
- (ङ) प्राधिकरण द्वारा पिछली जांचों में डंपिंग पाए जाने से पता चलता है कि डंपिंग घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी या एकीकरण के स्तर के कारण नहीं है, बल्कि विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं के कारण है।
- (च) हितधारकों के दावों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने सकारात्मक मूल्य कटौती के आधार पर डंपिंग का दावा नहीं किया है।
- (छ) चीन के विश्व व्यापार संगठन (WTO) में प्रवेश प्रोटोकॉल की धारा 15(a)(ii) 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गई, जिसमें सामान्य मूल्य निर्धारण के दौरान चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया था। इसलिए,

चीन के निर्यातकों के लिए, वर्तमान जाँच में सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुलग्नक II के पैरा (vii) के आधार पर किया जाना चाहिए। कोई भी अन्य विधि WTO के प्रति भारत के दायित्व का उल्लंघन करेगी।

- (ज) हितधारकों के दावों के विपरीत, घरेलू उद्योग ने सकारात्मक मूल्य कटौती के आधार पर डंपिंग का दावा नहीं किया है।
- (झ) प्राधिकरण द्वारा पिछली जाँचों में डंपिंग पाए जाने से पता चलता है कि डंपिंग घरेलू उद्योग की प्रौद्योगिकी या एकीकरण के स्तर के कारण नहीं है, बल्कि विदेशी उत्पादकों द्वारा अपनाई गई अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं के कारण है।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

33. धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का अर्थ है:

"i) निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए निर्दिष्ट जैसी वस्तु के लिए, व्यापार के सामान्य दौर में, तुलनीय मूल्य, जो उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।"

ii) जब निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र के घरेलू बाज़ार में व्यापार के सामान्य क्रम में वैसी ही वस्तु की कोई बिक्री नहीं होती है, या जब बाज़ार की विशेष स्थिति या निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र के घरेलू बाज़ार में बिक्री की कम मात्रा के कारण, ऐसी बिक्री उचित तुलना की अनुमति नहीं देती है, तो सामान्य मूल्य या तो यह होगा:

(a) वैसी ही वस्तु का तुलनीय प्रतिनिधि मूल्य, जब उसे निर्यात करने वाले देश या क्षेत्र से, या किसी उपयुक्त तीसरे देश से निर्यात किया जाता है, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो; या

(b) उक्त वस्तु की मूल देश में उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागतों तथा लाभ के लिए उचित वृद्धि शामिल हो, जैसा कि उप-धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित किया गया हो;

बशर्ते कि, मूल देश के अलावा किसी अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में, और जहाँ वस्तु को केवल निर्यात करने वाले देश के माध्यम से ट्रांसशिप (स्थानांतरित) किया गया हो, या ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात करने वाले देश में नहीं होता हो, या निर्यात करने वाले देश में कोई तुलनीय मूल्य उपलब्ध न हो, तो सामान्य मूल्य का निर्धारण मूल देश में उसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा।

34. प्राधिकरण ने उन देशों से आयात की रिपोर्ट की गई मात्रा में, पिछली जाँच के निष्कर्षों और वर्तमान जाँच के बीच पाए गए अंतर से संबंधित तर्क पर ध्यान दिया है। वर्तमान जाँच में जिस डेटा पर भरोसा किया गया है, वह अद्यतन और सत्यापित आयात रिकॉर्ड पर आधारित है। किसी भी स्थिति में, मामूली अंतर से भारी मात्रा में आयात के समग्र रुझान में कोई बदलाव नहीं आता है, और न ही इससे क्षति के आकलन पर कोई प्रभाव पड़ता है।

35. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामानों के निम्नलिखित निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर की हैं:

- (क) डाउ केमिकल थाईलैंड लि., थाईलैंड (थाईलैंड)
- (ख) डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा (थाईलैंड)
- (ग) डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड (थाईलैंड)
- (घ) वानहुआ केमिकल ग्रुप कं., लि. (चीन)
- (ङ) वानहुआ केमिकल (यान्ताई) ट्रेडिंग कं., लि. (चीन)
- (च) वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट., लि. (चीन)

छ.4 चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य

36. WTO में चीन के प्रवेश प्रोटोकॉल का अनुच्छेद 15 निम्नलिखित प्रावधान करता है:

"GATT 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन पर समझौता ("एंटी-डंपिंग समझौता") और SCM समझौता, WTO सदस्य देश में चीनी मूल के आयात से जुड़ी कार्यवाहियों में निम्नलिखित के अनुरूप लागू होंगे।

(a) GATT 1994 के अनुच्छेद VI और एंटी-डंपिंग समझौते के तहत कीमतों की तुलनात्मकता निर्धारित करने में, आयात करने वाला WTO सदस्य देश या तो जाँच के दायरे में आई इंडस्ट्री के लिए चीनी कीमतों या लागतों का

उपयोग करेगा, या ऐसी कार्यप्रणाली का उपयोग करेगा जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो; यह निम्नलिखित नियमों पर आधारित होगा:

- (i) यदि जांच के दायरे में आए उत्पादक स्पष्ट रूप से यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद बनाने वाली इंडस्ट्री में, उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं, तो आयात करने वाला WTO सदस्य देश कीमतों की तुलनात्मकता निर्धारित करने में जांच के दायरे में आई इंडस्ट्री के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;
- (ii) आयात करने वाला WTO सदस्य देश ऐसी कार्यप्रणाली का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों या लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित न हो, यदि जांच के दायरे में आए उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दिखा पाते हैं कि समान उत्पाद बनाने वाली इंडस्ट्री में, उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां प्रचलित हैं।

(b) SCM समझौते के भाग II, III और V के तहत कार्यवाहियों में, जब अनुच्छेद 14(a), 14(b), 14(c) और 14(d) में वर्णित सब्सिडी पर विचार किया जाता है, तो SCM समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे; तथापि, यदि उस अनुप्रयोग में कोई विशेष कठिनाइयां आती हैं, तो आयात करने वाला WTO सदस्य देश सब्सिडी लाभ की पहचान करने और उसे मापने के लिए ऐसी कार्यप्रणालियों का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखती हैं कि चीन में प्रचलित नियम और शर्तें हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी कार्यप्रणालियों को लागू करते समय, जहां भी व्यावहारिक हो, आयात करने वाले WTO सदस्य देश को चीन के बाहर प्रचलित नियमों और शर्तों के उपयोग पर विचार करने से पहले, चीन में प्रचलित उन नियमों और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(c) आयात करने वाला WTO सदस्य देश उप-पैरा (a) के अनुसार उपयोग की गई कार्यप्रणालियों की सूचना एंटी-डंपिंग प्रथाओं पर समिति को देगा, और उप-पैरा (b) के अनुसार उपयोग की गई कार्यप्रणालियों की सूचना सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समिति को देगा।

(d) एक बार जब चीन, आयात करने वाले WTO सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत, यह साबित कर देता है कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप-पैरा (a) के प्रावधान समाप्त हो जाएंगे; बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में शामिल होने की तारीख तक बाजार अर्थव्यवस्था के मानदंड मौजूद हों। किसी भी स्थिति में, उप-पैरा (a)(ii) के प्रावधान शामिल होने की तारीख के 15 साल बाद समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा, यदि चीन, आयात करने वाले WTO सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार, यह साबित कर देता है कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ मौजूद हैं, तो उप-पैरा (a) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रावधान उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

37. आआवेदक ने चीन के एक्सेसशन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(a)(i) का हवाला दिया है और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन PR के उत्पादकों से यह साबित करने के लिए कहा जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में, उनके उद्योग में, जो वैसा ही उत्पाद बनाता है, बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियाँ मौजूद हैं। आवेदक ने कहा है कि यदि जवाब देने वाले चीनी उत्पादक यह साबित नहीं कर पाते हैं कि उनकी लागत और कीमत की जानकारी बाजार द्वारा निर्धारित है, तो सामान्य मूल्य की गणना नियमों के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के प्रावधानों के अनुसार की जानी चाहिए।

38. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में चीन के किसी भी सहयोगी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार का दावा नहीं किया है। तदनुसार, सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुलग्नक 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि:

“7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर, या ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों (भारत सहित) को बेची गई कीमत के आधार पर किया जाएगा; या जहाँ यह संभव न हो, वहाँ किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा—जिसमें भारत में वैसे ही उत्पाद के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन जोड़ने के लिए विधिवत समायोजित किया जाएगा। एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन नामित प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से किया जाएगा, जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर और विचाराधीन उत्पाद को ध्यान में रखा जाएगा; साथ ही, चयन के समय उपलब्ध किसी भी विश्वसनीय जानकारी को भी उचित रूप से संज्ञान में लिया जाएगा। समय-सीमा के भीतर, और जहाँ उपयुक्त हो, किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की गई

किसी भी जाँच को भी संज्ञान में लिया जाएगा। जाँच में शामिल पक्षों को, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन के बारे में बिना किसी अनुचित देरी के सूचित किया जाएगा, और उन्हें अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए एक उचित समय-अवधि दी जाएगी।”

39. आवेदक ने, अन्य तरीकों से सामान्य मूल्य की गणना के लिए आवश्यक जानकारी के अभाव में, भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया है। अन्य हितबद्ध पक्षों ने नियमों के अनुबंध I के पैराग्राफ 7 के अंतर्गत सूचीबद्ध आधारों में से कोई अन्य आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जो सामान्य मूल्य के निर्धारण का आधार बन सके।

40. जैसा कि ऊपर नोट किया गया है, पैरा 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित करता है और प्रदान करता है कि सामान्य मूल्य किसी बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। वर्तमान मामले में, किसी बाजार अर्थव्यवस्था तृतीय देश में प्रचलित कीमत या निर्मित मूल्य का कोई साक्ष्य किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुसार, प्राधिकारी एडी नियमावली, 1995 के अनुलग्नक-1 के पैरा 7 में निर्धारित अनुसार भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

तदनुसार, प्राधिकरण AD नियम, 1995 के अनुबंध - I के पैरा 7 में निर्धारित अनुसार, भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है; इसमें आवेदक की उत्पादन लागत को ध्यान में रखा गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों तथा उचित लाभों के लिए विधिवत समायोजित किया गया है। निर्धारित सामान्य मूल्य नीचे डंपिंग मार्जिन तालिका में दिया गया है।

छ.5 चीन जन.गण. के लिए निर्यात मूल्य

वानहुआ केमिकल ग्रुप कं., लि. के लिए निर्यात मूल्य

41. वानहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि. चीन के पीपल्स रिपब्लिक के कंपनी कानून के तहत निगमित और पंजीकृत एक लिमिटेड कंपनी है। जांच की अवधि के दौरान, वानहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि. ने दो संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों, अर्थात् वानहुआ केमिकल (यान्ताई) ट्रेडिंग कं. लि. और वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से *** एमटी मात्रा में संबद्ध सामान बेचे जिसका चालान मूल्य *** आरएमबी था।

42. यह और नोट किया जाता है कि वानहुआ केमिकल ग्रुप कं. लि. द्वारा वानहुआ केमिकल (यान्ताई) ट्रेडिंग कं. लि. को बेचे गए संबद्ध सामान (*** एमटी) को अंततः वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्राइवेट लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से भारत को बेचा गया है। उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री माल भाड़ा, बीमा, आंतरिक परिवहन, बंदरगाह और अन्य संबंधित व्यय और क्रेडिट लागत के आधार पर समायोजन का दावा किया है, और डेस्क सत्यापन के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया है।

चीन जन.गण. के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

43. चीन जन.गण. के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और वही नीचे पाटन मार्जिन तालिका में उल्लेखित है।

छ.6 थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

डाउ केमिकल थाईलैंड लि., थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

44. डाउ केमिकल थाईलैंड लिमिटेड ("डाउ थाईलैंड") ने अपनी निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान, डाउ थाईलैंड ने घरेलू बाजार में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे संबद्ध सामान बेचा। यह आगे नोट किया जाता है कि ऐसी घरेलू बिक्री पर्याप्त मात्रा में की गई थी।

45. सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध सामान की उत्पादन लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्री लेनदेन की लाभप्रदता की जांच करके साधारण व्यापार परीक्षण (ओसीटी) किया। जहां लाभकारी लेनदेन कुल घरेलू बिक्री के 80% से अधिक हो, वहां सभी घरेलू बिक्री सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए मानी जाती हैं। तथापि, जहां लाभकारी लेनदेन 80% से कम हैं, वहां केवल लाभकारी घरेलू बिक्री को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए ध्यान में लिया जाता है। ओसीटी परीक्षण के आधार पर, लाभकारी घरेलू बिक्री का अनुपात 80% से कम पाया गया और तदनुसार, केवल लाभकारी घरेलू बिक्री को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए माना गया है।

46. डाउ थाईलैंड ने आंतरिक परिवहन, क्रेडिट लागत, पैकिंग लागत और अन्य संबंधित खर्चों के मद में समायोजन का दावा किया। प्राधिकरण ने उचित सत्यापन के बाद दावा किए गए समायोजनों की अनुमति दे दी है और तदनुसार एक्स-फैक्ट्री स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री सामान्य मूल्य नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

थाईलैंड के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

47. थाईलैंड के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

छ.7 थाईलैंड के लिए निर्यात मूल्य**डाउ केमिकल थाईलैंड लि., थाईलैंड के लिए निर्यात मूल्य**

48. पीओआई के दौरान, डाउ थाईलैंड ने अपने संबद्ध निर्यातक, डाउ केमिकल पैसिफिक (सिंगापुर) प्राइवेट लिमिटेड ("डाउ सिंगापुर") को संबद्ध सामान बेचे। डाउ सिंगापुर ने बदले में एक अन्य संबद्ध व्यापारी, डाउ केमिकल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, दुबई शाखा ("डीसीआईपीएल दुबई") को संबद्ध सामान का चालान किया। डीसीआईपीएल दुबई ने बाद में भारत में असंबद्ध ग्राहकों को संबद्ध सामान बेचे।

49. डॉव सिंगापुर और डीसीआईपीएल दुबई द्वारा प्रस्तुत उत्तरों से यह स्पष्ट है कि डॉव थाईलैंड द्वारा भारत को निर्मित और निर्यात किए गए माल को संबंधित निर्यातक ने पीआईओ के दौरान हानि पर पुनः बेच दिया था। तदनुसार, प्राधिकरण ने शुद्ध निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए संबंधित निर्यातक द्वारा हुई हानि का उचित समायोजन किया है। डॉव थाईलैंड ने समुद्री माल डुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह संबंधी व्यय, ऋण लागत, पैकिंग व्यय और अन्य संबंधित व्ययों के लिए भी समायोजन का दावा किया था। प्राधिकरण ने उचित सत्यापन के बाद इन समायोजनों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित एक्स-फैक्ट्री निर्यात मूल्य नीचे दी गई डंपिंग मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

थाईलैंड के अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

50. थाईलैंड के सभी अन्य असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है।

छ.8 पाटन मार्जिन

51. वर्तमान जांच में निर्धारित सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन निम्नानुसार हैं। यह देखा जाता है कि संबद्ध देशों का पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक है और महत्वपूर्ण है।

पाटन मार्जिन तालिका

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	सामान्य मूल्य/सीएनवी (अमरीकी डॉलर/एमटी)	निर्यात मूल्य (अमरीकी डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन (अमरीकी डॉलर/एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (श्रेणी)
	चीन जन.गण.					
1.	वानहुआ ग्रुप कं., लि.	***	***	***	***	70-80
	अन्य कोई	***	***	***	***	90-100
	थाईलैंड					
2.	डाउ केमिकल थाईलैंड लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
	अन्य कोई	***	***	***	***	20-30

ज. क्षति और कार्य-कारण संबंध का आकलन**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन**

52. क्षति और कार्य-कारण संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अभ्यावेदन किए गए हैं:

(क) जांच की अवधि में चीन और थाईलैंड से आयात 2023-24 की तुलना में निरपेक्ष रूप से घटे हैं और सापेक्षिक रूप से केवल मामूली बढ़े हैं, और इस तरह, क्षति नहीं पहुंचा सकते थे।

- (ख) मूल्य कटौती पाटन का संकेत नहीं है बल्कि पुरानी प्रौद्योगिकी और पश्च-एकीकरण की कमी के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की उच्च लागत के कारण है।
- (ग) बिक्री लागत में वृद्धि मुख्य कच्चे माल, अर्थात् प्रोपलीन ऑक्साइड की कीमत में तेज गिरावट के विरोधाभासी है।
- (घ) आवेदक की समग्र लाभप्रदता वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार घटी है, जो दर्शाता है कि व्यापक व्यावसायिक कारक, न केवल आयात, क्षति का कारण हो सकते हैं।
- (ङ) जांच की अवधि के दौरान, सऊदी अरब और सिंगापुर जैसे अन्य देशों से होने वाला आयात, थाईलैंड से होने वाले आयात की तुलना में काफी अधिक था, और संभवतः इसी के कारण नुकसान हुआ है। इसके अलावा, सिंगापुर से भारी मात्रा में आयात होने के बावजूद, आवेदकों ने समय पर सिंगापुर से आने वाले माल पर लगने वाले शुल्कों की समीक्षा की मांग नहीं की; जिसके परिणामस्वरूप नुकसान का आकलन बढ़ा-चढ़ाकर किया गया और नुकसान तथा उसके कारण के बीच का संबंध भी गलत तरीके से स्थापित हुआ।
- (च) घरेलू उद्योग की कीमतें दबाव में थीं क्योंकि वह उच्च कच्चे माल की कीमतों और स्व-आरोपित आंतरिक व्यवधानों से प्रभावित अपनी उच्च लागत को पूरा करने में असमर्थ था।
- (छ) क्षमता में किसी वृद्धि के बिना घरेलू उद्योग की मूल्यह्रास लागत में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
- (ज) एच. आवेदक की घरेलू बिक्री में कमी का एकमात्र कारण आयात प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि बढ़ती मांग के अनुरूप आयात में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत, उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा आंतरिक उपभोग की ओर मोड़ दिया गया था।
- (झ) प्रोपलीन ऑक्साइड और एथिलीन ऑक्साइड की उपलब्धता में बाधाओं के कारण आवेदक उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ है।
- (ञ) मौखिन तूफान 'मिचौंग' के कारण उत्पन्न व्यवधानों को क्षति दावे का आकलन करते समय विचार में लिया जाना चाहिए।
- (ट) क्षमता उपयोग के लिए 22% प्रतिफल के विचार का कोई आधार नहीं है।
- (ठ) घरेलू उद्योग को होने वाली कोई भी क्षति संबद्ध आयातों के अलावा अन्य कारकों के कारण है, जिनमें सिंगापुर जैसे गैर-संबद्ध देशों से महत्वपूर्ण आयात, पुरानी उत्पादन प्रौद्योगिकी, उच्च कच्चे माल की लागत और पैमाने की कमी शामिल है।
- (ड) जांच की अवधि के दौरान चक्रवात 'मिचौंग' के कारण आवेदक के कार्यों में आई बाधाओं पर, क्षति के दावे का मूल्यांकन करते समय विचार किया जाएगा।
- (ढ) चक्रवात 'मिचौंग' के कारण आई बाधाएं, पर्यावरणीय मंजूरी से जुड़ी चुनौतियां, कच्चे माल के आयात पर निर्भरता और पुरानी KOH विधि पर निर्भरता जैसे कारकों के कारण उत्पादन, क्षमता उपयोग और उत्पादकता में कमी आई है।
- (ण) आवेदक के डेटा में स्थिर लाभप्रदता, क्षमता का पूरा उपयोग, बिना किसी रुकावट के संचालन, और प्लांट बंद होने या कर्मचारियों की छंटनी का कोई सबूत न होना दिखाई देता है। यह ऐसी इंडस्ट्री की स्थिति से मेल नहीं खाता जो किसी नुकसानदायक दबाव में हो।
- (त) बड़े वैश्विक खिलाड़ियों की तुलना में घरेलू इंडस्ट्री की सीमित उत्पादन क्षमता, उसे 'इकोनॉमीज़ ऑफ़ स्केल' (बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ) हासिल करने से रोकती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति-यूनिट लागत बढ़ जाती है। इसके अलावा, आवेदक 'बैकवर्ड इंटीग्रेटेड' नहीं है और मुख्य कच्चे माल के लिए दूसरे सप्लायर्स पर निर्भर है। अंत में, आवेदक PO और EO के सप्लायर्स से काफी दूरी पर स्थित है, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता और कम हो जाती है।
- (थ) बैकवर्ड इंटीग्रेशन की कमी के कारण घरेलू उद्योग को कच्चा माल किसी तीसरे पक्ष से खरीदना पड़ता है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है और उसके खराब प्रदर्शन में योगदान मिलता है, साथ ही
- (द) नॉन-इंजूरियस प्राइस की गणना के लिए लगाई गई पूंजी पर 22% के उच्च रिटर्न पर विचार करने का कोई आधार नहीं है, जो एनेक्सचर III के अनुरूप नहीं है। इस संबंध में ब्रिज स्टोन टायर मैन्युफैक्चरिंग मामले में CESTAT के निर्णय का हवाला दिया गया है, जिसमें यह माना गया था कि 22% रिटर्न अपनाना गलत था, क्योंकि यह इंजरी मार्जिन की एक बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई तस्वीर दिखाता है।

- (ध) घरेलू उद्योग को हुई कोई भी क्षति, विषय-आयात के अलावा अन्य कारकों के कारण हुई है; इन कारकों में सिंगापुर जैसे गैर-विषय देशों से होने वाला भारी आयात, पुरानी उत्पादन तकनीक, कच्चे माल की अधिक लागत और पैमाने की कमी शामिल हैं। इसलिए, चीन और थाईलैंड से कथित डंपिंग और दावा की गई क्षति के बीच कोई भी कारण-संबंध स्थापित नहीं होता है।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

53. क्षति और कार्य-कारण संबंध के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क. नियमों के अंतर्गत संचयी मूल्यांकन का प्रावधान अनिवार्य है और वर्तमान मामले में इसके लिए निर्धारित शर्तें पूरी होती हैं।
- ख. क्षति अवधि के दौरान विषयगत आयातों की मात्रा में पूर्ण रूप से तथा भारत के उत्पादन और उपभोग के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यद्यपि जांच अवधि में आयात की मात्रा में कुछ कमी आई है, फिर भी आयात का स्तर महत्वपूर्ण बना हुआ है।
- ग. आयातों की वृद्धि की दर देश में मांग की वृद्धि की दर से अधिक रही है। वास्तव में, विषयगत आयात देश में मांग-आपूर्ति अंतर से भी अधिक हैं।
- घ. प्रमुख कच्चे माल प्रोपिलीन की कीमत में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न होने के बावजूद, क्षति अवधि के दौरान विषयगत आयातों की उतरी हुई कीमत में तीव्र गिरावट आई है। जहाँ वैश्विक स्तर पर प्रोपिलीन ऑक्साइड की आयात कीमत में 6 प्रतिशत की कमी आई, वहीं उतरी हुई कीमत में 44 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
- ङ. कच्चे माल की कीमतों के ऊपर उतरी हुई कीमतों का अंतर क्षति अवधि के दौरान कम हुआ है।
- च. विषयगत आयात घरेलू उद्योग की कीमतों से कम रहे।
- छ. विषयगत आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाया और कम किया।
- ज. घरेलू उद्योग की लागत पूर्ण रूप से कम हुई है, जिसमें स्थिर लागत और उपयोगिताओं की लागत भी शामिल है। तथापि, डंपिंग के कारण उत्पादन में कमी आई और परिणामस्वरूप प्रति इकाई लागत अधिक हो गई।
- झ. जांच अवधि के बाद की अवधि में आयात की मात्रा बढ़ी है, जबकि इन आयातों की कीमतों में और गिरावट आई है।
- ञ. कम कीमत वाले विषयगत आयातों की बढ़ती मांग के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री में उल्लेखनीय कमी आई। इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को उत्पादन कम करना पड़ा और उसकी उत्पादन मात्रा घट गई।
- ट. घरेलू बिक्री में कमी सीधे तौर पर सभी स्रोतों से बढ़ते डंप किए गए आयातों से संबंधित है।
- ठ. यद्यपि घरेलू उद्योग की आंतरिक खपत अवधि के दौरान बढ़ी, फिर भी यह क्रमशः उत्पादन और बिक्री के संबंध में 3 प्रतिशत और 4 प्रतिशत से कम रही।
- ड. मांग-आपूर्ति अंतर होने के बावजूद, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग 50 प्रतिशत से कम क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा था।
- ढ. इस दावे के विपरीत कि शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग में कोई सुधार नहीं हुआ, घरेलू उद्योग डंप किए गए आयातों के निरंतर दबाव के कारण अपनी क्षमता नहीं बढ़ा सका।
- ण. अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथा होने के कारण डंपिंग की स्थिति में घरेलू उद्योग से प्रदर्शन में सुधार दिखाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। घरेलू उद्योग से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऐसी मूल्य प्रथाओं को संतुलित करने के लिए कदम उठाए।
- त. अवधि के दौरान डंप किए गए आयातों की मांग बढ़ने से विषयगत आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा, जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा अत्यंत कम रहा।
- थ. घरेलू उद्योग को भंडार के उल्लेखनीय संचय का सामना करना पड़ा, जो क्षति अवधि के दौरान 637 प्रतिशत तक बढ़ गया।

- द. वर्ष 2022-23 से घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण वित्तीय हानियाँ हो रही हैं, जिनमें नकद हानि भी शामिल है, और उसके निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुआ है।
- ध. घरेलू उद्योग को हुई क्षति किसी अन्य कारक के कारण नहीं है।
- न. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग के पास पिछड़ा एकीकरण नहीं है, आवेदक को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसके लिए एक रिफाइनरी स्थापित करने हेतु बहु-मिलियन निवेश की आवश्यकता होगी, जो व्यवहार्य नहीं है।
- प. घरेलू उद्योग की क्षति का परीक्षण उसी स्थिति में किया जाना चाहिए जिसमें वह मौजूद है और उद्योग में अंतर्निहित कारकों को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता, जैसा कि विभिन्न मामलों में न्यायिक मंचों द्वारा माना गया है और अनेक जांचों में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया है।
- फ. विषयगत आयात क्षति के कारणों में से एक होना चाहिए, न कि एकमात्र कारण, जैसा कि विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विवाद मामलों में माना गया है।
- ब. सिंगापुर से आयात की कीमतें विषयगत आयातों से अधिक हैं। शुल्क को समायोजित करने के बाद भी सिंगापुर से आयात की उतरी हुई कीमत जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों से कम नहीं थी। अतः ऐसे आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित नहीं किया।
- भ. चक्रवात के कारण हुए बंद के प्रभावों को हटाकर कुल क्षमता को समायोजित करने के बाद भी घरेलू उद्योग की क्षमता का उपयोग काफी कम रहा। इसके अतिरिक्त, चूँकि परिवर्ती लागत कुल लागत का 80 प्रतिशत से अधिक है, इसलिए बंद होने से बड़ी लागत घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकती।
- म. विषयगत वस्तु को आवंटित मूल्यहास लागत आवंटन पद्धति में परिवर्तन के कारण बदली है। तथापि, यह लागत कुल लागत का केवल 1 से 3 प्रतिशत है और इसलिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकती।
- य. घरेलू उद्योग का कर, ब्याज, मूल्यहास तथा परिशोधन से पूर्व लाभ भी क्षति अवधि के दौरान घटा है, जो यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति मूल्यहास लागत में वृद्धि के कारण नहीं है।
- र. एंटी-डंपिंग जांच में घरेलू उद्योग के अन्य उत्पादों का प्रदर्शन प्रासंगिक नहीं है।
- ल. कंपनी की समग्र लाभप्रदता में गिरावट का प्रमुख कारण सस्ते आयातों में तीव्र वृद्धि है, जिसने आवेदक के बाजार हिस्से को कम कर दिया।
- व. अन्य हितधारक पक्षों के तर्कों के विपरीत, घरेलू उद्योग को कच्चे माल की आपूर्ति में कोई कमी नहीं हुई।
- श. भले ही तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि घरेलू उद्योग को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ा, फिर भी इससे घरेलू उद्योग पर पड़े मूल्य दबाव की व्याख्या नहीं होती।
- ष. जबकि अन्य हितधारक पक्षों ने यह दावा किया है कि गैर-हानिकर मूल्य के निर्धारण के लिए 22 प्रतिशत प्रतिफल देना उचित नहीं है, उन्होंने यह नहीं बताया कि कितना प्रतिफल दिया जाना चाहिए। संबंधित प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को वह प्रतिफल स्वीकार करना चाहिए जो घरेलू उद्योग ने अतीत में तब अर्जित किया था जब वह डंपिंग से प्रभावित नहीं था।
- स. एक न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसार, यदि भिन्न प्रतिफल का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो 22 प्रतिशत प्रतिफल उचित माना जा सकता है क्योंकि यह दर अनेक मामलों में लगातार अपनाई गई है।
- ह. यद्यपि अन्य हितधारक पक्षों ने यूरोपीय आयोग की प्रथा का उल्लेख किया है, उन्होंने यह नहीं बताया कि आयोग निष्पक्ष विक्री मूल्य का निर्धारण कुल उत्पादन लागत के आधार पर बिना किसी समायोजन के करता है, जो प्राधिकरण की प्रथा से भिन्न है।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

54. एंटी-डंपिंग नियमों का नियम 11, जिसे एनेक्सचर II के साथ पढ़ा जाए, यह प्रावधान करता है कि किसी क्षति के निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संकेत दे सकते हैं, "...सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें डंप किए गए आयात की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनका प्रभाव, और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयात का परिणामी प्रभाव शामिल है..."। कीमतों पर डंप किए गए आयात के प्रभाव पर विचार करते समय, यह जांचना आवश्यक माना जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की

तुलना में डंप किए गए आयात द्वारा कीमतों में कोई महत्वपूर्ण कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयात का प्रभाव किसी अन्य तरीके से कीमतों को काफी हद तक नीचे गिराना है, या कीमतों में होने वाली उस वृद्धि को काफी हद तक रोकना है जो अन्यथा हो गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर डंप किए गए आयात के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति से संबंधित संकेतकों जैसे कि उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री की मात्रा, इन्वेंट्री, लाभप्रदता, शुद्ध बिक्री प्राप्ति, डंपिंग की मात्रा और मार्जिन आदि पर एंटी-डंपिंग नियमों के एनेक्सचर II के अनुसार विचार किया गया है।

55. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षों के तर्कों और प्रति-तर्कों की जांच की है। प्राधिकरण द्वारा नीचे किया गया विश्लेषण, हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अभ्यावेदनों को संबोधित करता है।

ज.4 क्षति का संचयी आकलन

56. WTO समझौते के अनुच्छेद 3.3 और नियमावली के अनुलग्नक II के पैरा (iii) के अनुसार जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात एक साथ पाटनरोधी जांच के अधीन हों, प्राधिकारी ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी आकलन करेगा:

- (क) हर देश से इंपोर्ट के संबंध में तय डंपिंग मार्जिन एक्सपोर्ट कीमत के प्रतिशत के तौर पर दो प्रतिशत से ज्यादा है और हर देश से इंपोर्ट की मात्रा समान चीज़ के इंपोर्ट का तीन प्रतिशत (या उससे ज्यादा) है या जहाँ अलग-अलग देशों का एक्सपोर्ट तीन प्रतिशत से कम है, वहाँ कुल इंपोर्ट समान चीज़ के इंपोर्ट का सात प्रतिशत से ज्यादा है, और
- (ख) आयात के प्रभाव का संचयी आकलन आयातित वस्तु और समान घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों के मद्देनजर उचित है।

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (क) संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में पाटित किए जा रहे हैं। प्रत्येक संबद्ध देश से पाटन का मार्जिन नियमावली के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
- (ख) प्रत्येक संबद्ध देश से आयात की मात्रा कुल आयात मात्रा के 3% से अधिक है।
- (ग) आयात के प्रभाव का संचयी आकलन उचित है क्योंकि संबद्ध देशों से आयात न केवल एक-दूसरे द्वारा प्रस्तावित समान वस्तुओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करते हैं, बल्कि भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित समान वस्तुओं के साथ भी।

58. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी समझते हैं कि चीन जन.गण. और थाईलैंड से संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के घरेलू उद्योग पर प्रभाव का आकलन करना उचित है।

ज.5 पाटित आयातों का मात्रा प्रभाव

(क) मांग/प्रत्यक्ष उपभोग का आकलन

59. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में उत्पाद की मांग या प्रत्यक्ष उपभोग को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे दी गई तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बंधक उपभोग को छोड़कर					
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	99	81	44
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	22,540	40,530	46,101	30,733

अन्य देशों से आयात (ADD आकर्षित करने वाले देशों सहित)	एमटी	77,026	79,146	94,975	1,18,040
कुल मांग	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	117	132	133

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच अवधि
बंधक उपभोग सहित					
घरेलू उद्योग की बिक्री	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	82	45
विषय देशों से आयात	मीट्रिक टन	22,540	40,530	46,101	30,733`
अन्य देशों से आयात	मीट्रिक टन	77,026	79,146	94,975	1,18,040
कुल मांग	मीट्रिक टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	117	132	133

60. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध सामानों की मांग क्षति अवधि में वर्ष-दर-वर्ष बढ़ी है और जांच की अवधि में सर्वाधिक थी।

(ख) संबद्ध देशों से आयात की मात्रा

61. आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों में भारत में उत्पादन या उपभोग के संबंध में निरपेक्ष रूप से या सापेक्षिक रूप से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स आंकड़े से प्राप्त लेनदेन-वार आयात डेटा पर भरोसा किया है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
संबद्ध देशों से आयात	एमटी	22,540	40,530	46,101	30,733
चीन जन.गण.	एमटी	5,734	21,134	18,354	14,563
थाईलैंड	एमटी	16,806	19,395	27,748	16,169
अन्य देशों से आयात	एमटी	77,026	79,146	94,975	1,18,040
कुल आयात	एमटी	99,566	1,19,675	1,41,076	1,48,773
घरेलू उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	181	240	231

उपभोग/मांग के संबंध में	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	154	155	103
कुल आयात में हिस्सा	%	23%	34%	33%	21%

62. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- संबद्ध देशों से आयात की मात्रा क्षति अवधि में बढ़ी है। आयात की मात्रा आधार वर्ष से 2023-24 तक बढ़ी और उसके बाद पीओआई में घटी।
- भारत में उत्पादन के संबंध में आयात पीओआई में मामूली गिरावट के बावजूद क्षति अवधि में महत्वपूर्ण रूप से बढ़े।
- भारत में उपभोग के संबंध में आयात 2023-24 तक बढ़े लेकिन जांच की अवधि में घटे।
- कुल आयात में संबद्ध आयातों का हिस्सा 2022-23 में 34% तक बढ़ गया और 2023-24 में लगभग समान रहा। उसके बाद, जांच की अवधि में संबद्ध आयातों का हिस्सा घटा।

ज.6 पाटित आयातों का मूल्य प्रभाव

63. नियमावली के अनुलग्नक II (ii) के अनुसार, पाटित आयातों के मूल्यों पर प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को विचार करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण मूल्य कटौती हुई है, या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण हद तक दबाना या मूल्य वृद्धि को रोकना है।

(क) मूल्य कटौती

64. मूल्य कटौती का निर्धारण जांच की अवधि के लिए घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति की तुलना आयातों की उतरी कीमत से करके किया गया है।

विवरण	इकाई	पीओआई
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***
उतरी कीमत	₹/एमटी	***
मूल्य कटौती	₹/एमटी	***
मूल्य कटौती	%	***
मूल्य कटौती	श्रेणी	15-25%

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर हैं। संबद्ध देशों से मूल्य कटौती सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

(ख) घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री लागत पर उतरी कीमत का अंतर

66. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि कच्चे माल की लागत में किसी भी महत्वपूर्ण उतार-चढ़ाव के बावजूद, लैंडेड कीमत लगातार घटती रही है और यहाँ तक कि यह सामग्री की लागत से भी कम थी। इस अवधि के दौरान आयात की लैंडेड कीमत में 43% की गिरावट आई है। इसके अलावा, जहाँ 2021-22 में संबंधित आयातों की कीमत घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत से काफी अधिक थी, वहीं यह अंतर (डेल्टा) काफी कम हो गया है। जांच की अवधि में, संबंधित आयातों की कीमत घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत से कम थी।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कच्ची सामग्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
उतरी कीमत	₹/एमटी	1,82,636	1,36,745	1,09,777	1,04,720

मार्क-अप	₹/एमटी	***	***	***	***
मार्क-अप	श्रेणी	60-70%	10-20%	0-10%	(0-10)%

(ग) मूल्य दबाव/अवसादन

67. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को महत्वपूर्ण हद तक दबा रहे हैं या अन्यथा कीमतों को दबाने या मूल्य वृद्धि को रोकने का प्रभाव कर रहे हैं, प्राधिकारी ने क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की लागत और कीमतों में परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	108	98	117
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	69	64	66
उतरी कीमत	₹/एमटी	1,82,636	1,36,745	1,09,777	1,04,720
रुझान	सूचकांकित	100	75	60	57

68. प्राधिकारी नोट करते हैं कि 2022-23 में बिक्री लागत बढ़ी। तथापि, संबद्ध आयातों की कीमतों में तेज गिरावट के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट आई। जांच की अवधि के दौरान, बिक्री लागत में लगभग 20% की वृद्धि हुई, जबकि बिक्री कीमत में केवल मामूली 3-4% की वृद्धि हुई, यहां तक कि जैसे आयात की उतरी कीमत में गिरावट जारी रही। आधार वर्ष से रुझानों की जांच से पता चलता है कि जहां घरेलू उद्योग की बिक्री लागत बढ़ी है, वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत उतरी कीमतों में 43% की गिरावट के बाद 34% घट गई है। इसलिए, यह नोट किया जाता है कि आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाया है और अन्यथा जो मूल्य वृद्धि होती उसे रोका है।

ज.7 घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

69. पाटनरोधी नियमावली के अनुल्लंघन II की आवश्यकता है कि क्षति के निर्धारण में संबद्ध सामान के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। नियमावली आगे प्रावधान करती है कि उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का मूल्यांकन, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिफल या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट शामिल है।

(क) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा

70. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नानुसार थे:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	100	100	100
उपलब्ध क्षमता	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	100	100	86
उत्पादन	एमटी	***	***	***	***

रुझान	सूचकांकित	100	99	85	59
क्षमता उपयोग*	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	94	102	65
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	99	77	49
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	37	25	12
बंधक उपभोग	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	181	296	364

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि:

- (क) क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्थापित क्षमता स्थिर रही है।
- (ख) क्षति की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री में हुई भारी गिरावट के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपने उत्पादन में कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा।
- (ग) क्षमता उपयोग में भी क्षति अवधि में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। जांच की अवधि में, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता के केवल आधे पर काम कर रहा था।

72. यह भी तर्क दिया गया है कि उत्पादन में गिरावट मौखिन तूफान के कारण संयंत्र बंद होने से जुड़ी है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि तूफान से संबंधित बंद होने के प्रभाव को हटाने के लिए क्षमता का समायोजन करने के बाद भी, घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 50% से कम है। इसलिए, जांच की अवधि में प्रदर्शन में गिरावट को संयंत्र बंद होने का कारण नहीं ठहराया जा सकता।

73. इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि संबद्ध सामान का बंधक उपभोग बढ़ा है, हालांकि घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री घटी है। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि बंधक उपभोग की मात्रा कम रही और कुल उत्पादन मात्रा और कुल घरेलू बिक्री की मात्रा की तुलना में नगण्य हिस्सेदारी रही।

(ख) बाजार हिस्सेदारी

74. आयातों और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बंधक उपभोग को छोड़कर बाजार हिस्सेदारी					
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	87	62	31
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	153	153	105
अन्य आयात	%	***	***	***	***

रुझान	सूचकांकित	100	88	94	115
कैप्टिव खपत सहित बाजार हिस्सा					
घरेलू उद्योग*	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	Indexed	100	87	62	31
विषय देशों से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	Indexed	100	153	153	105
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	Indexed	100	88	94	115

75. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है। तथापि, पीओआई में संबद्ध आयातों की बाजार हिस्सेदारी आधार वर्ष के मोटे तौर पर समतुल्य है।

(ग) स्टॉक

76. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की स्टॉक स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
प्रारंभिक स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
समापन स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
औसत स्टॉक	एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	89	247	737

77. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग का स्टॉक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, जो घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है।

(घ) लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

78. घरेलू उद्योग के प्रदर्शन की जांच लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल के संबंध में की गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	108	98	117
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	69	64	66
लाभ/(हानि)	₹/एमटी	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	-30	-22	-63
लाभ/(हानि)	₹ लाख	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	-30	-17	-28
नकद लाभ	₹ लाख	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	-25	-14	-23
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	-50	-41	-68

79. प्राधिकारी निम्नलिखित नोट करते हैं:

- (क) घरेलू उद्योग ने 2021-22 तक पर्याप्त लाभ अर्जित किया। तथापि, 2022-23 में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता घटी। बिक्री कीमतों में तेज गिरावट के कारण घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण हानि हुई, यद्यपि लागत बढ़ी।
- (ख) जांच की अवधि के दौरान, आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई।
- (ग) घरेलू उद्योग को अवधि में नकद लाभ में भी गिरावट का सामना करना पड़ा।
- (घ) घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में महत्वपूर्ण गिरावट आई। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल, जो 2021-22 में स्वस्थ था, 2022-23 में नकारात्मक हो गया और उसके बाद भी नकारात्मक रहा।

80. अन्य हितधारकों द्वारा प्रस्तुत इस तथ्य के संबंध में कि पिछली जांच में हुए नुकसान को वर्तमान जांच में लाभ में परिवर्तित कर दिया गया है, यह ध्यान दिया जाता है कि पिछली जांच की अवधि (अक्टूबर 2021 से सितंबर 2021) के दौरान, पीयूसी के निर्माण में प्रयुक्त एक महत्वपूर्ण घटक, प्रोपलीन ऑक्साइड, संबंधित पक्ष से घरेलू स्तर पर (उचित मूल्य पर) प्राप्त किया गया था और इसका उत्पादन भी आंतरिक रूप से किया गया था। पिछली हानि अवधि के दौरान हस्तांतरण मूल्य की पद्धति घरेलू खरीद (अर्थात्, संबंधित पक्ष से उचित मूल्य पर) पर आधारित थी। इसके परिणामस्वरूप कच्चे माल की कीमत अधिक हुई, जिससे बिक्री की लागत बढ़ गई और पीयूसी को परिणामी नुकसान हुआ। समान तुलना के लिए हानि अवधि के चारों वर्षों में यही प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि, चूंकि इनपुट कच्चे माल को बाजार मूल्य पर माना गया था, इसलिए पूंजी पर प्रतिफल निर्धारित करने के लिए ऐसे आंतरिक इनपुट के लिए नियोजित पूंजी को शामिल नहीं किया गया था। वर्तमान जांच अवधि में, पीआईओआई (अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024) के दौरान, घरेलू उद्योग ने प्रोपलीन ऑक्साइड का उत्पादन स्वयं किया और इसे लागत मूल्य पर हस्तांतरित किया। इसलिए, पूरी वर्तमान क्षति जांच अवधि (जिसमें पिछली जांच अवधि के साथ साझा वित्तीय वर्ष 2021-22 भी शामिल है) के लिए, समान तुलना के लिए समान प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक था। अतः, पीयूसी की उत्पादन लागत निर्धारित करने के लिए, स्वयं निर्मित इनपुट, अर्थात् प्रोपलीन ऑक्साइड, के हस्तांतरण मूल्य को लागत मूल्य पर माना गया है। इसके अलावा, पूंजी पर प्रतिफल की गणना के लिए, ऐसे स्वयं निर्मित इनपुट में लगाई गई पूंजी को पीयूसी में लगाई गई पूंजी में जोड़ा गया है।

(ड) रोजगार, उत्पादकता और वेतन

81. प्राधिकारी ने रोजगार, वेतन और उत्पादकता से संबंधित जानकारी की जांच की है, जो नीचे दी गई है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	100	100	100
प्रतिदिन उत्पादकता	एमटी/दिन	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	99	85	59
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी/संख्या	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	100	100	100
वेतन	₹ लाख	***	***	***	***
रुझान	सूचकांकित	100	104	42	88

82. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या और प्रति कर्मचारी उत्पादकता अपरिवर्तित रही है। तथापि, प्रतिदिन उत्पादकता क्षति अवधि में घटी। वेतन में 2022-23 में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन उसके बाद घटी और पीओआई में आधार वर्ष के स्तर से नीचे रही।

(च) वृद्धि

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	पीओआई
स्थापित क्षमता	%	-	-	-	-
उत्पादन	%	-	-1%	-14%	-31%
घरेलू बिक्री	%	-	-1%	-19%	-46%
प्रति यूनिट लाभ/(हानि)	%	-	-130%	-29%	193%
नकद लाभ	%	-	-125%	-45%	65%
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	%	-	-150%	-19%	67%

83. प्राधिकारी नोट करते हैं:

(क) क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता में कोई बदलाव नहीं आया है।

(ख) घरेलू बिक्री में नकारात्मक वृद्धि हुई है।

(ग) लाभप्रदता मापदंडों में महत्वपूर्ण नकारात्मक वृद्धि हुई है क्योंकि घरेलू उद्योग को लगातार हानि होती रही है।

84. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग बिक्री लागत में वृद्धि के संबंध में अपनी कीमतें बढ़ाने में असमर्थ रहा है। संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग को उसकी लागत से नीचे सामान बेचने के लिए मजबूर किया है। आगे, संबद्ध आयातों ने घरेलू कीमतों में काफी कटौती की है, जिससे घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में गिरावट आई है।

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध सामान संबद्ध देशों से भारत में पाटित किए जा रहे हैं। पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।

झ. गैर-आरोपण विश्लेषण और कार्य-कारण संबंध**झ.1 गैर-आरोपण विश्लेषण**

86. क्षति के अस्तित्व, पाटित आयातों के मात्रा और मूल्य प्रभाव की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने जांच की है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति नियमावली के तहत सूचीबद्ध पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य कारक से हो सकती है।

(क) तृतीय देशों से आयात की मात्रा और मूल्य

87. यह नोट किया जाता है कि सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएसए, जापान, कोरिया, ताइवान जैसे अन्य देशों से संबद्ध सामान महत्वपूर्ण मात्रा में आयात किए जा रहे हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह वर्तमान में सऊदी अरब से आयातों के विरुद्ध लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सिंगापुर सहित अन्य देशों से आयात संबद्ध देशों की कीमतों से अधिक कीमत पर हैं।

88. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि सिंगापुर से आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है, न कि संबद्ध सामानों ने। अभिलेख पर आंकड़े के अनुसार, सिंगापुर से आयातों की कीमतें संबद्ध आयातों की कीमतों से अधिक हैं।

(ख) मांग में संकुचन

89. क्षति अवधि में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ी है और जांच की अवधि के दौरान सर्वाधिक थी। मांग में संभावित संकुचन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

(ग) उपभोग का स्वरूप

90. विचाराधीन उत्पाद के उपभोग के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता था।

(घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

91. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं या प्रतिस्पर्धा की स्थितियां नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती थीं।

(ङ) प्रौद्योगिकी में विकास

92. संबद्ध सामान के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

(च) उत्पादकता

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की प्रति कर्मचारी उत्पादकता अधिकाधिक स्थिर रही है। इसलिए, इस आधार पर घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

(छ) घरेलू उद्योग का निर्यात प्रदर्शन

94. उपर्युक्त परीक्षित क्षति जानकारी केवल अपने घरेलू बाजार के संदर्भ में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन से संबंधित है। इस प्रकार, होने वाली क्षति को घरेलू उद्योग के निर्यात प्रदर्शन के कारण नहीं ठहराया जा सकता।

(ज) अन्य उत्पादों का प्रदर्शन

95. होने वाली क्षति को कंपनी के अन्य उत्पादों के प्रदर्शन के कारण नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि घरेलू उद्योग ने केवल समान वस्तु के संबंध में जानकारी अलग करके प्रदान की है।

(झ) घरेलू उद्योग के संयंत्र पञ्च-एकीकृत नहीं हैं और पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग

96. इस अभ्यावेदन के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति संयंत्रों में पञ्च-एकीकरण की कमी, पुरानी प्रौद्योगिकी के उपयोग और मूल्यहास बोझ जैसी अपनी अक्षमताओं के कारण हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसे कारक उद्योग में अंतर्निहित हैं और अपरिवर्तित रहे हैं। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे कारकों ने अब घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाना शुरू किया है।

(ञ) मौखिन तूफान का प्रभाव

97. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को मीचौंग तूफान के कारण बंद होने के कारण क्षति हो सकती है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने तूफान के कारण हुई बंदी के प्रभाव को अलग किया है, और तूफान से संबंधित बंदी के प्रभाव को हटाने के लिए अपनी उपलब्ध क्षमताओं को कम किया है। तथापि, तूफान से संबंधित बंदी के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए क्षमता में समायोजन करने के बावजूद, घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण कम उपयोग का सामना करना पड़ा है।

कार्य-कारण संबंध स्थापित करने वाले कारक

98. जबकि नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचाई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:

- (i) संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों का महत्वपूर्ण पाटन है।
- (ii) पाटित आयातों की मात्रा क्षति अवधि में बढ़ी है।
- (iii) भारतीय उपभोग और उत्पादन के संबंध में भी आयात की मात्रा बढ़ी है।
- (iv) पाटित आयातों में वृद्धि ने घरेलू उद्योग की पारिश्रमिक कीमतों पर बाजार में अपना सामान बेचने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है और संबद्ध आयातों ने घरेलू कीमतों में कटौती जारी रखी है।
- (v) परिणामस्वरूप, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी, जबकि हस्तक्षेप के वर्षों में आयात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और जांच की अवधि के दौरान पर्याप्त रहा।
- (vi) घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री मात्रा क्षति अवधि में घटी है।

- (vii) घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण स्टॉक संचय का सामना करना पड़ा क्योंकि वह अपना उत्पाद बाजार में बेचने में असमर्थ था।
- (viii) घरेलू उद्योग को हानि और नकद हानि हुई है।
- (ix) घरेलू उद्योग किए गए निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने में सक्षम नहीं है और उसने अपने निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल अर्जित किया है।

ब. क्षति मार्जिन की मात्रा

99. प्राधिकारी ने यथासंशोधित नियमावली के अनुलघक III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है। जांच की अवधि के लिए उत्पादन की लागत से संबंधित सत्यापित जानकारी/डेटा को अपनाकर संबद्ध सामान की क्षतिरहित कीमत निर्धारित की गई है।

100. क्षति मार्जिन की गणना के लिए संबद्ध देशों की उतरी कीमत की तुलना के लिए क्षतिरहित कीमत पर विचार किया गया है। क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए, क्षति अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री, उपयोगिताओं और उत्पादन क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग विचार में लिया गया है। विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत शुद्ध स्थायी संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर उचित प्रतिफल (कर-पूर्व @ 22%) को नियमावली के अनुलघक III में निर्धारित अनुसार क्षतिरहित कीमत पर पहुंचने के लिए कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है।

101. उपर्युक्त अनुसार निर्धारित उतरी कीमत और क्षतिरहित कीमत के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है और वही नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	उत्पादक का नाम	एनआईपी (अमरीकी डॉलर/एमटी)	उतरी कीमत (अमरीकी डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (अमरीकी डॉलर/एमटी)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (श्रेणी %)
	चीन जन.गण.					
1.	वानहुआ ग्रुप कं., लि.	***	***	***	***	10-20
2.	अन्य कोई	***	***	***	***	20-30
	थाईलैंड					
3.	डाउ केमिकल थाईलैंड लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
4.	अन्य कोई	***	***	***	***	10-20

द. भारतीय उद्योग की रुचि एवं अन्य मुद्दे

द.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन

102. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग की रुचि के संबंध में निम्नलिखित अभ्यावेदन किए हैं:

- क. शुल्क लगाया जाना जनहित में नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग संपूर्ण मांग की पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, जिससे उपयोगकर्ता आयातों पर निर्भर हो जाते हैं।
- ख. महत्वपूर्ण आपूर्ति-अभाव तथा तकनीकी प्रगति की कमी को देखते हुए उद्योग की स्थिरता के लिए आयात आवश्यक हैं।

- ग. शुल्क लगाए जाने से अधोप्रवाह उपयोगकर्ताओं की लागत बढ़ जाएगी, जिससे आपूर्ति में अनिश्चितता उत्पन्न होगी, दीर्घकालिक अनुबंधों और निवेश को हतोत्साहित किया जाएगा तथा उन्नत सामग्री और प्रौद्योगिकी तक पहुंच सीमित हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

पॉलीऑल (सीआईएफ मूल्य \$1300)	इकाई	गणना				
		50	100	150	200	250
यदि प्रति टन अतिरिक्त शुल्क लिया जाए	\$/मीट्रिक टन	50	100	150	200	250
अतिरिक्त शुल्क सहित मूल्य	\$/मीट्रिक टन	1,350	1,400	1,450	1,500	1,550
अतिरिक्त शुल्क सहित मूल्य (विनिमय दर 83.5)	रु/मीट्रिक टन	1,12,725	1,16,900	1,21,075	1,25,250	1,29,425
अतिरिक्त शुल्क सहित उतरी हुई कीमत	रु/मीट्रिक टन	1,21,225	1,25,400	1,29,575	1,33,750	1,37,925
फोम लागत में पॉलीऑल का योगदान	रु/मीट्रिक टन	78,796	81,510	84,224	86,938	89,651
उपज हानि समायोजन के बाद शुद्ध योगदान	रु/मीट्रिक टन	98,495	1,01,888	1,05,280	1,08,672	1,12,064
प्रति गद्दा फोम	किलोग्राम	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20
लागत योगदान	रुपये	1,202	1,243	1,284	1,326	1,367
प्रति गद्दा पॉलीऑल अतिरिक्त शुल्क की लागत	रुपये	41	83	124	165	207
खुदरा बिक्री पर प्रभाव (3 गुना)	रुपये	124	248	372	496	620

विवरण	इकाई	गणना				
		300	350	400	450	500
यदि प्रति टन अतिरिक्त शुल्क लिया जाए	\$/मीट्रिक टन	300	350	400	450	500
अतिरिक्त शुल्क सहित मूल्य	\$/मीट्रिक टन	1,600	1,650	1,700	1,750	1,800
अतिरिक्त शुल्क सहित मूल्य (रु)	रु/मीट्रिक टन	1,33,600	1,37,775	1,41,950	1,46,125	1,50,300
अतिरिक्त शुल्क सहित उतरी हुई कीमत	रु/मीट्रिक टन	1,42,100	1,46,275	1,50,450	1,54,625	1,58,800
फोम लागत में पॉलीऑल का योगदान	रु/मीट्रिक टन	92,365	95,079	97,793	1,00,506	1,03,220
उपज हानि समायोजन के	रु/मीट्रिक टन	1,15,45	1,18,848	1,22,24	1,25,633	1,29,02

बाद शुद्ध योगदान		6		1		5
प्रति गद्दा फोम	किलोग्राम	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
लागत योगदान	रुपये	1,408	1,449	1,491	1,532	1,573
प्रति गद्दा पॉलीऑल अतिरिक्त शुल्क की लागत	रुपये	248	290	331	372	414
खुदरा बिक्री पर प्रभाव (3 गुना)	रुपये	745	869	993	1,117	1,241

- (घ) टीडीआई पर शुल्क की सिफारिश के पश्चात एफएसपी पर भी शुल्क लगाए जाने से अधोप्रवाह उपयोगकर्ताओं पर अत्यधिक बोझ पड़ेगा, जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के उपयोगकर्ता वहन नहीं कर सकेंगे।
- (ङ) आवेदक ने प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव का आकलन करते समय 20,000 रुपये के गद्दे की कीमत मानकर प्रभाव को कम करके दर्शाया है, जो भारतीय गद्दा बाजार के वास्तविक मूल्य स्तर को प्रतिबिंबित नहीं करता।
- (च) अधिकांश गद्दे, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा निर्मित, 6,000 से 8,000 रुपये की मूल्य श्रेणी में आते हैं और इस श्रेणी में एफएसपी की लागत में मामूली वृद्धि भी लागत में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण बनेगी।
- (छ) अधोप्रवाह उद्योग मुख्यतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्माताओं से मिलकर बना है। यद्यपि शीला फोम ने 20-25 प्रमुख निर्माताओं का उल्लेख किया है, परंतु इन उद्यमों की प्रकृति के संबंध में कोई विवरण नहीं दिया गया है।
- (ज) आवेदक यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम वास्तविक रूप से बंद होने का प्रमाण प्रस्तुत करें तभी उनके प्रतिकूल प्रभाव को स्वीकार किया जाए।
- (झ) यद्यपि याचिकाकर्ता अपने संचालन के संरक्षण के लिए “मेक इन इंडिया” नीति का सहारा लेता है, परंतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से युक्त अधोप्रवाह क्षेत्र के संदर्भ में उसी नीति की अनदेखी करता है।
- (ञ) आयात आवश्यक हैं क्योंकि घरेलू उद्योग के पास देश में विद्यमान मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है और मांग-आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं।
- (ट) प्रतिपूरक शुल्क लगाया जाना जनहित में नहीं है क्योंकि इससे उपयोगकर्ता उद्योग की उत्पादन लागत में तीव्र वृद्धि होगी, पहले से ही कम लाभांश और अधिक दबाव में आ जाएंगे तथा अधोप्रवाह क्षेत्रों में हानि, उत्पादन में कटौती या इकाइयों के बंद होने का जोखिम उत्पन्न होगा।
- (ठ) अधोप्रवाह निर्माता पहले से ही प्रमुख कच्चे माल पर शुल्क के कारण उच्च लागत का सामना कर रहे हैं, जिससे एफएसपी पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जाना अस्थिर और अव्यवहारिक होगा।
- (ड) प्रतिपूरक शुल्क का लगाया जाना या उसका निरंतर जारी रहना जनहित के विरुद्ध है, क्योंकि घरेलू उद्योग भारत की मांग के एक छोटे हिस्से को भी पूरा करने की क्षमता नहीं रखता, जिससे आयात अपरिहार्य हो जाते हैं। ऐसे शुल्क अधोप्रवाह उद्योगों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे, लागत बढ़ाएंगे, आपूर्ति में अनिश्चितता उत्पन्न करेंगे और प्रतिस्पर्धात्मकता को नुकसान पहुँचाएंगे, जबकि इससे समुचित आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होगा।
- (ढ) चीन जनवादी गणराज्य से फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीऑल के आयात पर प्रतिपूरक शुल्क लगाया जाना जनहित के विरुद्ध होगा। फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीऑल गद्दे, फर्नीचर, मोटर वाहन के आंतरिक भागों तथा जूता उद्योग जैसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रधान अधोप्रवाह उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इनपुट लागत में वृद्धि से प्रतिस्पर्धात्मकता कम होगी, उपभोक्ता कीमतें बढ़ेंगी और रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नीति आयोग की उच्च स्तरीय समिति ने भी चेतावनी दी है कि आवश्यक कच्चे माल पर लागत बढ़ाने वाले उपाय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रधान क्षेत्रों को नुकसान पहुँचाते हैं।

- (ण) याचिकाकर्ता, जो एकमात्र घरेलू उत्पादक है, भारत की बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता और तकनीकी क्षमता दोनों में कमी रखता है, जिसके कारण लगातार आपूर्ति-अभाव बना हुआ है। शुल्क लगाए जाने से कृत्रिम कमी उत्पन्न होगी, याचिकाकर्ता को एकाधिकार जैसा नियंत्रण मिल जाएगा और अधोप्रवाह उपयोगकर्ताओं को गंभीर आपूर्ति तथा मूल्य जोखिमों का सामना करना पड़ेगा।
- (त) निरंतर संरक्षण से शुल्क स्थायी स्वरूप ले लेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा और घरेलू उद्योग को अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। पूर्व जांच में शुल्क न लगाने का वित्त मंत्रालय का हालिया निर्णय भी यह दर्शाता है कि निरंतर संरक्षण जनहित में नहीं है।

ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

103. भारतीय उद्योग के हित के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं—

- (क) शुल्क लगाए जाने से अधोप्रवाह उपयोगकर्ताओं तथा अंतिम उपभोक्ताओं की लागत पर अत्यंत नगण्य प्रभाव पड़ेगा। ₹20,000 मूल्य के गद्दे के लिए वर्तमान शुल्क के स्तर पर शुल्क लगाए जाने से केवल 0.6% का प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार ₹6,000 के गद्दे के लिए प्रभाव केवल 0.71% होगा।
- (ख) फोम के प्रमुख कच्चे माल एफएसपी और टीडीआई पर प्रस्तावित शुल्कों का कुल प्रभाव केवल 2.4% होगा। ₹6,000 के गद्दे के लिए प्रस्तावित शुल्कों का कुल प्रभाव केवल ₹144 प्रति गद्दा होगा।
- (ग) घरेलू उद्योग ने आगे प्रस्तुत किया कि भारत में सामान्य रूप से प्रयुक्त मानक आकार का गद्दा लगभग 72 × 48 × 6 इंच का होता है, जिसका वजन लगभग 30 किलोग्राम होता है और जिसकी औसत कीमत लगभग ₹20,000 होती है। ऐसे एक गद्दे के निर्माण के लिए लगभग 32 किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व वाला फोम उपयोग किया जाता है, जिसके लिए लगभग 6 किलोग्राम एफएसपी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में विषय देशों से एफएसपी की उतरी हुई कीमत लगभग ₹98 प्रति किलोग्राम है। अतः ₹20,000 मूल्य के एक गद्दे के निर्माण में प्रयुक्त एफएसपी की लागत लगभग ₹589 होती है। ऐसी स्थिति में एफएसपी की कीमत में ₹20 प्रति किलोग्राम (सऊदी पर वर्तमान शुल्क) की वृद्धि से अधोप्रवाह उपयोगकर्ताओं के लिए एफएसपी की कीमत पर केवल 0.63% का अत्यंत नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

गणना

एक गद्दे की कीमत	₹/इकाई	A	20,000	6,000
वजन	किलोग्राम/इकाई	B	30	10
एक गद्दे में प्रयुक्त एफएसपी	किलोग्राम/इकाई	C	6	2
एफएसपी की वर्तमान कीमत	₹/किलोग्राम	D	104	104
एक गद्दे में एफएसपी की लागत	₹	E=D*C	624	208
एफएसपी पर वर्तमान शुल्क	डॉलर/मीट्रिक टन	F	253	253
एफएसपी पर वर्तमान शुल्क	₹/किलोग्राम	G=(F*84.27)/1000	21	21
प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव	₹/किलोग्राम	H=G*C	126	42
प्रस्तावित शुल्क का प्रभाव	प्रतिशत	I=H/A	0.63%	0.71%

- (घ) उपयोगकर्ताओं की ओर से की गई शुल्क के प्रभाव की गणना अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत की गई है, क्योंकि यह गलत सीआईएफ मूल्य, लागू सीमा शुल्क तथा उपभोग कारक पर आधारित है। इसके अतिरिक्त प्रभाव की गणना उपयोगकर्ताओं के लाभांश पर की गई है, न कि उनकी लागत पर।

- (ड) फोम उद्योग एक लागत-स्थानान्तरण उद्योग है और शुल्क लगाए जाने का प्रभाव अंततः गद्दा उद्योग तक स्थानान्तरित हो जाएगा।
- (च) शुल्क लगाए जाने से उपयोगकर्ताओं को कोई प्रतिकूलता नहीं होगी, क्योंकि शुल्क लगाए जाने के बाद भी आयात मूल्य विषय देशों के घरेलू बाजार के सामान्य मूल्य से कम रहेगा।
- (छ) अन्य देशों से आयात पर शुल्क लगाए जाने के बावजूद उपयोगकर्ताओं की लाभप्रदता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।
- (ज) यद्यपि उपयोगकर्ता स्वयं को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बताते हैं, तथापि कुछ उपयोगकर्ताओं ने अत्यधिक लाभ अर्जित किया है, जो उस राजस्व से भी अधिक है जो घरेलू उद्योग उत्पाद की बिक्री से प्राप्त कर पाता है।
- (झ) अपने दावों के विपरीत उपयोगकर्ता संघ ने अपने सदस्यों का विवरण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबंधित सदस्यों की संख्या अथवा कुल उपभोग में ऐसे उद्यमों की हिस्सेदारी के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है।
- (ञ) कीमतों में वृद्धि से उत्पाद की मांग प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि 2021-22 में कीमतें अधिक होने के बावजूद एफएसपी की मांग पर्याप्त बनी रही थी।
- (ट) घरेलू उद्योग वर्तमान में अपनी क्षमता का विस्तार करने की प्रक्रिया में है, जो वर्तमान परिस्थितियों में जोखिम में है। अतः देश में इस उत्पाद के एकमात्र उत्पादक की रक्षा करना आवश्यक है।
- (ठ) इस दावे के विपरीत कि आयात मांग-आपूर्ति अंतर को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं, डंप किए गए आयात किसी भी मांग-आपूर्ति अंतर से अधिक मात्रा में बाजार में प्रवेश कर रहे हैं।
- (ड) यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जहाँ मांग-आपूर्ति अंतर होता है वहाँ आयात अपरिहार्य होते हैं, परंतु यह डंपिंग को उचित ठहराने का आधार नहीं हो सकता।
- (ढ) जहाँ घरेलू उद्योग निष्पक्ष बाजार परिस्थितियों की पुनर्स्थापना चाहता है, वहीं उपयोगकर्ता अनुचित कीमतों पर आयात की उपलब्धता की मांग कर रहे हैं। यदि उपयोगकर्ताओं का संचालन निष्पक्ष कीमतों पर आयात के आधार पर टिकाऊ नहीं है, तो यह उनके संचालन की अक्षमता को दर्शाता है।
- (ण) उत्पाद का आयात जापान, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों से तथा विषय देशों से भी उचित कीमतों पर किया जा सकता है।
- (त) प्रोपिलीन ऑक्साइड का उपयोग मुख्य रूप से आवेदक द्वारा एफएसपी के उत्पादन में किया जाता है और शुल्क न लगाए जाने से प्रोपिलीन ऑक्साइड के संचालन की व्यवहार्यता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- (थ) शुल्क न लगाए जाने की स्थिति में आवेदक को एफएसपी के उत्पादन को स्थायी रूप से बंद कर अन्य उत्पादों की ओर स्थानान्तरित होना पड़ सकता है।
- (द) शुल्क न लगाए जाने से उपयोगकर्ता पूर्णतः विषय देशों के आयातों पर निर्भर हो जाएंगे, जिससे आयातों का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में निर्यातक इस एकाधिकार का लाभ उठाकर अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए उपयोगकर्ताओं का शोषण कर सकते हैं।
- (ध) शुल्क लगाया जाना सरकार की मेक इन इंडिया नीति को सुदृढ़ करेगा, क्योंकि इससे देश के एकमात्र उत्पादक को समर्थन मिलेगा।

ट.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

104. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का प्राथमिक उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को पहुंचाई गई क्षति को दूर करना है, जिससे भारतीय बाजार में खुली और समान प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनता है। यह केवल एक नियामक उपाय नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय हित का मामला है। पाटनरोधी उपायों का अधिरोपण संबद्ध देशों से आयात को मनमाने ढंग से कम करने के लिए नहीं बनाया गया है। बल्कि, यह एक समान अवसर सुनिश्चित करने का तंत्र है।

105. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत की अधिसूचना जारी की, जिसमें आयातकों, प्रयोक्ताओं और उपभोक्ताओं सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित किए गए। एक आर्थिक हित प्रश्नावली भी निर्धारित की गई थी।

106. घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया है कि शुल्क लगाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होता बल्कि केवल उचित कीमतें सुनिश्चित होती हैं। अन्यथा, संबद्ध सामान सिंगापुर, यूएसए, जापान, कोरिया जैसे कई गैर-संबद्ध देशों में भी उत्पादित होता है।

107. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने ₹ 20,000 का गद्दा मानते हुए प्रस्तावित शुल्कों के प्रभाव को कम आंका है, जबकि अधिकांश गद्दे ₹ 6,000 से ₹ 8,000 की कीमत सीमा में हैं। इसके विपरीत, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया है कि शुल्क लगाने से ₹ 20,000 की कीमत वाले गद्दे पर केवल 0.6% और ₹ 6,000 की कीमत वाले गद्दे पर 0.71% का प्रभाव पड़ेगा।

108. प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन नोट किए हैं। एसोसिएशन ने प्रस्तुत किया है कि प्रति गद्दा 12.2 किलोग्राम विचाराधीन उत्पाद की खपत होती है। यूएस\$ 1300 की आयात कीमत पर विचार करते हुए, इसका अर्थ है कि विचाराधीन उत्पाद ₹ 6000 में बिके गद्दे की लागत का लगभग 20% (और ₹ 8000 में बिके गद्दे का 15%) है। प्राधिकारी, इसलिए, पाता है कि यदि विचाराधीन उत्पाद का योगदान केवल 15-20% है, तो कीमत में 10%, 20% या 30% की वृद्धि केवल 1.5%-6% की सीमा में होगी।

विवरण	इकाई	टिप्पणी	मान
पॉलीऑल का सीआईएफ मूल्य	अमरीकी डॉलर/मीट्रिक टन	A	1,300
फोम में पॉलीऑल का शुद्ध योगदान	रुपये/किलोग्राम	$B = (A \times \text{विनिमय दर}) / 1000$	95
प्रति गद्दा प्रयुक्त फोम	किलोग्राम	C	12.2
एक गद्दे में पॉलीऑल की लागत	रुपये	$D = C \times B$	1,160
गद्दे की कीमत	रुपये	E	6,000
एक गद्दे में पॉलीऑल का हिस्सा	प्रतिशत	$F = D / E$	19%
10% अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव	प्रतिशत	$F \times 10\%$	1.9%
20% अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव	प्रतिशत	$F \times 20\%$	3.8%
30% अतिरिक्त शुल्क का प्रभाव	प्रतिशत	$F \times 30\%$	5.7%

109. घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत जानकारी की जांच करने के बाद, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने का डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा।

110. कुछ संबंधित पक्षों ने यह तर्क दिया है कि भारत में मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर (गैप) के कारण आयात अनिवार्य हैं, और उन्हें आयात के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। प्राधिकरण का यह मानना है कि मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर भारत में डंपिंग का कोई औचित्य नहीं है। भले ही देश में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर हो, फिर भी यह आवश्यक है कि संबंधित उत्पाद उचित कीमतों पर उपलब्ध हो। एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से विचाराधीन उत्पाद की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि यह सुनिश्चित होगा कि वह उत्पाद उचित कीमतों पर उपलब्ध हो। वास्तव में, बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थापना से आगे और अधिक निवेश को प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को और कम करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त, यह भी संज्ञान में लिया गया है कि घरेलू उद्योग ने परियोजना रिपोर्ट, गुजरात सरकार से प्राप्त अनुमति (जिसके तहत घरेलू उद्योग को गुजरात में उत्पादन इकाई स्थापित करने की अनुमति दी गई है), और विस्तार योजनाओं का उल्लेख करने वाले निवेशक प्रस्तुतीकरणों के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं; तथा यह निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग वर्तमान में गुजरात राज्य में अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करने की प्रक्रिया में है, और एक बार जब ये विस्तारित क्षमताएं पूरी तरह से चालू हो जाएंगी, तो वह बाजार के एक बड़े हिस्से की मांग को पूरा करने में सक्षम हो जाएगा।

111. सार्वजनिक हित में उपभोक्ता हित और उत्पादक हित, दोनों ही शामिल होते हैं; और ये दोनों ही महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि उपभोक्ता हित अत्यंत प्रासंगिक हैं, विशेष रूप से वस्तुओं के अंतिम उपभोग के मामले में। तथापि, उत्पादक हित भी उतने ही प्रासंगिक हैं, और संभवतः उससे भी अधिक। COVID-19 महामारी जैसे जीवन में एक बार आने वाले संकटों के दौरान उत्पादक हित विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गए थे। अतः, यह अनिवार्य है कि उपभोक्ता हितों के साथ-साथ उत्पादक हितों पर भी समुचित ध्यान दिया जाए—और यदि संभव हो, तो उन्हें उससे भी अधिक महत्व प्रदान किया जाए।

112. घरेलू उद्योग ने यह भी जोर दिया है कि प्रोपलीन ऑक्साइड का उपयोग मुख्य रूप से संबद्ध सामान के उत्पादन में किया जाता है। इसलिए, शुल्क न लगाने से प्रोपलीन ऑक्साइड उद्योग के परिचालन की व्यवहार्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ठ. प्रकटीकरण के बाद की टिप्पणियां

113. प्राधिकारी ने 5 मार्च 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें देने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों युक्त प्रकटीकरण विवरण परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम जांच परिणामों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के बाद की गई सभी प्रासंगिक टिप्पणियों की जांच की है। शुल्कों के इतिहास, पश्च-एकीकरण की कमी, तूफान के प्रभाव, घरेलू उद्योग पर अन्य आयातों के प्रभाव और देश में मांग-आपूर्ति अंतर के अस्तित्व के संबंध में अभ्यावेदन पिछले अभ्यावेदनों की पुनरावृत्ति हैं।

ठ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन

114. प्रकटीकरण वक्तव्य जारी किए जाने के पश्चात अन्य हितधारक पक्षों द्वारा निम्नलिखित नई प्रस्तुतियाँ की गई हैं—

- क. विचाराधीन उत्पाद का दायरा स्पष्ट रूप से 3000–4000 आणविक भार वाले फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीऑल के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए।
- ख. चूंकि घरेलू उद्योग डीएमसी तकनीक का उपयोग करके विचाराधीन उत्पाद का निर्माण नहीं करता और इस तकनीक से निर्मित उत्पाद घरेलू उत्पाद के साथ प्रतिस्थापनीय या परस्पर विनिमेय नहीं है, अतः डीएमसी पद्धति से निर्मित उत्पाद को उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, जैसा कि मानक संचालन प्रक्रिया पुस्तिका में तथा ऑक्सो अल्कोहल्स इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन बनाम नामित प्राधिकरण तथा इंडियन रिफ़्रेक्टरी मेकर्स एसोसिएशन बनाम नामित प्राधिकरण मामलों में न्यायाधिकरण द्वारा भी माना गया है।
- ग. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद गुणवत्ता और तकनीकी विशेषताओं की दृष्टि से निम्न स्तर का है। इसमें पोटैशियम अवशेष अधिक मात्रा में होता है, जो कोई मामूली अंतर नहीं है और अधोप्रवाह उपयोगकर्ताओं, जो मुख्यतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हैं, के लिए प्रसंस्करण क्षमता को सीधे प्रभावित करता है।
- घ. प्राधिकरण ने इस तथ्य की उपेक्षा की है कि पोटैशियम अवशेष की मात्रा धार-आधारित तकनीक से निर्मित उत्पाद में काफी अधिक होती है, जिससे यह उत्पाद पॉलिमर पॉलीऑल के निर्माण में उपयोग के लिए पूर्णतः अनुपयुक्त हो जाता है। कुछ ग्राहकों द्वारा परिवर्तित प्रक्रिया स्थितियों के अंतर्गत सीमित उपयोग, तकनीकी रूप से भिन्न उत्पादों को एक ही उत्पाद दायरे में शामिल करने का आधार नहीं हो सकता।
- ङ. थाईलैंड के प्रत्युत्तर देने वाले निर्यातक के लिए निर्धारित उत्पादन लागत, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य तथा उतरी हुई कीमत और उसके परिणामस्वरूप निर्धारित डंपिंग तथा क्षति मार्जिन की पुष्टि अंतिम निष्कर्षों में की जानी चाहिए।
- च. प्रत्युत्तर देने वाले निर्यातकों के लिए प्रतिपूरक शुल्क का निर्धारण क्षति मार्जिन के आधार पर किया जाना चाहिए।
- छ. थाईलैंड से विषयगत आयात घरेलू कीमतों को कम नहीं कर रहे हैं और उनका पृथक रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए।
- ज. वर्ष 2021-22 के लिए प्राधिकरण द्वारा पूर्व जांचों में तथा वर्तमान जांच में दर्शाई गई आयात मात्रा में महत्वपूर्ण अंतर है।
- झ. प्राधिकरण इस तथ्य पर समुचित रूप से विचार करने में विफल रहा है कि सिंगापुर से आयात भी घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण हो सकते हैं।
- ञ. यद्यपि घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है, वैश्विक स्तर पर प्रोपिलीन ऑक्साइड की लागत में कमी आई है।
- ट. प्रकटीकरण वक्तव्य में मांग, बाजार हिस्सेदारी, मूल्य में कमी तथा क्षति जैसे प्रमुख निष्कर्षों के आधार का समुचित प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

- ठ. प्राधिकरण इस तथ्य पर विचार करने में विफल रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत तकनीकी डेटा पत्रक वास्तव में विस्कोइलास्टिक पॉलीईथर पॉलीऑल से संबंधित है, न कि फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलीऑल से, जिसके लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है।
- ड. प्राधिकरण ने फोम निर्माताओं पर शुल्क लगाए जाने के प्रभाव की गणना नहीं की है और केवल गद्दों की खुदरा कीमत के प्रतिशत के रूप में प्रभाव का सरल आकलन किया है। इसके अतिरिक्त, शुल्क के प्रभाव का आकलन टीडीआई पर पहले से लागू शुल्कों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।
- ढ. अधोप्रवाह उद्योग सीमित लाभांश पर कार्य करता है और प्रमुख कच्चे माल की लागत में मामूली वृद्धि भी लाभांश को प्रभावित कर सकती है तथा व्यावसायिक व्यवहार्यता को प्रभावित कर सकती है।
- ण. केवल इस आधार पर कि आवेदक भविष्य में अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है, उपयोगकर्ताओं से वर्तमान में लागत वृद्धि वहन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
- त. मध्य-पूर्व क्षेत्र में चल रहे भू-राजनीतिक व्यवधानों को देखते हुए आयात पहले से ही प्रभावित हैं और ऐसे में शुल्क लगाए जाने से अतिरिक्त बोझ उत्पन्न होगा।

ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अभ्यावेदन

115. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण जारी होने के बाद निम्नलिखित नए अभ्यावेदन किए हैं:

- i. अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेज़ी साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आवेदक ने महत्वपूर्ण निवेश किया है और अपनी उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए गंभीर रूप से प्रतिबद्ध है, जिससे मांग-आपूर्ति अंतर को कम करने में सहायता मिलेगी।
- ii. शुल्क की निरंतरता आवेदक को अपने संचालन को स्थायी रूप से बंद करने से बचाएगी तथा मांग-आपूर्ति अंतर को कम करने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण निवेशों की रक्षा करेगी।
- iii. गद्दे की न्यूनतम कीमत के आधार पर शुल्क के संभावित प्रभाव की गणना सटीक नहीं है, क्योंकि बाजार में गद्दे विभिन्न कीमतों पर उपलब्ध हैं। विभिन्न कीमतों के आधार पर प्रभाव का आकलन करने पर भी शुल्क का प्रभाव नगण्य ही रहेगा।
- iv. कुल कच्चे माल की लागत की गणना इस प्रकार की गई है कि खरीदे गए कच्चे माल की लागत को ध्यान में नहीं रखा गया, जबकि यह कुल उपभोगित कच्चे माल में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है।
- v. उपयोगिता लागत का निर्धारण त्रुटिपूर्ण तरीके से किया गया है, क्योंकि उपयोगिता की लागत केवल एक संयंत्र के आधार पर ली गई है, जबकि उपभोग कारक दूसरे संयंत्र का लागू किया गया है। अतः उपयोगिता लागत को उस संयंत्र के उपभोग कारक के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए, जिसकी लागत को ध्यान में रखा गया है।

ठ.3 प्राधिकारी द्वारा परीक्षण

116. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटीकरण के बाद प्रस्तुत अभ्यावेदनों की जांच की है और नोट करते हैं कि कुछ टिप्पणियां पिछले अभ्यावेदनों की पुनरावृत्ति हैं जिन्हें पहले से ही उचित रूप से जांचा और पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है।

117. कुछ संबंधित पक्षों ने DMC कैटेलिस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाए गए FSP को बाहर रखने के अपने अनुरोध को दोहराया है। इन पक्षों ने अपनी बात दोहराते हुए दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा KOH कैटेलिस्ट रूट का इस्तेमाल करके बनाया गया उत्पाद गुणवत्ता में घटिया है, और इसमें पोटैशियम की ज्यादा मात्रा होने के कारण यह उत्पाद डाउनस्ट्रीम इस्तेमाल करने वालों के लिए पूरी तरह से बेकार हो जाता है। यह दावा किया गया है कि संबंधित देशों के निर्यातक DMC कैटेलिस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यह उत्पाद बना रहे हैं, और इसलिए, बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद उपलब्ध न होने के कारण इस्तेमाल करने वालों को इसे आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

118. प्राधिकारी ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों और साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच की है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग (KOH उत्प्रेरक उत्पाद) और अन्य देशों से आयातित (DMC उत्प्रेरक उत्पाद) उत्पाद के बीच अंतर के संबंध में तर्क पिछली जांचों में भी प्राधिकारी के समक्ष उठाए गए थे। तथापि, प्राधिकारी पाते हैं कि वर्तमान जांच में मांगे गए बहिष्कार का समर्थन करने के लिए कोई अतिरिक्त औचित्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

119. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग बाजार में प्रयोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति जारी रख रहा है, जो संबद्ध सामान भी आयात कर रहे हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रयोक्ता घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित उत्पादों का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस दृष्टि से, DMC प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद को बाहर करना उचित नहीं है।

120. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि सिंगापुर जैसे अन्य देशों से आयातों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है, न कि संबद्ध सामानों ने। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अभिलेख पर आंकड़े के अनुसार, सिंगापुर से आयातों की कीमतें संबद्ध आयातों की कीमतों से अधिक हैं। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, सिंगापुर से आयात US\$ 153.89 प्रति एमटी के पाटनरोधी शुल्क के अधीन थे। ऐसे शुल्कों को ध्यान में रखते हुए, यह देखा जाता है कि सिंगापुर से आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से ऊपर कीमत पर थे और घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रहे थे। इस प्रकार, ऐसे आयातों को घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं माना जा सकता।

विवरण	इकाई	पीओआई
शुद्ध बिक्री प्राप्ति	₹/एमटी	***
सिंगापुर की उतरी कीमत (ADD के बाद)*	₹/एमटी	***
मूल्य कटौती	₹/एमटी	***
मूल्य कटौती	%	***
मूल्य कटौती	श्रेणी	नकारात्मक

121. घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री और उपयोगिता लागत के आधार पर क्षतिरहित कीमत को संशोधित करने का दावा किया है। इस संबंध में, यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के लिए कच्चा माल दरें (जिसमें कैप्टिव रूप से उत्पादित कच्चा माल भी शामिल है) पाटनरोधी शुल्क नियमावली के अनुलग्नक-III में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार क्षति अवधि में सर्वश्रेष्ठ-उपयोगित उत्पादन क्षमता और कच्चे माल उपयोग के अनुकूलन के आधार पर निर्धारित की जाती हैं। इसी प्रकार, क्षतिरहित कीमत के निर्धारण के लिए क्षति अवधि में उपयोगिता के सर्वश्रेष्ठ उपयोग को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा, टीम द्वारा किए गए सत्यापन और घरेलू उद्योग द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं के आधार पर आवश्यक समायोजन किए गए हैं।

122. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क के प्रभाव की गणना केवल गद्दों के संबंध में नहीं की जानी चाहिए, यह नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी जानकारी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की है जो प्राधिकारी को किसी अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पाद पर शुल्क के प्रभाव का निर्धारण करने की अनुमति देती। प्राधिकारी को इस तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती।

123. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि शुल्क के प्रभाव पर अन्य प्रमुख कच्ची सामग्री, अर्थात् टीडीआई पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों के तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकारी ने पक्षकारों के अभ्यावेदन पर विचार किया है। यह नोट किया जाता है कि टीडीआई के आयात पर US\$ 344.33 प्रति एमटी तक का पाटनरोधी शुल्क लगाया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, यह नोट किया जाता है कि एफएसपी और टीडीआई पर शुल्कों का संचयी प्रभाव गद्दों के संबंध में केवल 2.4% की सीमा में होगा।

विवरण	इकाई	गणना	मूल्य
पॉलिओल की सीआईएफ कीमत	अमरीकी डॉलर/एमटी	A	1,300
फोम में पॉलिओल का शुद्ध योगदान	₹./किग्रा.	B	95
प्रति गद्दे फोम	किग्रा.	C	12
प्रति गद्दे पॉलिओल की	₹./किग्रा.	D = C*B	1,160

लागत			
गद्दे की कीमत	रु.	E	6,000
प्रति गद्दे पॉलिओल की हिस्सेदारी	%	$F = D/E$	19%
10% ADD का प्रभाव	%	$G = F*10\%$	1.9%
10% ADD का प्रभाव	रु./किग्रा.	$H = G/E$	116
टीडीआई पर शुल्क	रु./किग्रा.	$I =$ $(344.33*83.50)/1000$	29
गद्दे की कीमत पर कुल प्रभाव	रु./किग्रा.	$J = H+I$	145
गद्दे की कीमत पर कुल प्रभाव	%	$K = J/E$	2.4%

ड. निष्कर्ष

124. थाईलैंड से आयात की कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं कर रही है और इसलिए इसकी अलग से जांच की जानी चाहिए, इस तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की मात्रा और मूल्य प्रभाव के संचयी विश्लेषण के बाद घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है, और यह भी विश्लेषण किया है कि इस मामले में संचयी आकलन उचित है।

125. पाटनरोधी शुल्क प्रतिक्रियाशील निर्यातकों के क्षति मार्जिन पर आधारित होना चाहिए, इस तर्क के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी सहकारी उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो उसे ध्यान में रखते हुए न्यून शुल्क नियम के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की गणना करता है।

126. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी निष्कर्ष निकालते हैं कि:

- (i) विचाराधीन उत्पाद 3000-4000 के आण्विक भार वाला फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल है।
- (ii) विचाराधीन उत्पाद में KOH मार्ग और DMC उत्प्रेरक मार्ग का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद शामिल है, दोनों मार्गों का उपयोग करके उत्पादित अंतिम उत्पाद के तकनीकी और भौतिक गुणों में समानता को देखते हुए। इसके अतिरिक्त, दोनों मार्गों का उपयोग करके उत्पादित उत्पाद का अंतिम-अनुप्रयोगों में परस्पर उपयोग किया जाता है।
- (iii) घरेलू उद्योग ने आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु का उत्पादन किया है।
- (iv) पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।
- (v) आवेदक देश में संबद्ध सामान का एकमात्र उत्पादक है जो कुल भारतीय उत्पादन में 100% की भागीदारी रखता है और घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए पात्र माना गया है।
- (vi) निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक स्तर पर है और महत्वपूर्ण है।
- (vii) क्षति अवधि में संबद्ध सामानों की मांग बढ़ती रही है।
- (viii) घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों के पाटन के परिणामस्वरूप क्षति हुई है, जो निम्नलिखित से स्पष्ट है:
 - क. क्षति अवधि में आयात की मात्रा बढ़ी है।
 - ख. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

- ग. संबद्ध सामानों की उतरी कीमत क्षति अवधि में लगातार घटती रही है, और घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री लागत पर उतरी कीमत का अंतर घटा है और नकारात्मक हो गया है।
- घ. घरेलू उद्योग की बिक्री लागत अवधि में बढ़ी, जबकि आयातों की उतरी कीमत में गिरावट के प्रतिक्रिया में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत घटी।
- ङ. घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी घटी, जबकि आयातों की बढ़ी।
- च. मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग को उत्पादन और बिक्री में गिरावट का सामना करना पड़ा।
- छ. घरेलू उद्योग को क्षमताओं के महत्वपूर्ण कम उपयोग का सामना करना पड़ा।
- ज. घरेलू उद्योग अपने उत्पादन का निपटान करने में असमर्थ था, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक का संचय हुआ।
- झ. घरेलू उद्योग ने आयातित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी लागत से कम कीमत पर संबद्ध सामान की आपूर्ति की।
- ञ. घरेलू उद्योग को महत्वपूर्ण हानि और नकद हानि हुई।
- ट. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर प्रतिफल नकारात्मक है।
- ठ. आयातों ने घरेलू उद्योग की आगे की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
- (ix) संबद्ध देशों के लिए क्षति मार्जिन सकारात्मक है।
- (x) कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं प्रतीत होता।
- (xi) पञ्च-एकीकरण की अनुपस्थिति जैसे कारक घरेलू उद्योग में अंतर्निहित हैं और अवधि में अपरिवर्तित रहे हैं, और इस प्रकार, अब घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकते।
- (xii) घरेलू उद्योग ने अपनी उपलब्ध क्षमताओं को कम करके मौखिन तूफान मीचौंग के प्रभाव को अलग किया। तथापि, इसके बावजूद, घरेलू उद्योग को क्षमताओं के महत्वपूर्ण कम उपयोग और उत्पादन में गिरावट का सामना करना पड़ा है।
- (xiii) यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के परिणामस्वरूप भौतिक क्षति हुई है।
- (xiv) पाटनरोधी शुल्क लगाना जन हित में है और आम जनता के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- (xv) शुल्क लगाने से अंतिम उत्पाद की कीमतों में नगण्य वृद्धि होगी और अंतिम उपभोक्ताओं पर मापनीय बोझ नहीं होगा।
- (xvi) घरेलू उद्योग ने अपनी उत्पादन क्षमताओं को विस्तारित करने और बाजार में अपने उत्पाद की आपूर्ति बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निवेश किया है।
- (xvii) घरेलू उद्योग के परिचालन और किए गए निवेश की व्यवहार्यता की रक्षा के लिए शुल्क लगाना आवश्यक है।
- (xviii) शुल्क न लगाने से प्रोपलीन ऑक्साइड के अपस्ट्रीम उद्योग के परिचालन की व्यवहार्यता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ढ. सिफारिशें

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन, क्षति, कार्य-कारण संबंध और उपायों के प्रभाव के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। पाटनरोधी नियमावली के तहत प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करके और संचालित करके, प्राधिकारी का मत है कि पाटन और क्षति को ऑफसेट करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक है। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

128. अपनाए गए न्यून शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी घरेलू उद्योग को क्षति दूर करने के लिए पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन में से जो कम हो उसके बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। तदनुसार, प्राधिकारी संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों पर इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, नीचे संलग्न शुल्क तालिका के स्तंभ 7 में उल्लेखित राशि के बराबर, निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक	विवरण	उत्पत्ति देश	निर्यात देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	3907291 0, 3907299 0	3000- 4000 के आण्विक भार का फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	वानहुआ केमिकल ग्रुप कं., लिमिटेड	207	एमटी	अमरीकी डॉलर
2.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	क्र.सं. 1 में उल्लिखित के अलावा अन्य कोई	318	एमटी	अमरीकी डॉलर
3.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और थाईलैंड के अलावा अन्य कोई देश	चीन जन.गण.	कोई भी	318	एमटी	अमरीकी डॉलर
4.	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	डाउ केमिकल थाईलैंड लिमिटेड	72	एमटी	अमरीकी डॉलर
5.	-वही-	-वही-	थाईलैंड	थाईलैंड सहित कोई भी देश	क्र.सं. 4 में उल्लिखित के अलावा अन्य कोई	141	एमटी	अमरीकी डॉलर
6.	-वही-	-वही-	चीन जन.गण. और थाईलैंड के अलावा अन्य कोई देश	थाईलैंड	कोई भी	141	एमटी	अमरीकी डॉलर

ण. आगे की प्रक्रिया

129. उपरोक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक चालान की प्रस्तुति पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे चालान जारी करने वाली इकाई के किसी अधिकारी द्वारा, उसके नाम और कार्य के साथ पहचाना गया, दिनांकित और हस्ताक्षरित घोषणा होनी चाहिए, जो निम्नलिखित प्रकार से तैयार की गई हो:

"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस चालान द्वारा कवर किए गए भारत को निर्यात के लिए बेचे गए फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पॉलिओल की (मात्रा) [संबद्ध देश] में (कंपनी का नाम और पता) द्वारा निर्मित की गई थी। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस चालान में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।"

यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के तहत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

130. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध अपील अधिनियम/नियमावली के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष की जाएगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(Directorate General of Trade Remedies)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th March, 2026

(FINAL FINDINGS)**Case No. AD (OI)- 02/2025**

Subject: Anti-dumping Investigation concerning imports of "Flexible Slabstock Polyol" originating in or exported from China PR and Thailand.

F. No. 06/02/2025-DGTR: - Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Anti-Dumping Rules or the Rules);

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. Manali Petrochemicals Limited (hereinafter referred to as the "applicant" or the "domestic industry") filed an application, before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as the Anti-Dumping Rules or the Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter also referred to as "FSP" or the "product under consideration" or the "subject goods") from China PR and Thailand (hereinafter referred to as "subject countries").
2. In view of the duly substantiated application with prima facie evidence substantiating existence of dumping and injury, in accordance with Rule 5 of the Rules, the Authority issued a public notice initiating the anti-dumping investigation into imports of the product under consideration from China PR and Thailand, vide Notification No. 06/02/2025-DGTR, dated 18th March 2025, published in the Gazette of India. The Authority initiated the anti-dumping investigation to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of

the subject goods and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed with regard to the investigation:

3.1 Initiation

- a. The Authority notified the Embassies of the subject countries in India about the receipt of the present application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 of the Rules.
- b. The Authority issued a public notice dated 18th March 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of subject goods from the subject countries.
- c. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject countries, through their Embassies in India, known producers and exporters from the subject countries, known importers / users and the domestic industry as well as other interested parties, as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.

3.2 Circulation of non-confidential version of the application

- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject countries, through their Embassies in India, in accordance with Rule 6(3) of the Anti-Dumping Rules. A copy of the non-confidential version of the application was made available to other interested parties, wherever requested.

3.3 Participation by Exporters of Subject Country

- e. The Authority sent exporter's questionnaire to the known producers/exporters from the subject countries, known importers/ users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing by the extended timeline.
- f. The Authority sent the Exporters' Questionnaire to the following known producers/ exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 1. Allnex Resins (China) China., Limited (China)
 2. Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd. Singapore
 3. Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co. Limited (China)
 4. Wanhua Chemicals Group (China)
 5. Allnex (Thailand) Ltd. (Thailand)
 6. Dow Chemical Thailand Limited (Thailand)
 7. GC Polyols Company Limited (Thailand)
 8. Toyota Tsusho (Thailand) Co., Limited (Thailand)
- g. The Embassies of the subject countries in India were requested to advise the exporters/producers from their countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit.
- h. In response to the initiation of the subject investigation, the following producers/exporters from the subject countries have responded by filing questionnaire response:
 1. Wanhua Chemical Group Co., Ltd (China)
 2. Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Ltd (China)
 3. Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd. (China)

4. Dow Chemical Thailand Ltd., Thailand (Thailand)
5. Dow Chemical International Pvt Ltd, Dubai Branch (Thailand)
6. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited (Thailand)

3.4 Participation by Importers/Users

- i. The Authority sent Importer's and User's Questionnaire to the known importers / users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.
 1. Dow Chemical International Private Limited, India (DCIPL)
 2. M.H. Polymers Ltd.
 3. Sheela Foam Ltd. (SFL)
 4. Tirupati Foam Ltd.
 5. Toyota Tsusho India Pvt. Ltd.
 6. Wanhua International (India) Pvt. Ltd.
- j. In response to the initiation of the subject investigation notification, following importers/users have responded by filing questionnaire response:
 1. Expanded Polymer Systems Private Limited
 2. Sheela Foam Limited (SFL)
 3. Wanhua International (India) Private Limited
- k. Submissions were also received from Allnex Resins (China) China., Limited (China) and Allnex (Thailand) Ltd. (Thailand) during the course of the investigation.
- l. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the Indian Polyurethane Association as well. The Association made submissions during the course of the investigation.
- m. A copy of the initiation notification and non-confidential version of the application was sent to the Department of Chemical and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. However, the Authority has not received any comments.
- n. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties. A list of all interested parties was uploaded on the DGTR website, along with the request to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties.
- o. Request was made to DG Systems to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the injury period and also the period of investigation. The Authority has relied upon the DG Systems data for computation of the volume of imports and required analysis after due examination of the transactions.
- p. The non-injurious price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India, as per the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

3.5 Period of Investigation and Injury Period

- q. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st October 2023 to 30th September 2024 (12 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.
- r. An opportunity was provided by the Authority to all interested parties to give their comments on the scope of the product under consideration and PCN methodology.

3.6 Further Procedures

- s. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided opportunity to the interested parties to present their views in a oral hearing held on 1st December 2025. The parties presented their views in the oral hearing and were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions.
- t. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in this final finding.
- u. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government to all interested parties on 5th March 2026. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submissions, and which had been adequately examined by the Authority, has not been repeated for the sake of brevity.
- v. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- w. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- x. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of the present disclosure statement to the extent possible and verified the data/documents submitted by all the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- y. ‘***’ in this notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- z. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US\$ = ₹ 84.27.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1. Submissions by other interested parties

4. The following submissions have been made by the other interested parties regarding the scope of the product under consideration and like article.
 - a. The product produced using KOH technology leads to higher potassium residue, which makes it unusable in the polymer polyol production by the users. In contrast, FSP produced through DMC technology aligns with the process of the users and has superior consistency, which is important for the users’ competitiveness
 - b. The domestic industry uses KOH technology which is outdated and inferior to DMC technology used by global producers, which may be cause of injury. The applicant has itself admitted to making investment in new DMC based plants.
 - c. The users are unable to use the subject goods produced by the applicant for production of polymer polyol.
 - d. The user industry depends on imports of FSP as compared to domestic FSP as it lacks requisite quality, limiting the competitiveness of downstream and export-oriented sectors.
 - e. The quality of the product supplied by the domestic industry is poor. While large manufacturers can sometimes mitigate the defects in the domestic product, majority of the downstream users which are MSMEs lack the infrastructure required to correct these inconsistencies.

- f. The applicant has submitted technical data sheet for viscoelastic polyether polyol which does not relate to Flexible Slabstock Polyol, which brings doubt over authenticity of information.
- g. The Authority must exclude polyester resin from the scope of the product under consideration, as it is an entirely different product and was excluded in past investigations as well.
- h. The subject goods manufactured using KOH and DMC technologies are not technically or commercially identical, as the choice of catalyst materially impacts quality, impurity, levels and downstream performance. DMC based FSP is a distinct, superior product with lower unsaturation and potassium impurities and cannot be equated with KOH based FSP.

C.2. Submissions by the domestic industry

5. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article:
 - a. The product under consideration is Flexible Slabstock Polyol with molecular weight 3000-4000.
 - b. The product is used for manufacturing of foams which is majorly used in mattresses, upholstery, pillows, bolsters, transport seating and packaging.
 - c. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975. Prior to February 2022, the product was imported under tariff item '3907 20' and thereafter, it was imported under tariff items '3907 29 10' and '3907 29 90'.
 - d. The applicant has no objections to exclusions of polyester resins from the product scope.
 - e. The subject goods can be produced using KOH or DMC technology. While the applicant has used KOH technology, the producers from the subject countries have used both technologies.
 - f. FSP produced using KOH technology or DMC technology is comparable and can be used interchangeably as there is no major difference in the raw materials and product process used in both technologies.
 - g. The technical and chemical characteristics of the end product produced using both technologies are same, except potassium residue which is very less pronounced. The same is reproduced in the table below. As can be seen from the table, the molecular weight, hydroxyl number, viscosity, functionality and appearance of the products produced from both routes is same or similar. The only difference between the product produced by the two routes is the difference in potassium residue. The domestic industry has claimed that such a difference can be easily offset by the users, through use of fillers.

Parameter	KOH-Catalysed Polyols	DMC-Catalysed Polyols	Remarks
Molecular Weight	3000-4000	3000-4000	Same
Hydroxyl Number (mg KOH/g)	~48-56	~48-56	Same
Viscosity @ 25°C (cP)	500-700	400-600	Similar
Functionality	3 (triol)	3 (triol)	Same
Potassium Residue	5-10 ppm (after neutralization)	<1 ppm	Different
Appearance	Clear liquid	Clear liquid	Same

- h. Further, certain interested parties have argued that they are unable to use the product produced by the domestic industry due to the poor quality of the product produced using KOH technology, while the DMC based product is of higher quality. In this regard, the domestic industry has submitted that they

have been regularly supplying the product to its customers, who have continued to purchase its product produced using KOH technology. Thus, it is not a case that the users have ceased purchasing the product from the domestic industry on account of the product being inferior.

Name of	2021-22	2022-23	2023-24	POI
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***
***	***	***	***	***

- i. The domestic industry is regularly supplying the subject goods to all major consumers in the country, which demonstrates that the users are using products produced using KOH and DMC technology.
- j. Globally, all producers, including producers in the subject countries have been using KOH technology. While certain producers have added production lines for DMC technology, such producers have not stopped the production lines for KOH technology.
- k. As against the claim that FSP produced through DMC route is of better quality, the price of imported FSP is lower than price offered by the domestic industry.
- l. The Authority in the past investigation determined that the products produced by both technologies were used by customers interchangeably.
- m. Contrary to the claim that the subject goods cannot be used for production of polymer polyol, the applicant is itself using self-produced FSP for the production of polymer polyol, which is sold in the market.
- n. EMPEYOL F3502 is the brand name for the product under consideration, for which the applicant has provided technical data sheet. The product falls under the larger class of products called “polyether polyols”.
- o. The product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration.

C.3. Examination by the Authority

At the time of initiation of the present investigation, the Authority considered the following as the scope of product under consideration.

“3. The product under consideration is “Flexible Slabstock Polyol”, abbreviated as FSP. It is a clear viscous liquid polymer of molecular weight 3000-4000 manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives, yields polyurethane foams which is used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport seating and packaging. The major raw materials used in the production process are propylene oxide and ethylene oxide.”

4. The subject goods are classified under Chapter 39 viz. , "Plastics and articles thereof", of the Customs Tariff Act under heading 3907 and tariff item 3907 29 10 and 3907 29 90, with effect from 1st February 2022. Additionally, the product has also been imported under the sub heading 3907 20 for part of the injury period, i.e., 1st April 2021 to 31st January 2022. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration”

6. The other interested parties have argued that Double Metal Cyanide (DMC) catalyst technology is a modern and advanced process and produced using this technology are preferred over KOH-based method. Further, users have also claimed that they are unable to use the KOH-based FSP supplied by the domestic industry due

to its poor performance and higher potassium residue. It is also argued that while large scale customers can mitigate the defects in the domestic product, majority of the downstream users which belong to MSME's lack the infrastructure required to correct these inconsistencies.

7. On the contrary, the domestic industry has submitted that there are no differences in the product produced by either of the technologies and the products can be used interchangeably. The domestic industry has argued that there is no major difference in the production process used in either of the technologies. While the inputs such as catalysts used may differ, the major raw materials, that is propylene oxide and ethylene oxide, used in the production process are the same. The technical characteristics of the FSP produced using KOH or DMC route are also largely similar, except with respect to Potassium residue. Further, difference of the potassium residue can be easily offset by the usage of fillers by the foam manufacturers of India. The domestic industry has also claimed that it has been regularly supplying its products to all major foam producers in the country, including those who have participated in the present investigation. In fact, the applicant is itself using the KOH-based FSP to make downstream products.
8. The domestic industry has also highlighted that similar arguments regarding difference between KOH and DMC technology have been made by interested parties in the past investigations as well. However, the Authority determined that products produced by either of the technologies were used by the customers interchangeably, and are like products.
9. The Authority has examined the arguments made by all other interested parties as well as the domestic industry. With respect to arguments raised against difference in technical properties between FSP produced using both technologies, the Authority notes that the technical and physical properties of the end-product produced from both the production processes fall within the same range, and are inter-se comparable and substitutable, as per information submitted by the domestic industry.
10. Further, it is seen that both the products are being interchangeably used and as substitutes to each other by the user industry.
11. Further, certain interested parties have argued that polyester resin must be excluded from the product scope, as was done in past investigations, considering that the products are different. The domestic industry has clarified that it has no objection to exclusion of polyester resin. It is noted that Polyester Resin was not included within the product scope *ab initio* and thus, there is not cause for exclusion.
12. The Authority granted an opportunity to all the interested parties to file their submissions regarding determination of the PCN methodology. However, none of the interested parties filed comments on creation of PCN methodology. Therefore, the product scope and PCN methodology was finalized by the Authority vide Notification dated 16th April 2025.
13. On the basis of information and evidence on record, past determinations made by the Authority in investigations concerning this product and other products, and having regard to the above, the scope of the product under consideration is as follows:

“3. The product under consideration is “Flexible Slabstock Polyol”, abbreviated as FSP. It is a clear viscous liquid polymer of molecular weight 3000-4000 manufactured by polymerization of propylene oxide and ethylene oxide with a triol chain starter. It is a polyether and on reaction with catalysts and additives, yields polyurethane foams which is used in upholstery, mattresses, pillows, bolsters, transport

seating and packaging. The major raw materials used in the production process are propylene oxide and ethylene oxide.”

4. The subject goods are classified under Chapter 39 viz. , "Plastics and articles thereof", of the Customs Tariff Act under heading 3907 and tariff item 3907 29 10 and 3907 29 90, with effect from 1st February 2022. Additionally, the product has also been imported under the sub heading 3907 20 for part of the injury period, i.e., 1st April 2021 to 31st January 2022. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration”

14. The Authority notes that the product produced by the domestic industry is comparable to the product under consideration imported from the subject countries in terms of physical and chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process, and technology, functions and uses, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority proposes to conclude that the product produced by the domestic industry are ‘like article’ to the product under consideration imported from the subject countries in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions by other interested parties

15. The other interested parties have not made any submissions with regard to the scope of domestic industry and standing.

D.2. Submissions by the domestic industry

16. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the scope of domestic industry and standing:
- i. The applicant is the sole producer of the subject goods in the country, and thus accounts for 100% of total Indian production and is eligible to constitute domestic industry in terms of Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules.

D.3. Examination by the Authority

17. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

18. The present application has been filed by Manali Petrochemicals Limited. The Authority notes that the applicant is the sole producer of subject goods in India and there is no other domestic producer of the subject goods in India.
19. The Authority also notes that the products produced by the domestic industry are like article to the imports of subject goods from the subject countries.
20. Further, the Authority notes that the applicant has not imported the subject goods from the subject countries during the period of investigation. The applicant is not related to any exporter of the subject goods in the subject countries or importer of the subject goods in India. Thus, the applicant constitutes domestic industry as defined under Rule 2(b) of the Anti-dumping Rules, and the application satisfies the requirement of standing in terms of Rule 5(3) of the Anti-dumping Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by other interested parties

21. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to confidentiality.
- a. The applicant has claimed excessive confidentiality with respect to – (a) average industry norms for capacity utilization, productivity per day, inventory and PBIT; (b) sales quantity, value and realization per for small scale industries; (c) R & D expenses; (d) funds raised; (e) cost of sales per unit – Exports; and (f) NIP in range of +/- 10%.
 - b. The applicant has claimed excessive confidentiality with respect to NIP and net sales realization which is in violation of the trade notice 10/2018. The Authority should not have automatically accepted the confidentiality claim without evaluating the information, based on the decision of Hon'ble Supreme Court in Sterlite Industries (India) Ltd. v. DA; CESTAT in H&R Johnson (India) Ltd. v. DA; and WTO Appellate Body in EC – Certain Iron or Steel Fasteners from China.

E.2. Submissions by the domestic industry

22. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality.
- a. The arguments of the interested parties regarding confidentiality claims are highly belated and cannot be accepted.
 - b. The applicant is not required to report average industry norms for capacity utilization, productivity per day, inventory and PBIT; sales quantity, value and realization per for small scale industries; R & D expenses; funds raised; and cost of sales per unit – Exports as per Trade Notice 5/2021, and thus, there can be no claim for excessive confidentiality.
 - c. The non-injurious price of the domestic industry is highly confidential, and can be severely detrimental to the competitive interests of the domestic industry, in its negotiations with the customers. Thus, the same cannot be disclosed.
 - d. The exporters from the subject countries and user industry have claimed excessive confidentiality in their questionnaire responses. Further, certain interested parties have claimed information entirely confidential, while such information is available in public domain.

E.3. Examination by the Authority

23. The Authority made available the non-confidential version of the information provided by various parties to all the other interested parties as per Rule 6(7) of the Rules.
24. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Anti-dumping Rules provide as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

25. The information provided by the interested parties on a confidential basis was examined with regard to sufficiency of such claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, the parties provided information on a confidential basis were directed to provide sufficient

non confidential versions of the information filed on a confidential basis. The Authority also notes that all interested parties have claimed their business-related sensitive information as confidential.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by other interested parties

26. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties.
- a. The domestic industry has been a beneficiary of anti-dumping duties for a long time, restricting imports of FSP from various countries and includes withdrawal of application in some cases demonstrating that the domestic industry has received adequate protection since 2001.
 - b. Anti-dumping duties have been imposed on subject goods for the last 22 years, giving a near permanent character.
 - c. Since duty is imposed for 5 years, the decision of Ministry of Finance to not impose duties should also stand for 5 years. Issuing a new recommendation within 2 years of rejection of duty would undermine the decision of the Ministry of Finance.
 - d. The applicant has approached the Authority seeking duties on China and Thailand immediately after earlier recommendations were rejected by the Central Government. Trade remedial investigations cannot be misused by filing application having been dissatisfied with the rejection.
 - e. The import data submitted by the applicant is unreliable as it does not align with the import data published by the Authority in the previous final findings. Even if the investigation was initiated based on imports from DGCI&S/DG systems, the application was deficient and should not have been accepted and highlights the frivolity and internal inconsistencies of the present proceedings.
 - f. The petitioner has presented irreconcilable data for the same base year, inflating import volumes, total demand, and market size, while converting a year previously verified as loss-making into a profitable benchmark. This deliberate manipulation artificially exaggerates alleged volume and financial effects, creating a distorted picture of market injury.
 - g. The injury parameters in the petition are wholly unreliable, and in the absence of a credible base year, the petitioner has failed to establish injury. The continuation of the present investigation is consequently unwarranted.
 - h. The Authority must provide the user industry with import data in the format and manner in which it was placed on record. Reliance was placed on Exotic Décor Pvt. Ltd. vs Designated Authority in this regard.
 - i. The Authority is requested to use DGCI&S/DG systems data to determine injury as against the inflated margins claimed by the applicant.
 - j. The profitability figures reported in the present petition are different than as noted by the Authority in its final findings. The Authority should not have initiated an investigation based on incorrect information.
 - k. The differences in prices between present and earlier proceedings as highlighted during the hearing highlight the frivolity and internal inconsistencies of the present proceedings.
 - l. The association's membership can be publicly verified, and any attempt by the applicant to cast doubt on the credibility of the association is unwarranted, given that the applicant itself is a member of the association.
 - m. The present investigation is based on data that is fundamentally inconsistent with the Hon'ble Authority's own verified findings in the earlier anti-dumping investigation concerning Flexible Slabstock Polyol from China PR and Thailand. The year 2021–22, which was the base year in both cases, was conclusively examined by the Authority, with verified import volumes, demand figures, and financial performance recorded in the Final Findings dated 28th March 2024.
 - n. The petitioner's current submission inflates imports from China PR and Thailand by 59–83% and total market demand by over 63%, without explanation. Similarly, a year previously verified as loss-making

with negative cash profits and ROCE are now presented as profitable, creating a distorted economic narrative.

- o. The petitioner's unexplained data inflation, selective presentation of financials, and failure to address contradictions raised during hearings indicate that the data is unreliable and self-serving. Consequently, the present investigation is founded on distorted facts, lacks credibility, and warrants rejection at the threshold.

F.2. Submissions by the domestic industry

27. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry.

- a. Claims of misuse of trade remedy investigation are misplaced, as it is the foreign producers that are abusing fair market.
- b. Contrary to the argument of the other interested parties, the Authority found that the subject imports caused injury to the domestic industry and there was a need to continue duties in past investigations, except where the applicant withdrew its application considering temporary relief against dumping.
- c. The Ministry of Finance has not provided any reason for not accepting the recommendation of the Authority in the previous investigation, and any speculation in this regard should not be accepted.
- d. The applicant has relied on imports sourced from third parties, while the Authority relies on DGCI&S/DG systems data, which may have led to the differences in import volumes.
- e. The association has not provided list of its members, or demonstrated which of its members would be affected by the measures. Therefore, it has not demonstrated its status as an interested party. The association must also demonstrate that it was validly authorized to participate.
- f. Since the exporters have continued to dump the subject goods, the domestic industry cannot be faulted for approaching the Authority to seek remedy.

F.3. Examination by the Authority

28. With regards to the submission that the applicant is misusing trade remedial measures and has been a beneficiary of trade remedial investigations since last two decades, the Authority notes that all the investigations have been conducted based on detailed examination of evidence submitted by all parties and recommendation for imposition / continuation of duties has been made only after examination of dumping, injury and causal link, wherever relevant.
29. With regards to the submission that the Authority has not made available the import data in the format and manner prescribed to the user industry, the Authority notes that the DGCI&S/DG systems transaction wise import data is not available in the public domain and the same cannot be shared with any party under the current legal provisions.
30. Certain interested parties have claimed that the data used by the applicant is not reliable and thus, has resulted in the inflated claims of margins. In this regard, it is noted that the applicant has relied on import data sourced from market sources in the application filed. However, the Authority has relied upon the import data as per DGCI&S/DG systems for the purpose of this investigation. Further, the dumping margin for the cooperating exporters would be based on the data submitted by them and duly verified by the Authority. Accordingly, the reliability of the import data used by the applicant in its application is not material.

G. NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

G.1. Submissions by other interested parties

31. The following submissions have been made by the other interested parties, with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
 - a. The Authority should calculate individual margins based on the information provided by the exporter in their response.
 - b. China PR should not be treated as a non-market economy since Article 15 of the Accession Protocol has expired on 11th December, 2016, as understood by US and EU at the time of China's accession to WTO.

As such, the practice of determining ‘surrogate country’ for normal value determination should not be used. Reference can be made to the recent Appellate Body report in EC-Fasteners (China).

- c. India is bound by the principle of “pacta sunt servanda” as a member of WTO and must recognize China’s full market economy status from 11th December 2016. It cannot invoke domestic law as a justification for failure to perform.
- d. Statement issued by White House and Explanatory Memorandum attached to EU Council decision reveal that US and European Union also shared the understanding that China PR can be treated as a non-market economy only till 11th December 2016.
- e. Dow Thailand is not a major supplier of subject goods to, accounting for only 15% of the total exports, and thus, does not have the ability to influence prices, supply, or competition in India.
- f. The applicant has failed to demonstrate any material injury, as imports from the subject countries have in fact declined during the POI and alleged import volumes appear inflated and inconsistent with earlier findings. A proper evaluation of injury parameters does not establish any adverse impact attributable to the subject imports.

G.2. Submissions by the domestic industry

32. The domestic industry has submitted as follows with reference to determination of normal value, export price and dumping margin.
 - a. The normal value for the Chinese producers should be determined as per Para 7 of Annexure-I of Anti-dumping Rules as no producer has sought market economy treatment.
 - b. The Authority must verify the information submitted by Dow Thailand, particularly with respect to purchase of inputs from affiliated parties. Only if such information is found to be appropriate and accurate, the same may be used for determination of dumping margin for the exporters.
 - c. If the exporter is unable to demonstrate that inputs purchased from the affiliates were at an arm’s length, the cost of production for the producer should be determined based on price of imports of propylene and ethylene into Thailand based on Trade Map data.
 - d. The Authority should examine whether transfer price of captively produced raw material is reflective of market price or not.
 - e. The fact that the Authority found dumping in previous investigations shows that the dumping is not attributable to the technology or level of integration of the domestic industry, but the unfair pricing practices adopted by the foreign producers.
 - f. Contrary to claim of interested parties, the domestic industry has not claimed dumping based on positive price undercutting.
 - g. Section 15(a)(ii) of the Protocol of Accession of China to WTO has expired on 11th December 2016 for considering China PR as a non-market economy while determining the normal value. Therefore, for exporters from China PR, normal value in the current investigation must be determined based on Para (vii) of Annexure II. Any other method will violate India’s obligation towards WTO.
 - h. Contrary to claim of interested parties, the domestic industry has not claimed dumping based on positive price undercutting.
 - i. The fact that the Authority found dumping in previous investigations shows that the dumping is not attributable to the technology or level of integration of the domestic industry, but the unfair pricing practices adopted by the foreign producers.

G.3. Examination by the Authority

33. Under section 9A(1)(c), the normal value in relation to an article means:

“i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or

ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.”

34. The Authority notes the contention regarding variation in the reported volume of imports from the subject countries between the earlier findings and the present investigation. The data relied upon in the present investigation is based on updated and verified import records. In any event, minor variation does not alter the overall trend of significant imports nor does it affect the assessment of injury.
35. The Authority notes that the following exporters of the subject goods have filed exporter’s questionnaire responses:
- a. Dow Chemical Thailand Ltd., Thailand (Thailand)
 - b. Dow Chemical International Pvt Ltd, Dubai Branch (Thailand)
 - c. Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited (Thailand)
 - d. Wanhua Chemical Group Co., Ltd (China)
 - e. Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co., Ltd (China)
 - f. Wanhua Chemical (Singapore) Pte., Ltd. (China)

G.3.1. Normal Value from China PR

36. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

“Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (“Anti-Dumping Agreement”) and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following.

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the

possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

37. The applicant has cited and relied upon Article 15(a)(i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in their industry producing the like product with regard to the manufacturing, the production and the sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 and 8 of Annexure- I to the Rules.
38. The Authority notes that none of the cooperating producers from China have claimed market economy treatment in the present case. Accordingly, the normal value has been determined in accordance with Paragraph 7 of Annexure I to the Rules, which states as follows.

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in a similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay of the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

39. The applicant has claimed normal value based on price payable in India, in absence of information required to calculate normal through other methods. The other interested parties have not adduced any other basis, amongst those listed under Paragraph 7 of Annexure I to the Rules, which may form the basis of determination of normal value.
40. As noted above, Paragraph 7 lays down a hierarchy for determination of normal value with respect to non-market economy and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. In the present case, there is no evidence of price or constructed value prevailing in a market economy third country brought forward by any interested party. Apart from the subject countries in the present investigation, imports into India from other countries are low in volume or are at dumped prices. Thus, imports into India from the market economy third country could not be considered for determination of normal value.

Accordingly, the Authority proposes to determine normal value based on the price payable in India, as stipulated in para 7 of Annexure – I to the AD Rules, 1995, having regard to the cost of production of the

applicant, duly adjusted for selling, general and administrative expenses and reasonable profits. The normal value determined is given below in the dumping margin table.

G.3.2. Export price for China PR

Export price for Wanhua Chemical Group Co., Ltd

41. Wanhua Chemical Group Co. Ltd. is a limited company incorporated and registered under the Company Law of People's Republic of China. During the period of investigation, Wanhua Chemical Group Co. Ltd. has sold *** MT of subject goods of invoice value *** RMB indirectly through two related exporters/traders namely, Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co. Ltd. and Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd. out of which Wanhua chemical Group Co. Ltd. has sold *** MT indirectly through Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co. Ltd. and *** MT indirectly through Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd.
42. It is further noted that the subject goods (*** MT) sold to Wanhua Chemical (Yantai) Trading Co. Ltd. by Wanhua Chemical Group Co. Ltd. has been ultimately sold to India indirectly through Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd. The producer/exporter has claimed adjustments on account of Ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expense and credit cost, and the same has been accepted after desk verification. Accordingly, the weighted average of net export price at ex-factory level so determined is as shown in the Dumping Margin table below.

Export price for other producers/exporters in China PR

43. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of China PR has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.3. Normal value for Thailand

Normal value for Dow Chemical Thailand Ltd., Thailand

44. Dow Chemical Thailand Limited (“Dow Thailand”) has submitted its Exporter’s Questionnaire response furnishing the required information. The Authority notes that during the Period of Investigation (“POI”), Dow Thailand sold the subject goods directly to unrelated customers in the domestic market. It is further noted that such domestic sales were made in sufficient quantities.
45. For determination of the normal value, the Authority conducted the Ordinary Course of Trade (“OCT”) test by examining the profitability of domestic sales transactions with reference to the cost of production of the subject goods. Where profit-making transactions constitute more than 80% of total domestic sales, all domestic sales are considered for determination of normal value. However, where profit-making transactions are less than 80%, only the profitable domestic sales are taken into account for determination of normal value. Based on the OCT test, it was found that the proportion of profitable domestic sales was less than 80% and accordingly, only profitable domestic sales have been considered for determination of the normal value.
46. Dow Thailand claimed adjustments on account of inland transportation, credit cost, packing cost and other related expenses. The Authority has allowed the claimed adjustments after due verification and has accordingly determined the normal value at the ex-factory level. The ex-factory normal value so determined is reflected in the dumping margin table below.

Normal value for other producers/ exporters from Thailand

47. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Thailand has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.4. Export price for Thailand

Export Price for Dow Chemical Thailand Ltd., Thailand

48. During the POI, Dow Thailand sold the subject goods to its related exporter, Dow Chemical Pacific (Singapore) Private Limited (“Dow Singapore”). Dow Singapore, in turn, invoiced the subject goods to another related trader, Dow Chemical International Pvt Ltd, Dubai Branch (“DCIPL Dubai”). DCIPL Dubai subsequently sold the subject goods to unrelated customers in India. All the concerned companies have furnished the relevant information in the prescribed formats.

49. It is noted from the responses submitted by Dow Singapore and DCIPL Dubai that the subject goods manufactured and exported by Dow Thailand to India were resold at a loss by the related exporter during the POI. Accordingly, the Authority has made appropriate adjustment for the loss incurred by the related exporter in order to arrive at the net export price. Dow Thailand also claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port-related expenses, credit cost, packing expenses, and other related expenses. These adjustments have been allowed by the Authority after due verification. The ex-factory export price so determined has been reflected in the dumping margin table below.

Export price for other producers/ exporters in Thailand

50. The export price for all other non-cooperating producers and exporters of Thailand has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

G.3.5. Dumping margin

51. The normal value, export price and dumping margin determined in the present investigation are as follows. It is seen that the dumping margin for the subject countries is above de minimis, and is significant.

Dumping Margin Table

S. No.	Name of Producer	Normal Value/CNV	Export Price	Dumping Margin	Dumping Margin	Dumping Margin
		(USD/MT)	(USD/MT)	(USD/MT)	(%)	(Range)
China PR						
1.	Wanhua Group Co., Ltd	***	***	***	***	70-80
	Any Other	***	***	***	***	90-100
Thailand						
2.	Dow Chemical Thailand Limited	***	***	***	***	10-20
	Any Other	***	***	***	***	20-30

H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions of other interested parties

52. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to injury and causal link:
- Imports from China and Thailand have witnessed a decline in the period of investigation when compared to 2023-24 in absolute terms and have witnessed only marginally increased in relative terms, and thus, could not have caused injury. The imports were necessitated to meet the demand.
 - Price undercutting is not indicative of dumping but is due to high cost of the domestic industry resulting from obsolete technology and lack of backward integration.
 - The increase in cost of sales is contradictory to the sharp decline in price of main raw material, that is propylene oxide.
 - The overall profitability of the applicant has declined as per the Annual reports, which demonstrates that broader business factors, and not just imports, may be the cause of injury.
 - Imports from other countries such as Saudi Arabia and Singapore were significantly higher than the imports from Thailand during the period of investigation and are likely to have caused injury. Further, despite significant imports from Singapore, the applicants did not timely seek a review of duties from Singapore which has resulted in inflated injury and erroneous causal link.

- f. The prices of the domestic industry were suppressed as it was unable to cover its high costs which were affected by high raw material prices, and self-inflicted internal disruptions such as acquisition and depreciation burdens.
- g. The depreciation cost of the domestic industry has increased substantially without any increase in capacity, which is required to be verified.
- h. Reduced domestic sales of the applicant cannot be attributed solely to import competition as the imports increased in line with increased demand. On the contrary, a substantial share of production was diverted towards captive consumption by the domestic industry.
- i. The inability of the applicant to scale production is due to constraints in the availability Propylene Oxide and Ethylene Oxide, and not due to imports.
- j. The Authority must examine if other factors such as production constraints, limited capacity or any other factor may have caused injury to the domestic industry.
- k. Disruptions caused due to cyclone Michaung to the applicant's operations during the period of investigation shall be considered when assessing the injury claim.
- l. Factors such as disruption caused by cyclone "Michaung", environmental clearance challenges, reliance on raw material imports, and reliance on the old KOH method have led to low production, capacity utilisation and productivity.
- m. Stable profitability, capacity utilisation, uninterrupted operations, and no evidence of plant closures or workforce reductions, have been reflected in the data of the applicant. This is not consistent with an industry under injurious pressure.
- n. Limited production capacity of the domestic industry as compared with major global players, prevents it from achieving economies of scale, resulting in higher per-unit costs. Further, the applicant is not backward integrated and is dependent on other suppliers for major raw materials. Lastly, the applicant is located at a distance from suppliers of PO and EO, which adds to incompetitiveness.
- o. Lack of backward integration forces the domestic industry to procure raw materials from third-party, increasing production costs and contributing to its poor performance, as also
- p. There is no basis for consideration of a high return of 22% on the capital employed for computation of non-injurious price, which is inconsistent with Annexure III. Reliance is placed on decision of the CESTAT in the case of Bridge Stone Tyre Manufacturing, wherein it was held that adoption of 22% return was incorrect as it gives an inflated picture of the injury margins.
- q. Any injury suffered by the domestic industry is attributable to factors other than subject imports, including significant imports from non-subject countries such as Singapore, obsolete production technology, higher raw material costs and lack of scale. The causal link between alleged dumping from China and Thailand and the claimed injury is therefore not established.

H.2. Submissions of the domestic industry

53. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to the injury and causal link:

- a. The provision for cumulative assessment under the Rules is a mandatory provision and the conditions set therein are met in the present case.
- b. The volume of subject imports has increased significantly over the injury period, in absolute terms as well as in relation to Indian production and consumption. Despite decline in volumes of imports in the period of investigation, the volume of imports has remained significant.
- c. The rate of increase in imports has outpaced the rate of increase in demand in the country. In fact, the subject imports are in excess of the demand-supply gap in the country.
- d. The landed price of the subject imports has declined sharply over the injury period, despite no material change in the price of major raw material, propylene. As against a decline of 6% in the global import price of propylene oxide, the landed price declined by 44%.

- e. The mark-up of landed prices over raw materials has declined over the injury period.
- f. The subject imports were undercutting the prices of the domestic industry.
- g. The subject imports suppressed and depressed the prices of the domestic industry.
- h. The costs of the domestic industry in absolute terms have declined, including fixed costs and cost of utilities. However, due to dumping, the production has reduced, and as a result, the per unit cost is higher.
- i. The volume of imports have increased in the post-POI period, while the prices of such imports have declined further.
- j. The sales of the domestic industry declined significantly due to increasing demand for low-priced subject imports. As a result, the domestic industry was forced to curtail its production and its production volumes declined.
- k. The decline in domestic sales is directly related to increase in dumped imports from all sources.
- l. While the captive consumption of the domestic industry increased over the period, such consumption was less than 3% and 4% in relation to production and sales of the domestic industry respectively.
- m. Despite a demand-supply gap, the domestic industry was operating at less than 50% capacity utilization during the period of investigation.
- n. Contrary to the claim that the domestic industry not shown any improvement despite duties, the domestic industry was unable to increase capacities due to continuous onslaught of dumped imports.
- o. The domestic industry is not required to show improvement in performance in face of unfair dumping. Dumping that is an unfair pricing practice, and the domestic industry cannot be expected to take steps to offset such pricing practices.
- p. As the demand for dumped imports increased over the period, the market share of the subject imports also increased, while the market share of the domestic industry was woefully low.
- q. The domestic industry faced significant accumulation inventories, which increased by 637% over the injury period.
- r. Since 2022-23, the domestic industry has been incurring significant financial losses including cash losses, and has earned negative returns on its investment.
- s. Injury to the domestic industry has not been caused by any other factor.
- t. With respect to claim that the domestic industry is not backward integrated, the applicant cannot be faulted for not having a backward integrated plant since the same would require a multi-million investment for setting up a refinery, which is not feasible.
- u. Injury to the domestic industry must be examined as it exists and factors inherent to the industry cannot be considered as causing injury, as held by the Appellate Body in EU – Biodiesel (Argentina), in the case of Nippon Zeon Co. Ltd. vs. Designated Authority, and accepted by the Authority in various investigations.
- v. The subject imports must be one of the causes of injury and not the only cause of injury, as held in EC – Tubes and Pipes, U.S. – Hot-Rolled Steel Products and U.S. – Salmon.
- w. Imports from Singapore are priced higher than the subject imports. The landed price of imports from Singapore, after accounting for anti-dumping duty, did not undercut the prices of the domestic industry during the period of investigation. Thus, such imports did not cause injury to the prices of the domestic industry during the period of investigation.
- x. Despite adjusting the total capacity in the injury analysis for removing the effects of shutdown caused due to cyclone, the domestic industry faced significantly underutilized capacities. Further, since variable costs account for more than 80% of the total cost, increased costs due to shut down could not have caused injury to the domestic industry.

- y. The depreciation cost allocated to the subject goods has changed due to change in allocation methodology. However, such cost account for only 1-3% of the total cost and thus, could not have caused injury to the domestic industry
- z. The EBIDTA of the domestic industry has also declined over the injury period, which indicates that injury to the domestic industry is not due to increase in depreciation cost.
- aa. Performance of the domestic industry in other products is irrelevant in an anti-dumping investigation as per para (vi) of Annexure II.
- ab. The major reason for decline in the overall profitability of the company was sharp increase in cheap imports which eroded the market share of the applicant.
- ac. Contrary to the arguments of the other interested parties, the domestic industry did not face any raw material supply shortage.
- ad. Even if the domestic industry arguendo faced shortage of raw material, it does not explain the price pressure faced by the domestic industry.
- ae. While the other interested parties have claimed allowing a 22% return for determination of non-injurious price is not reasonable, they have provided the return which should be allowed. Considering the reliance on the practice of European Commission and the decision of CESTAT in case of Bridge Stone Tyre Manufacturing, the Authority should allow return earned by the domestic industry in the past when it was unaffected by dumping, which was higher than presently considered.
- af. As held by the Tribunal in Tangshan Sanyou Group Hong Kong International Trade Co. Ltd. vs. Union of India, in absence of evidence showing a different return should be allowed, a 22% return is justified as this rate has been consistently applied by the Authority in numerous cases.
- ag. While the other interested parties have referred to the practice of the European Commission, they have failed to highlight that the Commission determines fair selling price based on total cost of production without any adjustments as opposed to the practice of the Authority.

H.3. Examination by the Authority

53. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on the domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
54. The Authority has examined the arguments and counterarguments of the interested parties with regard to injury to the domestic industry. The analysis made by the Authority hereunder addresses the various submissions made by the interested parties.

H.3.1. Cumulative assessment of injury

55. Article 3.3 of the WTO agreement and para (iii) of Annexure II of the Rules provides that in case where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to anti-dumping investigations, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:
- b. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two per cent expressed as a percentage of export price and the volume of the imports from each country is three per cent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three per cent, the imports collectively account for more than seven per cent of the import of like article, and

- c. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

56. The Authority notes that:

- b. The subject goods are being dumped into India from the subject countries. The margin of dumping from each of the subject countries is more than de minimis limits prescribed under the Rules.
- c. The volume of imports from each of the subject countries is individually more than 3% of the total volume of imports.
- d. Cumulative assessment of the effects of import is appropriate as the imports from the subject countries not only directly compete with the like articles offered by each of them but also the like articles offered by the domestic industry in the Indian market.

57. In view of the above, the Authority considers that it is appropriate to assess the effect of dumped imports of the subject goods from China PR and Thailand on the domestic industry.

H.3.2. Volume effect of the dumped imports

a) Assessment of demand / apparent consumption

58. The Authority, has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Excluding Captive					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	81	44
Imports from subject countries	MT	22,540	40,530	46,101	30,733
Imports from other countries (including countries attracting ADD)	MT	77,026	79,146	94,975	1,18,040
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	132	133
Including Captive					
Sales of domestic industry	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	82	45
Imports from subject countries	MT	22,540	40,530	46,101	30,733
Imports from other countries	MT	77,026	79,146	94,975	1,18,040
Total demand	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	117	132	133

59. The Authority notes that the demand for the subject goods in India has increased year on year over the injury period and was the highest in the period of investigation.

b) Import Volumes from the subject countries

60. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DG Systems data. The import volumes from the subject countries during the injury period are as follows:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Imports from subject countries	MT	22,540	40,530	46,101	30,733
China PR	MT	5,734	21,134	18,354	14,563
Thailand	MT	16,806	19,395	27,748	16,169
Imports from other countries	MT	77,026	79,146	94,975	1,18,040
Total Imports	MT	99,566	1,19,675	1,41,076	1,48,773
Subject imports in relation to					
Domestic production	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	181	240	231
Consumption/Demand	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	154	155	103
Total imports	%	23%	34%	33%	21%

61. The Authority notes that:

- i. The volume of imports from the subject countries has increased over the injury period. The volume of imports increased from the base year to 2023-24, and thereafter declined in the POI.
- ii. Imports in relation to production in India increased significantly over the injury period, despite a marginal decline in the POI
- iii. Imports in relation to consumption in India increased till 2023-24 but declined in the period of investigation.
- iv. The share of subject imports in total imports increased to 34% in 2022-23 and remained almost the same in 2023-24. Thereafter, the share of subject imports in total imports declined in the period of investigation.

A

H.3.3. Price effect of the dumped imports

62. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a) Price undercutting

63. Price undercutting has been determined by comparing the net sales realization of the domestic industry with the landed price of the imports for the period of investigation.

Particulars	Unit	POI
Net sales realization	₹/MT	***
Landed price	₹/MT	***
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	15-25%

64. The Authority notes that the subject imports are priced significantly below the selling price of the domestic industry. The price undercutting from the subject countries is positive and significant.

b) Delta of landed price over raw material cost of domestic industry

65. The domestic industry has claimed that despite any significant fluctuation in the cost of raw materials, the landed price has continued to decline and was even lower than the cost of materials. The landed price of imports has declined by 43% during this period. Further, while the subject imports were priced significantly above the raw material cost of the domestic industry in 2021-22, the delta has reduced significantly. In the period of investigation, the subject imports were priced below the cost of raw materials of the domestic industry.

Particular	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Raw Material Cost	₹/MT	***	***	***	***
Landed Price	₹/MT	1,82,636	1,36,745	1,09,777	1,04,720
Mark up	₹/MT	***	***	***	***
Mark up	Range	60-70%	10-20%	0-10%	(0-10)%

c) Price suppression/depression

66. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices to a significant degree or whether the effect of such imports is to suppress price to a significant degree or prevent price increase which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry over the injury period.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	98	117
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	64	66
Landed price	₹/MT	1,82,636	1,36,745	1,09,777	1,04,720
Trend	Indexed	100	75	60	57

67. The Authority notes that in 2022-23, the cost of sales increased. However, the selling price of the domestic industry declined due to sharp decline in the prices of subject imports. Thereafter, the cost of sales and selling prices of the domestic industry and landed prices of imports have declined. The decline in landed prices was higher than the decline in cost of sales of the domestic industry. During the period of investigation, the cost of sales increased by about 20%, whereas the selling price increased only marginally by about 3–4%, even as the landed price of imports continued to decline. An examination of the trends from the base year shows that while the cost of sales of the domestic industry has increased, the selling price of the domestic industry has declined by 34% pursuant to the decline in the landed prices by 43%. It is, therefore, noted that the imports have depressed the prices of the domestic industry and prevented price increases, which otherwise would have occurred.

H.3.4. Economic parameters of the domestic industry

68. Annexure II to the Anti-Dumping Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on the domestic producers of the subject goods. With regards to the consequent impact of these imports on the domestic producers of subject goods, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

69. The capacity, production, sales and capacity utilisation of the domestic industry over the injury period were as below.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Available Capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	86
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	85	59
Production (PUC+NPUC)	MT	***	***	***	***
Capacity utilization*	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	94	102	65
Domestic Sales	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	77	49
Export sales	MT	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	37	25	12
Captive Consumption	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	181	296	364

70. The Authority notes that:

- b. The installed capacity of the domestic industry has remained stable throughout the injury period.
- c. The production and sales of the domestic industry have declined over the injury period. As a result of significant decline in the sales of the domestic industry, the domestic industry was forced to curtail its production.
- d. The capacity utilisation has also declined significantly over the injury period. During the period of investigation, the domestic industry was operating with only half of its capacities.

71. It has also been argued that decline in production is linked to plant shutdown faced due to cyclone. The domestic industry submits that it has faced significant underutilized capacities despite adjusting the total capacity for removing the effects of the plant shutdown. The Authority notes that the domestic industry has submitted data after excluding the impact of the plant shutdown due to cyclone. Even after excluding the impact, the capacity utilization of the domestic industry is less than 50%. Therefore, a decline in the performance in the period of investigation cannot be attributed to the plant shutdown.

72. Further, it has been argued that the captive consumption of the subject goods has increased, however the domestic sales of the domestic industry has declined. In this regard, the Authority notes the volume of captive consumption has remained low and accounted for a negligible share as compared to the total production volume and total volume of domestic sales of the domestic industry.

b) Market share

73. Market share of the imports and domestic industry is given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Market Share excluding captive					
Domestic industry	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	62	31
Subject imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	153	153	105
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	94	115
Market Share including captive					
Domestic industry*	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	87	62	31
Subject imports	%	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	153	153	105
Other imports	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	94	115

74. The Authority notes that the market share of the domestic industry has declined over the injury period. However, the market share of subject imports in the POI is broadly comparable to the base year.

c) Inventories

75. Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Opening Inventory	MT	***	***	***	***
Closing Inventory	MT	***	***	***	***
Average Inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	247	737

76. The Authority notes that the inventories of the domestic industry have increased significantly over the injury period, reflecting the adverse impact on the domestic industry.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

77. Performance of the domestic industry has been examined in respect of profits, cash profits and return on capital employed.

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Cost of sales	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	98	117
Selling price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	69	64	66
Profit / (loss)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-30	-22	-63
Profit / (loss)	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-30	-17	-28
Cash profits	₹ Lacs	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	-25	-14	-23
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	-50	-41	-68

78. The Authority notes the following:

- b. The domestic industry earned sufficient profits during till 2021-22. However, the profitability of the domestic industry declined in 2022-23. The domestic industry suffered significant losses due to a sharp decline in selling prices, even as costs increased.
- c. During the period of investigation, the profitability of the domestic industry deteriorated as compared to the base year.
- d. The domestic industry has also suffered deterioration in cash profits over the period.
- e. The domestic industry has faced a significant decline in its return on capital employed. The return on capital employed, which was healthy in 2021–22, turned negative in 2022–23 and remained negative thereafter, further declining in the period of investigation

79. With regard to the submissions by the other interested parties that losses in past investigation have been converted to profits in present investigation, it is noted that during the POI (Oct, 2021 to Sep, 2021) of the previous investigation, an important ingredient namely, propylene oxide, which was used for manufacture of PUC was procured domestically from related party (at arm's length price) and also produced captive. The methodology for transfer price during the previous injury period was based on domestic procurement (i.e., from related party at arm's length price). This resulted in higher raw material price, leading to higher cost of sales and consequential losses for PUC. The same practice was followed for all the four years of injury period for even comparison. However, since the input raw material was considered at market price, no capital employed for such captive input was provided for determining return on capital employed. In the present investigation period, during POI (Oct, 2023 to Sep, 2024), the domestic industry manufactured propylene oxide captive and same was transferred at cost. Therefore, for the whole current injury investigation period, (which also includes the common FY 2021-22 with previous investigation period), same practice was required to be followed for even comparison. Thus, the transfer price for the captive input, namely, propylene oxide, is considered at cost for ascertaining the cost of production of the PUC. Further, capital employed for such captive input has been added to the capital employed for PUC for allowing return on capital employed.

e) Employment, productivity and wages

80. The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Employees	Nos.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Productivity per day	MT/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99	85	59
Productivity per employee	MT/Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Wages	₹ Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	104	42	88

81. The Authority notes that the number of employees and productivity per employee have remained unchanged over the injury period. However, productivity per day declined over the injury period. While wages increased marginally in 2022-23, they declined thereafter and remained below the base year level in the POI. The domestic industry has not claimed injury on this account

f) Growth

Particulars	Unit	2021-22	2022-23	2023-24	POI
Installed Capacity	%	-	-	-	-
Production	%	-	-1%	-14%	-31%
Domestic sales	%	-	-1%	-19%	-46%
Profit / (loss) per unit	%	-	-130%	-29%	193%
Cash profits	%	-	-125%	-45%	65%
Return on capital employed	%	-	-150%	-19%	67%

82. The Authority notes:

- b. The capacity of the domestic industry has not shown any change over the injury period.
- c. The domestic sales have shown a negative growth.
- d. The profitability parameters have shown significant negative growth as the domestic industry have continued to face losses and earned negative returns.

g) Factors affecting prices

83. It is noted that the domestic industry has not been able to increase its prices in relation to the increase in cost of sales. The subject imports have forced the domestic industry to sell the goods below its costs. Further, the subject imports have significantly undercut the domestic prices, creating a strain on the prices of domestic industry, which has resulted in a decline in profitability and return on capital employed. Thus, the subject imports have affected the prices of the domestic industry.

h) The magnitude of dumping

84. The Authority notes that the subject goods are being dumped in India from the subject countries. The dumping margin is positive and significant.

I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS AND CASUAL LINK

Non-attribution analysis

85. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

a. Volume and value of imports from third countries

86. It is noted that the subject goods are being imported in significant quantities from other countries such as Saudi Arabia, Singapore, USA, Japan, Korea, Taiwan. The Authority notes that it is currently undertaking a sunset review of anti-dumping duty being conducted against imports from Saudi Arabia. Moreover, imports from other countries, including Singapore, are priced higher than the prices from the subject countries.

87. Certain interested parties have argued that imports from Singapore have caused injury to the domestic industry and not the subject goods. As per the data on record, the prices of imports from Singapore are higher than the price of subject imports.
- b. Contraction in demand**
88. The demand for the subject goods has increased over the injury period and was the highest during the period of investigation. The domestic industry has not suffered injury due to possible contraction in demand.
- c. Pattern of consumption**
89. There has been no material change in pattern of consumption of the product under consideration, which could have caused injury to the domestic industry.
- d. Conditions of competition and trade restrictive practices**
90. The Authority notes that there are no trade restrictive practices or conditions of competition, which may have cause injury to the domestic industry.
- e. Developments in technology**
91. There has been no change in technology for production of the subject goods, due to which the domestic industry could have suffered injury.
- f. Productivity**
92. The Authority notes that the productivity per employee of the domestic industry has more or less remained constant. Therefore, the domestic industry has not suffered injury on this account.
- g. Export performance of the domestic industry**
93. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.
- h. Performance of other products**
94. The injury suffered cannot be attributed to the performance of other products of the company, as the domestic industry has segregated and provided information with regard to the like article only.
- i. Plants of domestic industry not backward integrated and use of obsolete technology**
95. With regards to the submissions that the injury to the domestic industry has been caused due to its own inefficiencies such as lack of backward integration in plants, usage of obsolete technology and depreciation burdens, the Authority notes that the such factors are inherent to the industry and has remained unchanged. Thus, it cannot be said that such factors have now started causing injury to the domestic industry.
- j. Impact of Michaung cyclone**
96. It has been argued by certain interested parties that the domestic industry may have suffered injury due to shutdowns suffered on account of Michaung Cyclone in the region. It is noted that the domestic industry segregated the impact of shutdown faced due to cyclone, and has reduced its available capacities in order to remove the impact of such shutdown. However, despite making adjustment to the capacity to offset the impact of cyclone-related shutdown, the domestic industry has faced significant underutilization and its production continues to decline as its sales also declined continuously.

Factors establishing causal link

97. While other known factors listed under the Rules have not caused injury to the domestic industry, the Authority notes that the following parameters show that injury to the domestic industry is caused by the dumped imports.
- i. There is significant dumping of the subject goods from the subject countries.
 - ii. The volume of dumped imports has increased over the injury period.
 - iii. The volume of imports has also increased in relation to Indian consumption and production.

- iv. The increase in dumped imports adversely affected the ability of the domestic industry to sell its goods in the market at remunerative prices and the subject imports continued to undercut the domestic prices. It is also noted that the domestic industry has suffered price depression, and suppression on account of imports of subject goods from subject countries.
- v. As a result, the market share of the domestic industry declined over the injury period, while imports increased significantly in the intervening years and remained substantial during the period of investigation.
- vi. The production and sales volume of the domestic industry have declined over the injury period.
- vii. The domestic industry faced significant accumulation of inventories as it was unable to sell its product in the market.
- viii. The domestic industry has suffered losses and cash losses.
- ix. The domestic industry is not able to earn sufficient returns on the investments made and it earned negative returns on its investment.

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

98. The Authority has determined the non-injurious price for the domestic industry on the basis of the principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the subject goods has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation.
99. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials, the utilities and the production capacity by the domestic industry over the injury period have been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on the average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and is being followed.
100. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below: -

SN	Name of Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Injury Margin
		USD/MT	USD/MT	USD/MT	%	Range (%)
China PR						
1.	Wanhua Group Co., Ltd	***	***	***	***	10-20
2.	Any Other	***	***	***	***	20-30
Kingdom of Thailand						
3.	Dow Chemical Thailand Limited	***	***	***	***	0-10
4.	Any Other	***	***	***	***	10-20

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES**K.1. Submissions by other interested parties**

101. The other interested parties have made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- a. Imposition of duties is not in public interest as the domestic industry is not capable of catering to entire demand, making users dependent on imports.
- b. Considering the significant supply-deficit, and lack of technological advancement, imports are critical for industry stability.
- c. Imposition of duty would increase costs for downstream users, creating supply uncertainty, discouraging long-term contracts and investment, and limiting access to advanced materials and technology, thereby adversely affecting consumers.

Particulars	Unit	Calculation				
Polyol CIF Price \$1300						
If ADD per tonne taken as-	\$/MT	50	100	150	200	250
Price Including ADD	\$/MT	1,350	1,400	1,450	1,500	1,550
Price Including ADD(Exchange Rate 83.5)	Rs/MT	1,12,725	1,16,900	1,21,075	1,25,250	1,29,425
Landed price including ADD	Rs/MT	1,21,225	1,25,400	1,29,575	1,33,750	1,37,925
Contribution of Polyol to Foam Cost	Rs/MT	78,796	81,510	84,224	86,938	89,651
Net Contribution adjusting for Yield Loss	Rs/MT	98,495	1,01,888	1,05,280	1,08,672	1,12,064
Foam per mattress	Kg	12.20	12.20	12.20	12.20	12.20
Cost Contribution	Rs	1,202	1,243	1,284	1,326	1,367
Cost of Polyol ADD per mattress	Rs	41	83	124	165	207
Impact on retail sales(3x)	Rs	124	248	372	496	620

Particulars	Unit	Calculation				
If ADD per tonne taken as-	\$/MT	300	350	400	450	500

Price Including ADD	\$/MT	1,600	1650	1,700	1,750	1,800
Price Including ADD	Rs/MT	1,33,600	1,37,775	1,41,950	1,46,125	1,50,300
Landed price including ADD	Rs/MT	1,42,100	1,46,275	1,03,220	1,54,625	1,58,800
Contribution of Polyol to Foam Cost	Rs/MT	92,365	95,079	97,793	1,00,506	1,03,220
Net Contribution adjusting for Yield Loss	Rs/MT	1,15,456	1,18,848	1,22,241	1,25,633	1,29,025
Foam per mattress	Kg	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
Cost Contribution	Rs	1,408	1,449	1,491	1,532	1,573
Cost of Polyol ADD per mattress	Rs	248	290	331	372	414
Impact on retail sale(3x)	Rs	745	869	993	1,117	1,241

- d. Imposition of duties on FSP subsequent to recommendation of duties on TDI would cause a huge burden on the downstream users, which the MSME users cannot absorb.
- e. The applicant has underestimated the impact of proposed duties by considering a Rs. 20,000 mattresses, which does not reflect the price realities of the mainstream Indian mattress segment.
- f. Majority of mattresses, particularly those produced by MSMEs, fall within the 6,000 to 8,000 price range and for this segment, even a moderate increase in the cost of FSP would result in increased costs.
- g. The downstream industry largely constitutes of MSME manufacturers. While Sheela Foam claimed that there are 20-25 major manufacturers, there was no reference as to the nature of such enterprises.
- h. The applicant cannot demand that MSMEs demonstrate actual closures before their adverse impact is acknowledged.
- i. While the petitioner relies on "Make in India" policy to justify protection for its own operations, it simultaneously disregards the same when it comes to the MSME-dominated downstream sector.
- j. The imports are necessary to meet the demand-supply gap as the domestic industry does not have capacity to cater to the existing demand in the country.
- k. Imposition of anti-dumping duty is not in public interest as it would sharply increase the production costs of the user industry, squeeze already thin margins, and risk losses, production cuts, or shutdowns across downstream sectors.
- l. Downstream manufacturers already face high cost from duty on key inputs, making additional duty on FSP unsustainable.
- m. Imposition or continuation of anti-dumping duties is against public interest, as the domestic industry lacks the capacity to meet even a fraction of Indian demand, making imports indispensable. Duties would adversely impact downstream industries, increase costs, create supply uncertainty and harm competitiveness without yielding commensurate economic benefit.
- n. Imposing anti-dumping duties on imports of Flexible Slabstock Polyol from China PR would be contrary to public interest. Flexible Slabstock Polyol is a critical input for MSME-dominated

downstream industries such as mattresses, furniture, automotive interiors, and footwear; any increase in input costs would erode competitiveness, raise consumer prices, and affect employment. The NITI Aayog High-Level Committee has cautioned that cost-increasing measures on essential raw materials harm MSME-dominated sectors.

- o. The petitioner, as the sole domestic producer, lacks the capacity and technological capability to meet India's growing demand, resulting in a persistent supply deficit. Duties would create artificial scarcity, confer monopolistic control on the petitioner and expose downstream users to serious supply and pricing risks.
- p. Continued protection would make the duties permanent, harming consumers without providing any incentive for the Domestic Industry to improve its competitiveness. The Ministry of Finance's recent decision not to impose duties in the previous investigation further underscores that continued protection is not in the public interest.

K.2. Submissions by the domestic industry

102. The domestic industry has made the following submissions with regard to the Indian industry's interest:

- a. Imposition of duties will have a negligible impact on the cost of downstream users and end users. For a mattress priced at Rs. 20,000, imposition of duties to the extent of current duties would have an impact of only 0.6%. Further, with respect to mattress of Rs. 6,000, the impact would be only 0.71%.
- b. The total impact of proposed duties on FSP and TDI, major raw materials for foam, would be only 2.4%. For a mattress of Rs. 6,000, the total impact of the proposed duties would be only Rs. 144 per mattress.
- c. The domestic industry has further submitted that in general, a standard sized mattress used in India is approximately 72 x 48 x 6 inches, weighs around 30 kilograms and is available at an average price of ₹ 20,000. For producing one such mattress, a total of 32 kilograms per metre cube density foam is used, which in turn requires approximately 6 kilograms of FSP. At present, the landed price of FSP from the subject countries is ₹ 98 per Kg. Therefore, the cost of FSP used for manufacturing a mattress priced at ₹ 20,000 is around Rs. 589. In such a scenario, an increase of ₹ 20 per Kg (current duty on Saudi) in the price of FSP would have a very negligible impact of 0.63% on the price of FSP for the downstream users.

Price of one mattress	₹/u	A	20,000	6,000
Weight	KG/u	B	30	10
FSP consumed in 1 mattress	KG/u	C	6	2
Current price of FSP	₹/KG	D	104	104
Cost of FSP in 1 mattress	₹/KG	$E = D * C$	624	208
Current duty on FSP	\$/MT	F	253	253
Current duty on FSP	₹/KG	$G = (F * 84.27) / 1000$	21	21
Impact of proposed ADD	₹/kg	$H = G * C$	126	42
Impact of proposed add	%	$I = H / A$	0.63%	0.71%

- d. The impact of duties calculated on behalf of users is highly inflated as it relies on inaccurate CIF price, applicable customs duty and consumption factor. Further, the impact has been calculated on the margin of the users and not the cost of such users.
- e. The foam industry is a pass-through industry and the impact of imposition of duties would invariably be passed on to the mattress industry.
- f. Imposition of duties would be not be disadvantageous for the users as even after imposition of duties, the import price would still be lower than the normal value in the domestic market of the subject countries.
- g. The profitability of the users has not been impacted by imposition of duties on imports from other countries.
- h. While the users are claiming themselves to be MSMEs, certain users have earned bumper profits, which is more than double the revenue that the domestic industry is able to gain from sales of the product.
- i. Contrary to its claims, the Users' Association has not provided details regarding its members, number of members that are in the MSME sector or consumption share of such MSME producers in the total consumption
- j. An increase in prices will not impact the demand of the product since the demand for FSP remained significant even when the prices were high in 2021-22.
- k. The domestic industry is currently in the process of expanding its capacity, which is currently under threat. There is a need to protect the sole producer of the subject goods in the country.
- l. Contrary to the claim that imports are necessary to meet the demand-supply gap, the dumped imports are entering the market in excess of any demand-supply gap.
- m. It has been a well settled principle that imports are inevitable where there is a demand-supply gap, but the same cannot be a justification for dumping.
- n. While the domestic industry is seeking re-establishment of fair market conditions, the users are demanding availability of imports at unfair prices. If the operations of users cannot survive based on imports at fair prices, it underlines the inefficiency of their operations.
- o. The product can be imported from other countries like Japan, Korea, Singapore, Taiwan and United States and at fair prices from the subject countries.
- p. Propylene oxide is majorly used in production of FSP by the applicant and non-imposition of duties will adversely impact the viability of propylene oxide operations as well.
- q. Non-imposition of duties will force the applicant to permanently shut down operations for FSP and shift to other products.
- r. Non-imposition of duties will make users completely reliant on subject imports creating a monopoly of the subject imports. In such a situation, the exporters can take advantage of the monopoly situation and exploit the users in order to maximize profits.
- s. Imposition of duties would contribute to the Make in India Policy of the Government, by supporting the sole producer in the country.

K.3. Examination by the Authority

- 103.** The Authority notes that the primary objective of anti-dumping duties is to rectify the injury inflicted upon the domestic industry by the unjust trade practices of dumping, thereby fostering an environment of open and equitable competition in the Indian market. This is not merely a regulatory measure, but a matter of national interest. The imposition of anti-dumping measures is not designed to curtail imports from the subject countries arbitrarily. Rather, it is a mechanism to ensure a level playing field. The Authority acknowledges that the persistence of anti-dumping duties may influence the price levels of the product in India. However, it is crucial to note that the essence of fair competition in the Indian market will remain unscathed by the imposition of these measures. Far from diminishing competition, the imposition of anti-dumping measures serves to prevent the accrual of unfair advantages through dumping practices. It safeguards the consumers' access to a broad

selection of the subject goods. Thus, anti-dumping duties are not a hindrance but a facilitator of fair-trade practices.

- 104.** The Authority issued the initiation notification, inviting views from all interested parties including importers, users and consumers. An Economic Interest Questionnaire was also prescribed to allow various stakeholders, including the domestic industry, producers/exporters and importers/users/consumers to provide relevant information concerning the present investigation, including the possible effect of anti-dumping duty on their operations.
- 105.** The domestic industry has emphasized that the imposition of duty does not restrict imports but only ensures fair prices. Even otherwise, the subject goods are also produced in a number of non-subject countries, such as Singapore USA, Japan, Korea. Therefore, the users are free to source the subject goods from the domestic industry and from other countries at competitive prices.
- 106.** The other interested parties have argued that the domestic industry has underestimated the impact of proposed duties by considering a Rs 20,000 mattresses, whereas majority of mattresses fall within Rs 6,000 to 8,000. If the duties are allowed, it would be severely detrimental to the downstream users, who would significantly suffer. Contrary to this, the domestic industry has submitted that the imposition of duties will have a negligible impact of 0.6% for a mattress priced at Rs 20,000 and 0.71% for a mattress priced at Rs 6,000. Therefore, in either of the case, the impact of the duties will be negligible on the prices of the mattresses.
- 107.** The Authority has noted the submissions made by all parties. The Association has submitted that 12.2 kg of the product under consideration is consumed per piece of mattress. Considering the import price of US \$ 1300, it implies that the product under consideration constitutes about 20% of the mattress price sold for Rs. 6000 (and 15% for a mattress sold for 8000). The Authority, therefore, finds that if the cost on account of the product under consideration is only 15-20% for a mattress, a 10%, 20% or 30% increase in the price shall be in the region of only 1.5%-6%. Further, the Authority notes that the present investigation is a sunset review investigation and the interested parties have not provided evidence showing increase in the price of the product under consideration as a result of imposition of the present anti-dumping duties. Table below shows impact of price increase in a mattress sold for Rs. 6000.

Particulars	Unit	Remarks	Value
CIF Price of Polyol	US\$/MT	A	1,300
Net contribution of polyol in foam	Rs./kg	$B = (A * \text{Exchange rate}) / 1000$	95
Foam used per mattress	Kg	C	12.2
Cost of polyol in a mattress	Rs./kg	$D = C * B$	1,160
Price of mattress	Rs.	E	6,000
Share of polyol in a mattress	%	$F = D / E$	19%
Impact of 10% ADD on price of mattress	%	$F * 10\%$	1.9%
Impact of 20% ADD on price of mattress	%	$F * 20\%$	3.8%
Impact of 30% ADD on price of mattress	%	$F * 30\%$	5.7%

- 108.** Having examined the information submitted by domestic industry and the interested parties, the Authority notes that imposition of the anti-dumping duty would have a negligible impact on the downstream users.
- 109.** Some interested parties have contended that the imports are inevitable due to the demand-supply gap in India and they would be forced to pay higher price for the imports. The Authority notes that the demand-supply gap

is not a justification for dumping in India. Even if there is a demand-supply gap in the country, it is necessary that the product is available at fair prices. The imposition of the anti-dumping duty will not hamper the availability of the product under consideration but will ensure that the same is available at the fair prices. In fact, the re-establishment of fair competition in the market may encourage further investment, which would help further bridge the demand-supply gap. Further, it is noted that the domestic industry has provided evidence in the form of project report, permission from Government of Gujarat allowing the domestic industry to set up production facility in Gujarat, and investor presentations referring to expansion and has submitted that the domestic industry is currently in the process of expanding its capacities in the state of Gujarat, and would be able to cater to a larger segment of the market share once these capacities are online.

110. Public interest comprises both consumer interests and producer interests, both of which are important and relevant. No doubt consumer interests are highly relevant, particularly in the case of final consumption of goods. However, producer interests are equally relevant, if not more. Producer interests became especially significant during once-in-a-lifetime crises such as the COVID-19 pandemic. Therefore, it is essential that producer interests are given due consideration alongside consumer interests, if not greater importance.
111. The domestic industry has also emphasized that propylene oxide is majorly used in the production of subject goods and rely on the local production of subject goods. Therefore, non-imposition of duties will adversely impact the viability of the operations of the propylene oxide industry.

L. POST-DISCLOSURE COMMENTS

112. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making the final recommendations to the Central Government, to all interested parties on 5th March 2026. The Authority has examined all the post-disclosure comments made by the interested parties in these parties in these final findings to the extent deemed relevant. Submissions regarding past history of duties, lack of backward integration, impact of cyclone, impact of other imports on the domestic industry and existence of demand-supply gap in the country, are reproduction of the previous submissions and which have been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity.

L.1. Submissions by the other interested parties

113. The other interested parties have made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:
- a. The scope of the product under consideration should be clearly defined as Flexible Slabstock Polyol of Molecular Weight 3000-4000.
 - b. Since the domestic industry does not produce subject goods using DMC technology and such product is not substitutable or interchangeable with the domestic product, product produced using DMC route cannot be included in the product scope as per the Manual of SOP, and as held by the CESTAT in Oxo Alcohols Industries' Association v. DA and Indian Refractory Makers Association vs. DA.
 - c. The product produced by the domestic industry is inferior in terms of quality and technical characteristics. It contains higher potassium residue, which is not a minor variation and directly affects processability for downstream users, which are largely MSME.
 - d. The Authority has disregarded the fact that the potassium residue is significantly high in the product produced by KOH technology which renders the product completely unusable for consumption in polymer polyol. Limited use by some customers under adjusted process conditions cannot justify inclusion of technologically distinct products within a single product scope.
 - e. The cost of production, normal value, export price and landed value determined for the responding exporter from Thailand, and consequent dumping and injury margin should be confirmed in the final findings.
 - f. Anti-dumping duty should be determined based on injury margin for the responding exporters.
 - g. The subject imports from Thailand are not undercutting the domestic prices and should be examined separately.

- h. There are significant differences in the import volumes reported by the Authority for 2021-22 in the previous investigations and in this investigation.
- i. The Authority has failed to properly address the fact that imports from Singapore could also be cause of injury to the domestic industry.
- j. While the cost of raw materials for the domestic industry has increased, the cost of polypropylene oxide has declined globally.
- k. The basis for key conclusions such as demand, market share, price undercutting and injury have not been disclosed appropriately in the disclosure statement.
- l. The Authority has failed to address the fact that the technical data sheet submitted by the applicant relates to viscoelastic polyether polyol, and not FSP, which warrants clarification.
- m. The Authority has failed to calculate the impact of imposition of duties on foam manufacturers and have simply calculated impact on mattresses as a simple percentage-of-retail-price exercise. Further, impact of duties should be seen in light of existing duties on TDI.
- n. The downstream industry operates on limited margins and slightest increase in the cost of a major raw material can impact margins and affect commercial viability.
- o. Merely because the applicant is expanding capacities which may become operational in the future, the users cannot be asked to bear present cost increases.
- p. Considering the ongoing geopolitical disruption in the Middle-East region, imports are already disrupted and imposition of duties would add to the burden.

L.2. Submissions by the domestic industry

115. The domestic industry has made the following new submissions post issuance of the disclosure statement:

- i. The documentary evidence submitted on record clearly demonstrate that the applicant has made significant investment and is seriously committed to expanding its production capacities, which would help bridge the demand-supply gap.
- ii. Continuation of duties will protect the applicant from permanently shutting down its operations and significant investments made to bridge the demand-supply gap.
- iii. The possible impact of duties calculated based on the lowest price of mattress is not accurate as mattresses are offered at various prices in the market. Impact of duties considering various prices of mattresses will also be negligible.
- iv. The total raw material cost has been calculated disregarding the cost of raw material purchased which accounts for a significant share in the total raw material consumed.
- v. The utility cost has been erroneously determined by considering the cost of utility consumed at only 1 plant, while applying the consumption factor for the other plant. The utility cost should be revised by considering the consumption factor for the plant whose cost has been considered.

L.3 Examination by the Authority

116. The Authority has examined the post-disclosure submissions made by the domestic industry and the other interested parties and notes that some of the comments are reiterations of submissions which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the final findings. The issues raised for the first time in the post-disclosure comments/submissions by the interested parties and the domestic industry and considered relevant by the Authority are examined below.

117. Certain interested parties have reiterated their request for exclusion of FSP produced using DMC catalyst technology. The parties have repeated their submission claiming that the product produced by the domestic industry, using KOH catalyst route is inferior in quality and the higher potassium residue of the same makes the product entirely unusable for the downstream users. It has been claimed that the exporters in the subject countries are producing the product using DMC catalyst technology and thus, the users are forced to import in absence of supply of good quality product in the market.

118. The Authority has carefully examined the submissions and evidence provided by both sides. It is noted that the arguments regarding differences in the product produced by the domestic industry (KOH catalyst product) and that imported from other countries (DMC catalyst product) were raised before the Authority in the previous investigations as well. However, the Authority finds that no additional justification has been presented in the current investigation to support the exclusion sought or warrant a departure from the conclusions reached in the previous investigations.
119. Further, the Authority notes that the domestic industry has continued to supply the product to users in the market, who are also importing the subject goods. Thus, it is evident that the users are purchasing and using the products produced by the domestic industry and that imported from the subject countries interchangeably. In view of the same, exclusion of product produced using DMC technology is not warranted.
120. Certain interested parties have argued that imports from other countries like Singapore have caused injury to the domestic industry and not the subject goods. The Authority notes that as per the data on record, the prices of imports from Singapore are higher than the price of subject imports. It is noted that during the period of investigation, the imports from Singapore were subject to an anti-dumping duty of US\$ 153.89 per MT. Considering such duties in place, it is seen that the imports from Singapore were priced above the selling price of the domestic industry and were not undercutting the prices of the domestic industry. Thus, such imports cannot be considered as cause of injury to the domestic industry.

Particulars	Unit	POI
Net sales realization	₹/MT	***
Landed price of Singapore (after ADD)*	₹/MT	***
Price undercutting	₹/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	Negative

121. The domestic industry has claimed that the non-injurious price should be revised on account of raw material and utility cost. In this regard, it is noted that the raw material rates for PUC (including captively produced raw material) are determined based on the best-utilized production capacity and optimisation of raw material usage over the injury period as per guidelines contained in the Annexure III of the Anti-Dumping Duty Rules. Similarly, best utilisation of utility over the injury period is considered for determination of non-injurious price. Further, necessary adjustments have been made based on the verification carried out by the team and replies furnished by Domestic Industry.
122. With regards to the argument that the impact of duties should not be calculated with respect to mattresses alone, it is noted that none of the interested parties have submitted information on record which would allow the Authority to determine the impact of duties on any other downstream product. Further, the domestic industry as well as the Users' Association have also quantified impact with respect to mattresses only. In absence of any other information on record, the Authority does not find merit in this argument.
123. The other interested parties have argued that the impact of duties should be considered having regard to the fact that anti-dumping duties have also been imposed on other key raw material, namely TDI. The Authority has considered the submissions of parties. It is noted that the anti-dumping duty of upto US\$ 344.33 per MT has been imposed on imports of TDI. Considering the same, it is noted that the cumulative impact of duties on FSP and TDI would only be in the range of 2.4% with respect to mattresses.

Particulars	Unit	Remarks	Value
CIF Price of Polyol	US\$/MT	A	1,300

Net contribution of polyol in foam	Rs./kg	B	95
Foam per mattress	kg	C	12
Cost of polyol in a mattress	Rs./kg	$D = C*B$	1,160
Price of mattress	Rs	E	6,000
Share of polyol in a mattress	%	$F = D/E$	19%
Impact of 10% on price of mattress	%	$G = F*10\%$	1.9%
Impact of 10% on price of mattress	Rs./kg	$H = G/E$	116
Duty on TDI	Rs./kg	$I = (344.33*83.50)/1000$	29
Total impact on price of mattress	Rs./kg	$J = H+I$	145
Total impact on price of mattress	%	$K = J/E$	2.4%

124. With regard to arguments that import price from Thailand are not undercutting the domestic industry prices, and therefore should be examined separately, it is noted that the Authority has examined the injury to the domestic industry after cumulative analysis of volume and price effect of subject countries, and have also analysed that cumulative assessment is appropriate in this case.
125. With regard to arguments that Anti-dumping duty should be based on the injury margin of responding exporters, it is noted that the Authority always works out the anti-dumping duty taking into account the lesser duty rule, and takes into account lower of dumping and injury margin of the cooperating producers and exporters for the purpose of imposition of anti-dumping duty.

M. CONCLUSION

126. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein; and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- i. The product under consideration is Flexible Slabstock Polyol, having molecular weight of 3000-4000.
 - ii. The product under consideration includes product produced using KOH route and DMC catalyst route, in view of the similarity in the technical and physical properties of the end-product produced using both routes. Further, the product produced using both routes is used interchangeably in end-applications.
 - iii. The domestic industry has produced like article to the imported product under consideration.
 - iv. The application for initiation of the anti-dumping investigation was filed by Manali Petrochemicals Limited.
 - v. The applicant is the sole producer of subject goods in the country accounting for 100% of the total Indian production, and has been considered eligible to constitute domestic industry.
 - vi. Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject countries is above de minimis level and is significant.
 - vii. The demand for the subject goods has increased throughout the injury period.
 - viii. The domestic industry has suffered injury as a result of the dumping of subject goods from subject countries, which is evident from the following.
 - a. The volume of imports has increased over the injury period.
 - b. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.

- c. The landed price of subject goods has continued to decline over the injury period, and the delta of the landed price over the raw material cost of the domestic industry has declined, and has become negative.
 - d. The cost of sales of the domestic industry increased over the period, while the selling price of the domestic industry declined in response to the decline in the landed price of imports.
 - e. The market share of the domestic industry declined, while that of the imports increased.
 - f. The domestic industry has faced a decline in production and sales, despite a significant increase in demand.
 - g. The domestic industry was faced with significantly underutilized capacities.
 - h. The domestic industry was unable to dispose of its production, thereby resulting in the piling up of inventories.
 - i. The domestic industry has supplied the subject goods at a price lower than its costs in order to compete with the imported goods.
 - j. The domestic industry faced significant losses and cash losses.
 - k. The return on capital employed of the domestic industry is negative.
 - l. The imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise further capital investments.
- ix. The injury margin for the subject countries is positive.
 - x. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry.
 - xi. Factors such as absence of backward integration are factors inherent to the domestic industry and have remained unchanged over the period, and thus, cannot have now caused injury to the domestic industry.
 - xii. The domestic industry segregated the impact of Michaung cyclone by reducing its available capacities. However, despite the same, the domestic industry has faced significant underutilization of capacities and decline in production.
 - xiii. It is noted that domestic industry has suffered material injury as a result of the dumped imports.
 - xiv. The imposition of anti-dumping duty is in the interest of the public and would have no adverse impact on the interests of public at large.
 - xv. Imposition of duties would result in a negligible increase in the prices of the end-product and would not be a measurable burden for the end-consumers.
 - xvi. The domestic industry has made significant investments in order to expand its production capacities and increase supply of its product in the market, as is evident from the supporting evidence and documents submitted showing the seriousness of commitment and investments made.
 - xvii. Imposition of duties is necessary to protect the operations of the domestic industry and the viability of investments made.
 - xviii. Non-imposition of duties would also adversely impact the viability of operations of the upstream industry of propylene oxide.

N. RECOMMENDATIONS

127. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspect dumping, injury, causal link, and impact of measures. Having initiated and conducted the investigation in terms of the provisions under the Anti-Dumping Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and injury. Accordingly, the Authority recommends imposition of anti-dumping duties on imports of the product under consideration from the subject countries.

128. Having regards to the lesser duty rule followed, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty on the imports of subject goods originating in or exported from the subject countries, for a period of 5 years, from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, equal to the amount mentioned in Column 7 of the duty table appended below.

Duty Table

S. No.	Heading	Description	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	39072910, 39072990	Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000-4000	China PR	Any country, including China PR	Wanhua Chemical Group Co., Ltd	207	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country, including China PR	Any, other than that mentioned at S.No. 1	318	MT	USD
3.	-do-	-do-	Any country other than China PR and Thailand	China PR	Any	318	MT	USD
4.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Dow Chemical Thailand Limited	72	MT	USD
5.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any, other than that mentioned at S.No. 4	141	MT	USD
6.	-do-	-do-	Any country other than China PR and Thailand	Thailand	Any	141	MT	USD

129. The application of the individual duty rates specified for the companies mentioned in the above duty table shall be conditional upon presentation to the customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

"I, the undersigned, certify that the (volume) of Flexible Slabstock Polyol sold for export to the India covered by this invoice was manufactured by (company name and address) in [country concerned]. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct."

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other rates shall apply. This requirement is without

prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

O. FURTHER PROCEDURE

130. An appeal against the determination of the Designated Authority in these final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act / Rules.

AMITABH KUMAR, Authorized Officer